लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २५, १९५९/१८८० (शक)

[९ से २० फरवरी १९५९/२० माघ से १ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २५ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २५, अंक १ से १०—९ फरवरी से २० फरवरी, १९५९/२० माघ से १ फाल्गुन, १८८० (शक)]

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, ९ फरवरी, १९५९/२० माघ, १८८० (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १

श्री ठाकुर दास मल्होत्रा, श्री रानेन्द्र नाथ बसु तथा श्री विट्ठल नारायण चन्दावरकर का निधन १

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा-पटल पर रखा गया . . २—९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . ९—१०

संसदीय समितियां—कार्य सारांश १०

स्थगन प्रस्तावों के बारे में १०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १०—१२, १४

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य १३

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य १३

विशेषाधिकार समिति—

प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय का बढ़ाया जाना . . १३—१४

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित . . १४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १५—१८

अंक २—मंगलवार, १० फरवरी, १९५९/२१ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ९ और १२ से १८ . . . १९—४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ४२—४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०, ११ और १९ से ५१ . . ४५—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७, ९, ११ से ४४ और ४६ से ५२ ५९—८०

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . ८०-८१

स्थगन प्रस्ताव—

रजा तथा बुलन्द शुगर मिल्स, रामपुर में ताला बन्दी . ८१–८२

विशेषाधिकार-भंग संबंधी प्रस्ताव—

श्री एम० ओ० मथाई द्वारा कही गई बातें . . . ८२—९५

सभा-पटल पर रखेगये पत्र . . . ९५–९६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

खाद्यान्नों के मूल्य . . . . ९६—९९

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक— १००—३७

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १००—३१

खण्ड २ से ४, ७ से १९, १८ क, ५, ६, २० तथा १ और अधिनियमन सूत्र १३१—३७

पारित करने का प्रस्ताव . १३७

कार्य मंत्रणा समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन . १३८

दैनिक संक्षेपिका . १३९—४५

अंक ३—बुधवार, ११ फरवरी, १९५९/२२ माघ, १८८० (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १४७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२ से ५६, ५८ से ६२ और ६४ . १४७—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३, ६५ से ९८, १०० से १०७ और १०९ से १२८ १६९—९७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ७३, ७५ से १०४ और १०६ से १३४ . १९७—२३८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . २३९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन . २३९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की हड़ताल २३९–४०

कार्य मंत्रणा समिति—

चौंतीसवा प्रतिवेदन . २४०

दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक २४०—७५

विचार करने का प्रस्ताव . . २४०—७३

खण्ड २ से २९, नया खण्ड ३० और खण्ड १ २७३—७५

पृष्ठ

पारित करने का प्रस्ताव . . २७५

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक . . . . २७५—८४

विचार करने का प्रस्ताव . . २७५—८२

खण्ड २ से १०, ११ से १४ तथा खण्ड १ २८३—८४

पारित करने का प्रस्ताव २८४

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . २८४—८६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २८७—९३

अंक ४—गुरुवार, १२ फरवरी, १९५९/२३ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३७, १४० और १४२ से १४७ . २९५—३१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४९ से १५५ और १५७ से १९१ . ३१९—३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३५ से १६५, १६७ से २०२, २०४, २०५, २०७ से २१०, २१२ से २२४ और २२६ से २२८ . ३३९—७५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

चीनी मिलों में तालाबन्दी . . ३७५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ३७५—७८

विधेयक पर राय . . . ३७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु ३७८—८०

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . ३८०—४२८

विचार करने का प्रस्ताव . . . ३८०—४१८

खण्ड २ से ४, ६ से १२, ५ और १ तथा अधिनियमन सूत्र . ४१८—२३

पारित करने का प्रस्ताव . . . . ४२३—२८

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४२९—३६

अंक ५—शुक्रवार, १३ फरवरी, १९५९/२४ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९६, १९८ से २०० और २०२ से २०४ ४३७—५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०५ से २२६, २२८ से २४१ और २४४ से २५२ ४५९—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २३५, २३७ से २३९ और २४१ से २७६ ४७९—९८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४९९

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति----
छत्तीसवां प्रतिवेदन ४९९

फिल्म उद्योग के बारे में वक्तव्य---सभा-पटल पर रखा गया . . ५००

चिनाकुरी खान-दुर्घटना पर चर्चा के बारे में . . ५००

सभा का कार्य . . . ५००--०१

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . ५०१--३४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चौतीसवां प्रतिवेदन ५३४-३५

देश के सभी लोक-सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियंत्रण के बारे में संकल्प . ५३६—५१

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त देने के बारे में संकल्प . ५५२-५३

दैनिक संक्षेपिका . . ४५४--५९

अंक ६—सोमवार, १६ फरवरी, १९५९/२७ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-

तारांकित प्रश्न संख्या २५३ से २६०, २६२, २६४ से २६८, २७० २७१, २७३ से २७५, २७७ और २८१ ५६१--८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६३, २६९, २७२, २७६, २७८ से २८०, २८२ से ३०१ और ३०३ से ३१० . . . ५८८--६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या २७७ से ३२२, ३२४ से ३५९ और ३६१ से ३६९ ६०५--४५

रामपुर की चीनी मिलों में हड़ताल के बारे में ६४५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ६४५--४८

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका . . ६४८-४९

तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ के अनुपूरकों के उत्तरों को शुद्ध करने के बारे में वक्तव्य . . ६४९

नदी बोर्डों के नियमों के सम्बन्ध में वक्तव्य . . ६४९

रामपुर की रजा और बुलन्द शुगर मिल्स में श्रम विवाद के बारे में वक्तव्य ६५०-५१

राष्ट्रपति के अथिभाषण पर प्रस्ताव ६५१--८२

दैनिक संक्षेपिका . . ६८३--९२

अंक ७—मंगलवार, १७ फरवरी, १९५९/२८ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३११, ३१२, ३१४ से ३१६, ३१८, ३२१ से ३२४ और ३२६ से ३२८ ६९३--७१९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१७, ३१६, ३२०, ३२५, ३२६ से ३४१, ३४३ से ३५८ और ३६० से ३६४ . . . ७१६—३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७८, ३८० से ४०५, ४०७ से ४२६, ४२८ ४२८ और ४३० . . . . ७३५—५७

स्थगन प्रस्ताव

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर गोली चलाये जाने की घटनायें ७५७—६०

औचित्य प्रश्न के बारे में . . . ७६१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ७६१—६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १६५८-५६ . ७६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १६५८-५६ . ७६३

प्राक्कलन समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन . . ७६३

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . ७६३—८१४

दैनिक संक्षेपिका ८१५—२०

अंक ८—बुधवार, १८ फरवरी, १६५६/२६ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६५ से ३६८, ३७०, ३७३ से ३७५, ३७७, ३७६, ३८२ से ३८५ और ३८८ . ८२१—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६६, ३७१, ३७२, ३७६, ३७८, ३८१, ३८६ ३८७, ३८६ से ३६१ और ३६३ से ४१७ . . ८४६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३१ से ४७६ और ४८१ से ४८७ ८६२—८४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ८८४—८५

रेलवे आय-व्ययक, १६५६-६० . . ८८५—६१२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . . ६०२—३६

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन. ६३०

दैनिक संक्षेपिका . . . ६४०—४४

पृष्ठ

अंक ९—गुरुवार, १९ फरवरी, १९५९/३० माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ से ४२२, ४२५, ४२६, ४२८ से ४३३, ४३५, ४३९ और ४४१ . ९४५—७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ९७०—७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२३, ४२४, ४२७, ४३४, ४३६ से ४३८, ४४०, ४४२ से ४६७ . . ९७२—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ४९९ और ५०१ से ५५७ ९८७—१०१५

श्री सिद्दप्पा होशमानी का निधन १०१५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०१५

कार्य मंत्रणा समिति— १०१५

पैंतीसवां प्रतिवेदन

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव १०१६—३२

कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०३२—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . १०५४—५९

अंक १०—शुक्रवार, २० फरवरी, १९५९/१ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६८ से ४७७ और ४७९ से ४८८ १०६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७८ और ४८९ से ५१८ १०८६—११००

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५८ से ६६५ ११००—४६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ११४७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११४८

विशेषाधिकार समिति—

आठवां प्रतिवेदन . . . ११४८-४९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

एक बरात को परेशान किये जाने की कथित घटना . ११४९

सभा का कार्य ११४९–५०

खेल-कूद के स्तर में गिरावट के बारे में प्रस्ताव . ११५०—६८

विधेयक पुरस्थापित ११६८–६९

पृष्ठ

१. श्री उ० च० पटनायक का भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक . . ११६८

२. श्री जगदीश अवस्थी का दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का लोप) . ११६९

३. श्री झूलन सिंह का पटसन का न्यूनतम मूल्य विधेयक ११६९

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ११६९—८६

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ११८७

दैनिक संक्षेपिका . . ११८८—९५

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

बुधवार, ११ , फरवरी १९५९/२२ माघ, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री प्रभु नारायण सिंह (चन्दौली)

श्री माधव श्रीहरि अणे (नागपुर)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केरल को चावल का सम्भरण

+

†*५२. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री स० म० बनर्जी :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री वारियर :
श्री राम कृष्ण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले केरल के मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री और वित्त मंत्री से आंध्र राज्य से केरल को चावल के संभरण के विषय पर बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम हुआ ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख) . केरल के मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री दिसम्बर, १९५८ के अन्त में केन्द्रीय खाद्य मंत्री और प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्होंने आंध्र प्रदेश से केरल को चावल के संभरण के बारे में उनसे बातचीत की थी। कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : कुछ समय पहले केरल के मंत्रियों द्वारा केन्द्रीय सरकार पर सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाया गया था कि खाद्य सम्भरण के मामले में केन्द्रीय सरकार केरल राज्य के साथ भेदभाव का व्यवहार कर रही है। इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : यदि कोई भेदभाव था तो वह अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल सरकार के पक्ष में था (**अन्तर्बाधा**)

कुछ माननीय सदस्य उठे——

†**श्री त्यागी** : मैं जानना चाहता हूं कि खाद्य के मामले में यह भेदभाव क्यों था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या केरल के खाद्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की कि वह आंध्र से चावल के समाहार के लिये सुविधायें देने के लिये आंध्र सरकार से कहे और यदि हां, तो आंध्र सरकार ने क्या सुविधायें दीं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : स्थिति इस प्रकार है। केरल के व्यापारी और केरल सरकार खुले बाजार से क्रय कर सकते हैं परन्तु यदि उन्हें कोई कठिनाई हो और वे हमारी सहायता चाहें तो हम उन्हें खरीद के बारे में सहायता देते हैं।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जब केरल के चीफ मिनिस्टर यहां आये और उन्होंने आपसे बातचीत की तो उन्होंने आपको चावल की कितनी कमी बताई ?

श्री अ० प्र० जैन : उनका कहना यह था कि छः लाख और सात लाख टन की कमी होती है हर एक साल में। हमारा अन्दाजा उससे कम का है।

†**श्री वारियर** : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार से यह कहा है कि केन्द्र द्वारा आंध्र से चावल की खरीद में से और अधिक सम्भरण की आशा नहीं की जा सकती ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : जी, नहीं। यह बात नहीं है। हमने उनसे यह कहा था कि उन्हें अपनी सामान्य आवश्यकता स्वयं पूरी करनी चाहिये और यदि फिर भी कोई अनपेक्षित कठिनाई हो तो केन्द्रीय सरकार तदर्थ रूप में उनको सहायता दे सकती है।

†**श्री राम कृष्ण** : इस बातचीत के परिणामस्वरूप क्या केरल सरकार को अब तक कोई चावल दिया गया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : जी, हां। केरल सरकार ने १० हजार टन दिसम्बर के महीने में और १५ हजार टन जनवरी के महीने में खरीदा है और फरवरी के महीने में २५ हजार टन खरीदने के लिये उन्होंने करार किया है।

†**श्री त्यागी** : मंत्री महोदय ने यह कहा कि चावल के सम्भरण के मामले में केन्द्र द्वारा केरल के साथ पक्षपूर्ण बर्ताव किया गया। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अन्य राज्यों को भी केन्द्र की समान अनुकम्पा प्राप्त करने के लिये 'साम्यवाद क्षेत्र' होना पड़ेगा ? अथवा किसी और कारण से केरल के साथ पक्षपूर्ण बर्ताव किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन :** हम उनका सन्देह दूर करने के लिये उनके प्रति कुछ उदार होना चाहते हैं ।

†**श्री रंगा :** क्या आंध्र सरकार इस व्यवस्था के पक्ष में है कि केरल सरकार और केरल क व्यापारी आंध्र क्षेत्र में निर्बाध चावल खरीदते रहें ? क्या केरल सरकार ने ऐसा कोई अभ्यावेदन किया है कि वह उस क्षेत्र से खरीदारी करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** इस समय तो केरल सरकार को खरीदारी करने में कोई कठिनाई नहीं है और जो बड़ी मात्रा मैंने बताई है उससे यह पता चलता है कि वह सुविधापूर्वक खरीदारी कर रही है। जहां तक आंध्र सरकार का सम्बन्ध है, इन सब बातों पर तब विचार किया गया था जब आंध्र के मंत्री यहां पर थे और इन निर्णयों पर सहमति हो गयी थी ।

†**श्री पुन्नूस :** क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार आंध्र से लगभग ४ लाख टन चावल खरीदना चाहती है ; और यदि हां, तो फिर आंध्र से केरल कैसे चावल खरीद सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यदि केन्द्र ने आंध्र से ४ लाख टन चावल खरीदा तो क्या यह केरल द्वारा आंध्र से चावल की खरीद में बाधक होगा। यदि वह ४० लाख टन चावल फालतू हो तो उन्हें क्या आपत्ति है ?

†**श्री पुन्नूस :** वहां तो केवल ६ लाख टन चावल फालतू है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि प्रश्न का अभिप्राय यह है कि क्या इससे केरल द्वारा आंध्र से चावल की खरीद पर कुप्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** स्थिति इस प्रकार है कि वर्तमान दक्षिणी जोन में उपलब्ध चावल की मात्रा वहां की आवश्यकता से अधिक है और वह कुछ फालतू चावल केन्द्रीय सरकार को बेच सकता है । इसके अतिरिक्त चावल की विभिन्न किस्में हैं---बढ़िया और बहुत बढ़िया चावल---जो परम्परा से उत्तरी क्षेत्रों को निर्यात किया जाता है । दक्षिणी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र को चावल के ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा देने से केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इसको खरीदे वरना उस चावल का क्या बनेगा जो वहां फालतू है ?

†**श्री तिरुमल राव :** वर्ष १९५८-५९ के लिये केरल सरकार ने कितने चावल की कमी बतलाई, इसका कितना भाग केरल सरकार को दक्षिणी क्षत्र से मिलेगा और कितना भाग केन्द्रीय सरकार देने के लिये राजी हुई है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** मैं सब प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं। उनका अनुमान है कि कमी ६ लाख टन और ७ लाख टन के बीच है । हम समझते हैं कि कमी वास्तव में इतनी नहीं है। अब, यदि कोई अनपेक्षित कठिनाई हो तो केन्द्रीय सरकार उनकी सहायता करेगी अन्यथा केरल सरकार और केरल के व्यापारी दोनों दक्षिणी बाजार से खरीदेंगे।

†**श्री पुन्नूस :** क्या यह सच नहीं है कि दक्षिणी क्षेत्र में केरल सबसे अधिक कमी वाला राज्य है ? जब केन्द्र आन्ध्र से ४ लाख टन खरीदता है तो क्या यह ठीक नहीं है कि केरल को चावल के सम्भरण के मामले में प्राथमिकता दी जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है। इस बारे में कोई संशय रखे बिना ही मैंने सीधा प्रश्न पूछा था कि क्या केन्द्र द्वारा चावल की खरीद से केरल की खरीद पर कुप्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री पुन्नूस :** मेरा यह प्रश्न नहीं है केन्द्र आंध्र से ४ लाख टन खरीद रहा है । दक्षिणी क्षेत्र में केरल सब से अधिक कमी वाला क्षेत्र है । मैं केवल यह पूछ रहा हूं कि क्या केरल सरकार की यह प्रार्थना ठीक नहीं है कि उसको उन ४ लाख टन में से चावल दिया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उनका कहना है कि इन ४ लाख टन के अतिरिक्त वहां पर केरल सरकार के खरीदने के लिये पर्याप्त चावल है ।

†**श्री याज्ञिक :** क्या यह सच है कि केरल सरकार आंध्र राज्य से चावल खरीदने के लिये भारत सरकार द्वारा निश्चित मूल्य और जिस मूल्य पर भारत सरकार आंध्र राज्य से चावल खरीद रही है उससे बहुत अधिक मूल्य दे रही है ? मूल्य का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । आप कहीं भी और कुछ भी खरीद सकते हैं परन्तु यदि आप उपयुक्त रूप से अधिकृत न हों और आपको ऐसा करने की उचित सुविधायें न दी गयी हों तो आप महंगा खरीदते हैं।

†**श्री अ० प्र० जैन :** एक समय तो यह आरोप था कि केरल सरकार ने उस मूल्य से अधिक मूल्य दिया जो मूल्य केन्द्रीय सरकार दे रही थी। इस सदन को मालूम है कि ऐसा करने के कारणों की जांच पड़ताल करने के लिये उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को नियुक्त किया गया था। मेरी वर्तमान जानकारी यह है कि केरल सरकार नियंत्रित दरों पर खरीद रही है ।

रूपनारायण नदी पर सड़क का पुल

+

†*५३. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूपनारायण नदी पर सड़क के पुल (राजपथ संख्या ६) का निर्माण करने के लिये टेंडर मांगे गये हैं, उनकी जांच की जा चुकी है और अन्तिम रूप से ठेका दे दिया गया है ;

(ख) क्या नदी के पार जाने की सुविधा उपलब्ध करने के लिये कोई अन्तरिम व्यवस्था की गयी है ; और

(ग) पुल के स्थान का चुनाव करने के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत् गवेषणा केन्द्र, पूना, में कितने समय तक प्रतिमान संपरीक्षा[1] की गयी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) रीइनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के वैकल्पिक डिजाइन के लिये जिस पर विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होगी ताजा टेंडर मांगे गये थे और वे हाल ही में लोक निर्माण विभाग, बंगाल द्वारा प्राप्त किये गये हैं। टेंडरों की जांच होने के बाद अन्तिम रूप से ठेका दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Model Experiment.

(ख) जी, हां। क्रासिंग पर एक यात्री नौका सेवा (फेरीं सर्विस) चालू है और माल की लदी हुई गाड़ियों को लाने ले जाने के लिये इसको शक्ति चालित नौका सेवा (पावर फेरी सर्विस) में परिवर्तित करने के लिये लागत का अनुमान स्वीकार कर दिया गया है। पावर फेरी घाट का निर्माण किया जा रहा है ।

(ग) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् गवेषणा केन्द्र, पूना, में कोई प्रतिमान संपरीक्षा नहीं की गयी क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी। तथापि, चुने हुए स्थान के बारे में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् गवेषणा केन्द्र, पूना, के निदेशक की राय ली गयी और वे प्रस्ताव से सहमत हो गये ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** इस पुल का निर्माण करने के निश्चय पर पहुंचने से पूर्व क्या सरकार ने रेल और सड़क पुल के बारे में सोचा था और यदि हां, तो क्या इस विषय में रेलवे मंत्रालय से परामर्श किया गया था ?

†**श्री राज बहादुर :** रेलवे मंत्रालय से हमेशा परामर्श लिया गया है। जिस वर्तमान स्थान का अनुमोदन किया गया है वह नदी पर वर्तमान रेलवे पुल से आधा मील ऊपर की ओर है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** राष्ट्रीय राजपथ द्वारा कलकत्ता से बम्बई को मिलाने के लिये इस पुल का निर्माण किया जा रहा है । यह निर्णय कब किया गया था और इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है ?

†**श्री राज बहादुर :** १९५६ में यह निर्माण किया गया था। आरम्भ में पूर्व दबाये गये कंक्रीट के डिजाइन और आधार पर टेंडर मांगे गये थे जिसमें ६ लाख रुपये तक विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त थी । अतः विदेशी मुद्रा के खर्च में मितव्ययता करने के लिये उनको डिजाइन बदलने को कहा गया और इस ही लिये समय लग गया।

†**श्री सुबोध हंसदा:** मंत्री महोदय ने अभी कहा कि शक्ति पावर फेरी निर्माणाधीन है । इस को कब चालू किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** जैसे ही घाट और राज्य सरकार तैयार हो जायेगी इसको चालू कर दिया जायेगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या उपागमन मार्गों[1] का निर्माण किया जा चुका है ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं ठीक प्रकार यह नहीं बता सकता कि उपागमन मार्गों का निर्माण किया जा चुका है या नहीं ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** लगभग २२ वर्ष पहले निकटस्थ रेलवे पुल को खतरा हो गया था और पूना के गवेषणा केन्द्र ने इसकी गवेषणा की थी। क्या उस गवेषणा के परिणामों को ध्यान में रखा गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** मैं मूल प्रश्न के उत्तर में बतला चुका हूं कि जल गवेषणा केन्द्र, पूना, के चेयरमैन से वर्तमान स्थान के बारे में परामर्श किया गया है। इस परामर्श के बाद ही इस वर्तमान स्थान को स्वीकार किया गया है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** रुपमती नदी पर सड़क के पुल की अनुमानित लागत क्या है ?

†**श्री राज बहादुर :** १,१२,२१,५०० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Approach Roads.

भूतल जल निस्सारण व्यवस्था में सधार

+

†*५४. { **श्री रा० चं० माझी :**
श्री सबोध हंसदा :

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतल जलनिस्सारण व्यवस्था[1] में सुधार करने के लिये बाढ़ नियंत्रण के लिये उपलब्ध निधि में से धन देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने इसे स्वीकार कर लिया है ?

† **सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). जी, हां ।

†**श्री रा० चं० माझी** : भूतल जल निस्सारण, व्यवस्था में सुधार करने के लिये कुल कितने धन की आवश्यकता है और बाढ़ नियंत्रण निधि में से कितना धन दिया जायेगा ?

†**श्री हाथी** : जल निस्सारण के बारे में राज्यों ने सारी योजनाओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है परन्तु उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार ने कुछ योजनायें बनायी हैं और राजस्थान सरकार से भी योजना बनाने को कहा गया है । पंजाब ने १३० लाख रुपये की लागत वाली ४० जल-निस्सारण योजनायें बनायी हैं । इसके अतिरिक्त उनकी दो योजनायें और हैं । उत्तर प्रदेश की ६० लाख रुपये की लागत की ४४ योजनायें हैं और इसके अतिरिक्त तीन अन्य योजनायें भी हैं । राजस्थान की लगभग ५५ लाख रुपये की योजनायें होंगी ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : बिहार के बारे में क्या है ?

†**श्री हाथी** : बिहार से हमें अभी योजनायें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा:** क्या इन योजनाओं को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था और क्या इस कार्य के लिये कोई धन अलग रखा गया था ? इस पर कितना धन खर्च किया जा चुका है ?

†**श्री हाथी** : बाढ़ सुरक्षा कार्य और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये धन अलग रखा गया था । यह प्रति वर्ष सम्मिलित किया जाता है । ७ करोड़ ६१ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या इस निधि में से प्रत्येक राज्य के लिये पृथक रूप से धन रखा गया है ?

†**श्री हाथी** : विभिन्न राज्यों को प्रति वर्ष आवंटन किया जाता है ।

†**श्री रंगा :** क्या इसमें गोदावरी नदी पर बाढ़ के किनारे के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये आन्ध्र सरकार की योजना भी सम्मिलित है जिसको १९५३ में भयंकर बाढ़ से हानि उठानी पड़ी ?

†**श्री हाथी :** आन्ध्र से हमें कोई जल-निस्सारण योजना प्राप्त नहीं हुई परन्तु आन्ध्र प्रदेश के लिये १९५८-५९ में ४६ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : हमारे ब्रज को हानि हुई है .....

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Surface drainage.

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहिये और जब मैं उनको पुकारूं तब वे प्रश्न पूछें ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप:** हमारी ब्रज भूमि को पानी से बहुत नुकसान पहुंचा है । हो सकता है भगवान कृष्ण के विरुद्ध इन्द्र का प्रकोप अब भी असर दिखा रहा है ! समूचे गिरिराज में और उसके चारों ओर पानी ही पानी है । इसका क्या उपाय किया गया है ?

†**श्री हाथी :** उत्तर प्रदेश सरकार ने एक गोवर्द्धन योजना बनायी है ।

†**श्री रा० चं० माझी :** क्या पानी से भरे हुये क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो कुल क्षेत्र कितना है ?

†**श्री हाथी :** 'पानी भर जाना' एक सामान्य पद है । इसमें दो चीजें सम्मिलित हैं, भूतल जल निस्सारण और अधो-भूमि जल निस्सारण । उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में भूतल जल निस्सारण का अनुमान ५ लाख एकड़ है ।

†**श्री नवल प्रभाकर :** क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले दिनों जो दिल्ली में भारी वर्षा हुई थी और सारी जमींदोज नालियां उबल पड़ी थीं और जिसका पानी देहातों में अभी भी भरा हुआ है, उसके सम्बन्ध में कोई स्कीम तैयार की गई है , और अगर तैयार की गई है तो वह क्या है ?

†**श्री हाथी :** दिल्ली राज्य सरकार द्वारा नज़फगढ़ नाला जल-निस्सारण योजना तैयार की जा रही है ।

†**श्री बर्मन :** क्या पश्चिमी बंगाल सरकार से किसी निश्चित तिथि तक कोई योजना भेजने को कहा गया है और यदि हां, तो कौन सी तिथि तक ?

†**श्री हाथी :** किसी भी विशेष योजना अथवा राज्य के लिये कोई निश्चित तिथि नहीं रखी गयी है परन्तु केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में जहां कि पश्चिमी बंगाल के मंत्री भी उपस्थित थे इस पर विचार किया गया था और उनसे ऐसा करने को कहा गया था ।

†**श्री दी० चं० शर्मा:** क्या ये सब योजनायें और विशेष रूप से पंजाब की योजनायें एक या दो वर्षों में या द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक पूरी हो जायेंगी ?

†**श्री हाथी:** हमें कुछ योजनाओं को अर्थात् बड़ी योजनाओं को १९६०–६१ तक पूरा करने की आशा है ।

श्री विभति मिश्र : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि बिहार से कोई स्कीम नहीं आई । तो क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार गवर्नमेंट से कभी कहा है कि वहां पर फ्लड्स से रक्षा के लिये कोई स्कीम है या नहीं ?

†**श्री हाथी:** जैसा मैंने अभी बताया, केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में जल निस्सारण योजनाओं के इस प्रश्न पर विचार किया गया । सब राज्यों से इसको प्राथमिकता देने और अपनी योजनायें भेजने को कहा गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे की भूमि

†*५५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या रेलवे मंत्री २५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय ने पानिहाटी नगरपालिका के अधीन मोज़ागोला और वास्मानपुर में पूर्व रेलवे की जलमग्न भूमि को विस्थापितों के पुनर्वास के लिये देने का निश्चय किया है ; और

(ख) पुनर्वास मंत्रालय ने उससे यह मामला कब उठाया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) क्योंकि इस भूमि की रेलवे के कार्य के लिये आवश्यकता है अतः इसको नहीं दिया जा सकता ।

(ख) पुनर्वास मंत्रालय द्वारा तो यह मामला नहीं उठाया गया था, परन्तु अगस्त, १९५८ में पश्चिमी बंगाल के शरणार्थी सहायता और पुनर्वास विभाग के मंत्री ने यह प्रश्न उठाया था ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पहले भी कई बार रेलवे से वह भूमि शरणार्थी पुनर्वास के लिये देने को कहा गया था जो कि कई वर्षों से जलमग्न पड़ी है अथवा जिसका रेलवे ने उपयोग नहीं किया है। क्या सरकार की यह नीति है कि भविष्य में जो भी भूमि केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित हो और जिसका प्रयोग भी न हो रहा हो वह भी शरणार्थी पुनर्वास के लिये नहीं दी जायेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां:** अगर यह हमारे अपने काम के लिये अपेक्षित है तो यह नहीं दी जायेगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह क्षेत्र जलमग्न क्षेत्र है और इसका पश्चिमी बंगाल सरकार के पुनर्वास मंत्रालय ने सर्वेक्षण किया है। क्या सारा क्षेत्र रेलवे के कार्य के लिये इस्तेमाल किया जायेगा और इस पर भवन निर्माण कब आरम्भ होगा ?

†**श्री शाहनवाज खां :** समूचा क्षेत्र लगभग ५४ एकड़ है । यह सच है कि इसका कुछ भाग जलमग्न है । इस लिये हम वहां राख और अन्य चीजें डाल रहे हैं । हमें इसकी आवश्यकता है । हम अपने रेलवे क्वार्टर बनाना चाहते हैं ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** रेलवे के पास कुछ ऐसी भूमि है जो किसी भी काम की नहीं है । ये भूमियां राज्य सरकारों को किसानों को देने के लिये दी जाती हैं । क्या रेलवे मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है कि इन जमीनों का नीलाम न करके इन्हें भूमिहीन कृषकों को दे दिया जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह एक सुझाव दे रहे हैं कि यह भूमि नीलाम में न बेच कर भूमिहीन कृषकों को दे दी जाये । यह एक सुझाव मात्र है । मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे । अगला प्रश्न ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** उन्होंने ऐसा नहीं कहा है ।

†**श्री च० कृ० नायर :** क्या रेलव की ऐसी कोई भूमि अधिक उत्पादन के लिये दी जाती है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : जहां कहीं भी ऐसी फालतू भूमि है जो कृषि कार्यों में प्रयुक्त की जा सकती है, उसको खाद्य उत्पादन के लिये कुछ समय के लिये स्थानीय व्यक्तियों को देने के लिये राज्य सरकारों को दे दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मालगाड़ी का पटरी से उतरना

+

†*५६. **श्री आसर :**
श्री मोहम्मद इमाम :
श्री अगाड़ी :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ दिसम्बर, १९५८ को दक्षिण रेलवे पर बेलगांव और मिराज के बीच एक मालगाड़ी पटरी से उतर गयी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह सच है कि यात्रियों को सताया गया और उनको हुबली स्टेशन पर ठहरने के लिये विवश किया गया ; और

(घ) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्योरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां । मालगाड़ी २३–१२–५८ को पटरी से उतरी थी, २२–१२–५८ को नहीं ।

(ख) दुर्घटना के कारणों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ग) और (घ) सताये जाने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है । ५५ यात्रियों को, जो हुबली पर गाड़ी के बदले जाने की पूर्व सूचना दिये जाने पर भी हुबली पहुंच गये, हर संभव सहायता दी गयी ।

†**श्री आसर :** क्या यह सच है कि इन उत्पीड़ित व्यक्तियों और यात्रियों ने हुबली में प्रदर्शन किया और सत्याग्रह किया और यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

†**श्री सें० वें०रामस्वामी** : मैं कह चुका हूं कि वहां पर कोई उत्पीड़न नहीं हुआ । बल्कि उनको हर संभव सहायता दी गयी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि जब वहां हर चीज की व्यवस्था थी तो सत्याग्रह की क्या आवश्यकता थी ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : हमें किसी सत्याग्रह का पता नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय को किसी सत्याग्रह का पता नहीं है ।

†**श्री जगजीवन राम :** यात्री वहां पर रात के साढ़े ९ बजे पहुंचे और उनके लिये प्रातः ४ बजे दूसरी रेलगाड़ी की व्यवस्था कर दी गयी । यात्रियों को जो भी कठिनाई या असुविधा हुई वह इसी कालावधि में थी । हमें पता चला था कि लाइन रुकी हुई थी । इसमें कुछ समय लगा होगा ।

†**श्री मोहम्मद इमाम:** क्या यह सच नहीं है कि बेलगांव से बंगलौर तक इसी रेलवे लाइन पर मई, १९५८ से मालगाड़ी के पटरी से उतरने की एक दर्जन से अधिक घटनायें हो चुकी हैं और

†मूल अंग्रेजी में

यदि हां, तो गाड़ियों के इतनी जल्दी जल्दी पटरी से उतर जाने के क्या कारण हैं? उनको दूर करने के लिये रेलवे अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इसके सम्बन्ध में एक पृथक प्रश्न पूछा जाना चाहिये ।

†**श्री जगजीवन राम** : जैसा कि उपमंत्री महोदय बतला चुके हैं, जांच की रिपोर्ट अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुई है । परन्तु हमें जो प्रारम्भिक प्रतिवेदन मिला है, उससे पता चलता है कि रेलवे लाइन में कोई खराबी नहीं थी । इसका कारण मानवीय तत्वों की असफलता था । यदि कोई और पटरी से उतरने की घटनायें हुईं तो मैं इस प्रश्न की जांच करूंगा और देखूंगा कि क्या कार्यवाही आवश्यक है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री अगाड़ी : क्या वे यहां नहीं हैं ? श्री सिद्धनंजप्पा । कभी कभी मैं नाम पुकारने में असमर्थ रहता हूं । कल एक माननीय सदस्य ने मुझे पर्ची भेजी थी और मैं असावधानी में उनका नाम न पुकार सका क्योंकि वे यहां नहीं थे यद्यपि वे खड़े हुये थे । अतः मैं सब नाम पुकारता हूं चाहे वे उपस्थित हों या नहीं । प्रश्न पूछना उनका काम है । जब मैं किसी अन्य सदस्य का नाम पुकारूं तो कोई अन्य माननीय सदस्य प्रश्न न पूछें । मैं यही कर सकता हूं ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे पर गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनायें पिछले तीन महीनों से वृद्धि पर हैं और यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह लम्बा प्रश्न है ।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं इस सामान्य प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा ।

†**श्री आसर** : क्या यह सच है कि गाड़ी के पटरी से उतर जाने की घटना की सूचना मिराज स्टेशन को समय पर नहीं दी गई ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी**: वास्तव में इसकी सूचना दी गयी थी । एक विशेष रेलगाड़ी चलायी गयी थी और सामान्य टिकटों वाले यात्रियों को भी इस एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा जाने दिया गया । सब सुविधायें दी गयीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न । श्री केशव ।

†**श्री केशव** : प्रश्न संख्या ५७ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या ५७ तो २० फरवरी को उत्तर के लिये रख दिया गया है ।

दिल्ली में बिजली की दरें

+

†*५८. **श्री राधा रमण** :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली बिजली की दरों का पुनरीक्षण करने वाली है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह पुनरीक्षण किस प्रकार का है ; और

(ग) सरकार ने किन बातों के ख्याल से यह पुनरीक्षण करने का विचार किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ग). बिजली और पंखे के लिये बिजली की दरों और छोटे उद्योग और मीडियम पावर उपभोक्ताओं के लिये बिजली की दरों में पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव सरकार के नहीं, दिल्ली के नगरपालिका निगम के विचाराधीन है ।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार के पास दिल्ली में बिजली की लागत और उससे बिजली-उद्योग को होने वाले लाभ के सम्बन्ध में आंकड़े मौजूद हैं ?

†**श्री हाथी** : मेरे ख्याल से यह जानकारी अभी भारत सरकार के पास नहीं है ।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार के पास देश के अन्य बड़े बड़े शहरों की दरों और यहां दिल्ली की दरों के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े हैं और अन्य शहरों की दरों की तुलना में यहां की दरें कैसी ठहरती हैं ?

†**श्री हाथी** : विभिन्न राज्यों के विभिन्न भागों में प्रचलित दरों के आंकड़े सरकार के पास तो मौजूद हैं पर वे यहां मेरे पास इस समय मौजूद नहीं हैं जिनसे मैं आपको कोई तुलनात्मक बात बता सकूं ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या सरकार ने अपनी ओर से भी बिजली की दरों में कमी करने की सम्भावनाओं पर विचार किया है ताकि छोटे पैमाने के उद्योग भारत की राजधानी में कुछ पनप सकें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह छोटे उद्योगों के बारे में पूछ रहे हैं ।

†**श्री हाथी** : यह प्रश्न दिल्ली में नगरपालीय निगम द्वारा दरों के प्रस्तावित पुनरीक्षण के बारे में है । यह कार्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, सरकार द्वारा नहीं ।

†**श्री राधा रमण** : क्या दिल्ली में बिजली उत्पन्न करने के कार्य का हस्तान्तरण कर देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ? दिल्ली नगर निगम ने यह दावा किया है कि यदि यह हस्तान्तरण कर दिया जाता तो दरें घट जातीं ।

†**श्री हाथी** : मेरे ख्याल से ऐसा तो कोई प्रस्ताव नहीं है । हाल ही में हमने जो १९५७ का दिल्ली नगर निगम अधिनियम स्वीकार किया है उसके अनुसार बिजली के वितरण, बिजली उत्पन्न करने आदि के काम की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम पर ही है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जहां दिल्ली शहर में २२ नये पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली सप्लाई की जाती है वहां दिल्ली के ही एक भाग नरेला में बिजली ६२ नये पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सप्लाई की जा रही है और इसका क्या कारण है ? जब दिल्ली एडवाइजरी कमेटी ने यह मंजूर कर लिया है कि यह असमानता ठीक नहीं है और उस बिजली कम्पनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाना चाहिये, इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, इसका क्या कारण है ?

†**श्री हाथी** : मेरे ख्याल से माननीय सदस्य नरेला कम्पनी का जिक्र कर रहे हैं । भारत सरकार कमिश्नर से आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कह चुकी है और वह इस मामले में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नवल प्रभाकर : यह नेसैसरी स्टेप्स् कब तक ले लिये जायेंगे ?

†**श्री हाथी** : फौरन ।

†**श्री सूपकार** : क्या इस समस्या की जांच के लिये इस क्षेत्र की कोई विद्युत परिषद् है ?

†**श्री हाथी** : निगम की विद्युत उपसमिति है जो इस मामले की देखरेख करती है ।

सार्वजनिक टेलीफोन

†*५९. { **श्री राम कृष्ण** :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक टेलीफोनों में नकली सिक्कों का प्रयोग रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी या की जाने वाली है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : सिक्के जमा करने वाले बक्सों से टेलीफोन करने के लिये टोकनों का प्रयोग करने की एक योजना के सम्बन्ध में अभी जांच जारी है । यदि यह व्यवहार्य सिद्ध हुई तो लगभग ६ मास में इसे एक या दो स्थानों पर लागू कर दिया जायेगा ।

†**श्री राम कृष्ण** : नये सिक्के चालू होने से नकली सिक्कों का डाला जाना किस हद तक रुका है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जहां तक नकली सिक्कों का प्रश्न है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता । कोई भी प्रणाली हो, वह तो डाले ही जायेंगे ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : नकली सिक्के डालने के ऐसे कितने मामलों का पता चला है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हमारे पास इनका लेखा जोखा नहीं है । अगर हो भी तो अभी यहां मेरे पास तो नहीं ही है ।

†**श्री तंगामणि** : पहले इसी प्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय न बताया था कि एक वैज्ञानिक समिति नियुक्त की गयी है और हमें यह बता दिया जायेगा कि उसके सदस्य कौन-कौन हैं । क्या मैं उस समिति के सदस्यों के नाम जान सकता हूं और क्या वह समिति इस मसले पर भी विचार करेगी ? उस समिति ने दरें पुनः निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार करके दो आने के स्थान पर २० नये पैसे लागू किये और अन्ततोगत्वा १५ नये पैसे की दर निश्चत हो गयी । मैं इस समिति के सदस्यों के नाम जानना चाहता हूं और क्या यह समिति इन नकली सिक्कों के बारे में भी सिफारिश करेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मुझे यह तो याद नहीं है कि यह बात निदश-पदों म है या नहीं । समिति ने यह सिफारिश की थी कि यह दर २० नये पैसे होनी चाहिये लेकिन सरकार ने थोड़ा पुनरीक्षण कर इसे १५ नये पैसे कर दिया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री खाडिलकर :** क्या मंत्री महोदय को पता है कि अधिकांश सार्वजनिक टेलीफोन बिगड़े रहते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि आप जो दो सिक्के—एक १० नये पैसे का और दूसरा ५ नये पैसे का--डालते हैं वह बेकार चले जाते हैं और इससे जनता को जो लाभ या सेवा प्राप्त होनी चाहिये वह व्यर्थ जाती है। इसलिये, इन टेलीफोनों को बिल्कुल ठीक रखने के लिये क्या कार्यवाही की जाती है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह कठिनाई काफी पुरानी है। यदि बक्से पहले से ही काफी अच्छी हालत में न हों तो ऐसा हो जाया करता था, और इसीलिये यह टोकनों वाला प्रश्न उठता है। इनसे शायद यह कठिनाई दूर हो जाय और इसीलिये मैंने इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि हम टोकन चलाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और हो सकता है कि इससे मौजूदा प्रणाली में कुछ सुधार हो जाये।

पाकिस्तान से फलों का आयात

†***६०. श्री अ० मु० तारिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से फलों का, विशेष रूप से अंगरों का आयात किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत में अंगूरों के बगीचे विकसित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने वाली है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां। लेकिन अंगूरों का आयात मुख्यतया अफ़गानिस्तान से किया जाता है।

(ख) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८]**

श्री अ० मु० तारिक : आपने जो स्टेटमेंट टेबल पर रखा है उसमें जहां आपने और जगहों का जिक्र किया है वहां आपने काश्मीर रियासत का जिक्र नहीं किया है जहां कि अंगूर की पैदावार बहुत होती थी और जहां आला किस्म के अंगूर होते थे। आपकी लिस्ट में काश्मीर का कोई जिक्र नहीं है।

डा० पं० शा० देशमुख : हमारे पास इस बारे में कोई सूचना नहीं थी, इसलिये इसमें काश्मीर का कोई जिक्र नहीं है।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने काश्मीर में अंगूर के डेवलपमेंट के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा बढ़ाने के लिये।

डा० पं० शा० देशमुख : अभी तक हमारे पास काश्मीर से कोई स्कीम नहीं आई है। अगर हमारे पास कोई स्कीम आवेगी तो हम उस पर गौर करेंगे।

श्री अ० मु० तारिक : यह ठीक है कि काश्मीर से आपके पास स्कीम नहीं आयी है। लेकिन यह चीज हम दूसरे मुल्क से मंगाते हैं और इस पर हमारी कसीर रकम खर्च होती है। इसलिये यह

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारा फर्ज हो जाता है कि हम अपने मुल्क के उन हिस्सों म जहां यह चीज पैदा हो सकती है इसको डेवलप करने के लिये कदम उठायें। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपनी सरकार से भी यह प्रश्न उठायें।

श्री पद्म देव : माननीय मंत्री जी को यह भली भांति मालूम है कि हिमाचल के तहसील चम्बा में ३२०० मुरब्बा मील का क्षेत्र ऐसा है जहां अंगूर, चिलगोजा, पिश्ता, और बादाम की अच्छी पैदावार हो सकती है। वहां के सम्बन्ध में क्या माननीय मंत्री जी ने कोई विशेष योजना बनायी है।

डा० पं० शा० देशमुख : अगर आनरेबल मेम्बर इस स्टेटमेंट को देखते . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति ! शान्ति ! प्रश्न संख्या १०६ एक पृथक प्रश्न है जिसका सम्बन्ध मेवा से है। यह केवल अंगूरों के बारे में है और वह प्रश्न आमतौर से मेवा के बारे में है। उस प्रश्न के लिये जाने तक माननीय सदस्य रुके रहें।

श्री पद्म देव : अंगूर के ही बारे में यह प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अंगूर दूसरों से पृथक है।

श्री पद्म देव : अंगूर के लिये चीनी तहसील निहायत उपयुक्त है और अभी भी वहां कई किस्म के अंगूर पैदा किये जाते हैं। मेरा कथन यह है कि इसको अधिक वृद्धि देने के लिये हमारी सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** चीनी में १९५७ में एक गवेषणा केन्द्र की स्थापना की गयी थी और हम २·११ लाख रुपये खर्च करने वाले हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है कि हिमाचल प्रदेश हमारे यहां के उन प्रमुख क्षेत्रों में है जिनमें अंगूर पैदा होते हैं और हम उस पर उचित ध्यान दे रहे हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : हिमाचल प्रदेश से अच्छा प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा का है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर अंगूर की खेती के लिये सरकार की तरफ से क्या प्रबन्ध हो रहा है ?

श्री अ० प्र० जैन : आनरेबल मेम्बर जानते हैं कि एग्रीकल्चर और हारटीकल्चर स्टेट सबजेक्ट हैं। अगर वह थोड़ी दिक्कत उठा कर वहां से कोई स्कीम भिजवाते तो वह मंजूर हो गयी होती।

†**श्री जाधव:** कुल कितने एकड़ क्षेत्र में अंगूरों के बाग लगे हैं और क्या सरकार का बम्बई के नासिक जिले में एक गवेषणा केन्द्र खोलने का कोई इरादा है ?

†**श्री रंगा :** नासिक, हैदराबाद और बंगलौर।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मुझे नासिक के बारे में तो नहीं मालूम । लेकिन बम्बई सरकार अंगूरों के विषय में बहुत उत्सुक है और हम उन्हें यथासम्भव पूरी सहायता और जो वह मांग रहे हैं वह भी उन्हें दे रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान से और दूसरे देशों से इस समय कितनी मात्रा में अंगूर हमारे देश में आ रहे हैं, और कब तक हमारा देश इस सम्बन्ध में स्वावलम्बी हो सकेगा?

डा० पं० शा० देशमुख : ज्यादातर अफ़गानिस्तान से ही अंगूर हिन्दुस्तान में आते हैं और १९५७ में . . . . . .

†हमने लगभग ५६,४०,००० रुपये के मूल्य के लगभग १४६,००० हंडरवेट अंगूरों का आयात किया था । आयात मुख्यत: अफ़गानिस्तान से किया गया । १९५८ में हमने ३१,११,००० रुपये के मूल्य के ८६,००० हंडरवेट अंगूरों का आयात किया ।

श्री भक्त दर्शन : मेरे प्रश्न के दूसरे अंश का जवाब नहीं दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह स्पष्ट ही जोड़ पूछ रहे हैं ।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** अपने यहां अंगूर उगाने का भरसक यत्न किया जा रहा है ।

राजा महेन्द्र प्रताप : पाकिस्तान और हिन्दुस्तान को एक कर दीजिये फिर यह सवाल ही नहीं उठेगा ।

†**श्री दासप्पा** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि बंगलौर के इर्द-गिर्द वाला इलाका ही सबसे बड़ा ऐसा इलाका नहीं है जिसमें अंगूर पैदा किये जाते हों ? अभी ही ३००० एकड़ के क्षेत्र में अंगूरों के बाग हैं । वास्तव में भाव गिरते जाने के कारण उन्हें अपने अंगूरों के लिये बाजार नहीं मिल रहे हैं । इन अंगूरों को भारत के दूसरे भागों में भेजने के लिये कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : माननीय सदस्य ने जो क्षेत्रफल बताया है वह बिल्कुल ठीक है । यह ३००० एकड़ के आसपास ही है । कीमतों के बारे में अभी तक तो मैंने कोई शिकायत नहीं सुनी है । हम कुछ भी नहीं कर पाये हैं ।

†**एक माननीय सदस्य** : उन्हें दिल्ली भेज दीजिये ।

श्री अ० मु० तारिक: स्टेटमेंट में वजीर साहब ने फरमाया है कि हमने प्लान पर २,११,००० रुपये की रकम रखी थी हिमाचल प्रदेश के लिये । उसमें से अब तक कुल ३६,५६६ रुपया खर्च हुआ है । इससे जाहिर है कि हमारी रफ्तार किस कदर सुस्त है । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस रफ्तार में कुछ तेजी की जाये तो कोई मुजाइका नहीं होगा ।

डा० पं० शा० देशमुख : रफ्तार तेज करने के लिये कोशिश हो रही है मगर कुछ दिक्कतें भी सामने आती हैं । यह रिसर्च का काम है और इसके लिये अच्छे आदमी चाहियें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में गेहूं के भावों में वृद्धि

+

†*६१. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री राम कृष्ण :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री वाजपेयी :
श्री रघुनाथ सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में गेहूं के भाव बहुत ऊंचे चढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो भाव चढ़ जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) दिल्ली के लोगों को कम भाव वाले गेहूं के संभरण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख). जी हां, देशी गेहूं के भाव बढ़ गये हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि दिल्ली में देशी गेहूं पंजाब से आता है और वहां गेहूं के भाव बढ़ गये हैं । पंजाब में भाव बढ़ जाने का कारण आंशिक रूप से यह हो सकता है कि बाजार में गेहूं की कमी हो, या भाव और चढ़ जाने के भय से खरीदारों ने अंधाधुंध गेहूं खरीद लिया हो और आंशिक रूप से यह भी संभव है कि जहां भी मुमकिन हुआ हो व्यापारियों ने अवसर से लाभ उठा कर दाम बढ़ा दिये हों ।

(ग) नवम्बर के मध्य से सरकार ने मिलों से केवल आयात किये गेहूं का आटा तैयार करने के लिये कह कर बाजार में सस्ते आटे के संभरण की व्यवस्था कर दी है । जनवरी में आरम्भ से ही मिलों का कोटा उनकी शक्तिभर बढ़ा कर इस आटे की उपलब्धि बढ़ा दी गई है । इसके अलावा लगभग २०० उचित मूल्यवाली दूकानों से आयात किये गये गेहूं की बिक्री की व्यवस्था भी की गई है । ये संभरण दिल्ली की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त हैं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या यह सच है कि दिल्ली में गेहूं के भावों में हुई मौजूदा वृद्धि के पहले ही अधिकारियों को पता था कि गेहूं चोरी-छिपे पड़ोसी राज्यों में ले जाया जा रहा है, और यदि हां, तो इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री अ० म० थामस :** पंजाब और दिल्ली एक ही जोन के भीतर हैं । यह आरोप लगाया गया था कि गेहूं चोरी से उत्तर प्रदेश ले जाया जाता है, और इसे रोकने के लिये कार्यवाही की गयी थी ।

---

†मुल अंग्रेजी में

†**श्री जगदीश अवस्थी** : क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री त्यागी** : मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री नवल प्रभाकर : दिल्ली की जन-सम्पर्क समिति में खाद्य समस्या के सम्बन्ध में विचार किया गया था और उसके बहुत सारे सदस्यों की यह राय है कि जो आटा इस समय सरकार की ओर से दिया जाता है, उसके अन्दर चावल की कनकी पीसी जाती है और इसी तरह के सस्ते अनाज उसमें पीस कर दिये जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : इस वक्त जिस कीमत पर हम गेहूं दे रहे हैं, उससे और सस्ता अनाज कोई नहीं है । माननीय सदस्य ने जो कनकी के बारे में कहा है, हमारी इत्तिला यह है कि वह बिल्कुल ग़लत बात है और यह बात किसी खास इन्ट्रेस्टिड तरीके से उठायी गई है ।

श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री जी ने बताया कि ट्रेड ने सिचुएशन को एक्सप्लायट किया । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने उसके लिये क्या दवाई की ?

श्री अ० प्र० जैन : बहुत सारी जगह स्टाक्स सीज़ किये गये । पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ उन लोगों के परमिट कैंसिल कर दिये, जो कि स्मगलिंग में लगे हुये थे । पंजाब गवर्नमेंट जरा तगड़े तौर से उनको पकड़ रही है ।

श्री राधा रमण : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी यह जानकारी है कि यहां से रोज़ाना करीब करीब बीस हज़ार व्यक्ति रेल के ज़रिये दो दो, ढाई ढाई सेर गेहूं बाहर ले जाते हैं और वह सब स्मगल होता है । क्या उसको भी रोकने की ज़रूरत है ?

श्री अ० प्र० जैन : मैं इसको स्मगलिंग नहीं कहूंगा, क्योंकि कानून के मुताबिक हर एक आदमी यहां से पांच सेर गेहूं ले जा सकता है । आखिर लोग यहां आते जाते हैं और उनको ज़रूरत होती है । हमारा उनको रोकने का इरादा नहीं है । आपने जो बीस हजार की संख्या बताई है, उसका मुझे तो पता नहीं है ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : आज सबेरे खुफिया पुलिस के एक प्रसिद्ध अफ़सर, लोदी कालोनी के श्री बाली मेरे पास आये और कहने लगे कि वह ऐसे कई बड़े बड़े दूकानदारों और दूकानों का पता लगा सकते हैं जहां अनाज जमा है । क्या आप उनकी सेवाओं से लाभ उठायेंगे ? वह आपकी सहायता करने के लिये तैयार हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो कार्य के लिये सुझाव है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि २०० उचित मूल्यवाली दूकानें चलायी गयी हैं । क्या यह सच है कि ये दूकानें लोगों को आटा और गेहूं का संभरण करने के लिये अपर्याप्त हैं, और यदि हां, तो क्या इनकी संख्या बढ़ायी जाने वाली है ? दिल्ली के बाजारों में आटा और गेहूं किस भाव पर मिल रहा है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : यह २०० संख्या केवल गेहूं की दूकानों के बारे में है । वैसे तो दिल्ली में ४००० दूकानें चलती हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं गेहूं और आटे का बाजार-भाव जानना चाहता था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह सोच कर जवाब दे देंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री वाजपेयी : खाद्य समस्या के हल में सहायता देने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को सर्वदली समिति बनाने का सुझाव केन्द्र की ओर से दिया गया था। क्या इस प्रकार की कोई समिति दिल्ली में बनी है और यदि नहीं, तो क्या वह बनेगी, और अगर नहीं बनेगी, तो क्यों नहीं बनेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सब इसी प्रश्न के भाग हैं।

श्री अ० प्र० जैन : यह मामला होम मिनिस्ट्री में आया। यहां पर एक सलाह देने वाली समिति है, जिस में बहुत सारे दलों का प्रतिनिधित्व है। अभी तक होम मिनिस्ट्री की राय यह हुई है कि सलाहकार कमेटी खाद्य के तमाम मामले को भी देख सकती है।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या यह सच है कि गल्ले की रोक-थाम के लिए जब दुकानों में स्टोर किया गया गल्ला पकड़ा गया, तो गवर्नमेंट ने केवल यू० पी० के दुकानदारों का गल्ला ले लिया, लेकिन पंजाब के दुकानदारों का गल्ला नहीं पकड़ा गया ? क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ऐसा क्यों किया गया और एक प्रकार के दुकानदारों पर यह ज्यादती क्यों की गयी ?

श्री त्यागी : क्योंकि मिनिस्टर यू० पी० के हैं।

श्री अ० प्र० जैन : पहली बात यह है कि आनरेबल मेम्बर की इत्तिला ठीक नहीं है। शुरू-शुरू में यह ज़रूर था कि यू० पी० के कुछ दुकानदारों ने बेजा नफ़ा कमाने के लिए इस उम्मीद पर कि पंजाब से उत्तर प्रदेश को गेहूं के जाने की जो रुकावट है, वह हट जायगी, आठ दस लाख मन या इस से भी ज्यादा अनाज खरीद लिया था और जिस वक्त यह फ़ैसला हो गया कि अब इस रुकावट को हटाया नहीं जायगा, तो यह मुनासिब समझा गया कि इस गल्ले को ले लिया जाए। बाद में पंजाब के जिन व्यापारियों ने बहुत तादाद में अनाज रखा हुआ था, जिन का यू० पी० से कोई सम्बन्ध नहीं था, उन का अनाज भी ले लिया गया।

श्री रा० स० तिवारी : क्या दिल्ली में अनाज बेचने वाली को-आपरेटिव सोसायटियां हैं या बड़े आदमियों को अनाज बेचने का काम दिया गया है ?

श्री अ० प्र० जैन : बड़े आदमियों का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे दुकानदार—खर्दा-फ़रोश हैं और कुछ को-आपरेटिव सोसायटियां भी हैं।

†**श्री राम कृष्ण :** गेहूं के भाव अब तक ज्यादा से ज्यादा कितने बढ़े हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** दिल्ली में अधिकतम भाव २०·५० रुपये था—यह दारा किस्म के लिये था।

चौ० रणबीर सिंह : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि देहात में खेत मज़दूरों को गहूं नहीं मिलता है और जिन लोगों को बहुत थोड़ी आमदनी है, उन को सस्ता गेहूं देने का क्या इन्तज़ाम किया गया है ?

श्री अ० प्र० जैन : मंत्री महोदय को यह भी पता है कि कुछ बड़े बड़े किसानों ने पंजाब में गांजों में अब भी अनाज को छिपा कर रखा हुआ है और उन से भी वह अनाज लिया जायेगा।

†**श्री स० म० बनर्जी :** इस समय दिल्ली में आटे और गेहूं का बाजार भाव क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन :** सभी आटा विदेशी गेहूं से बनता है और १५.८१ रुपये प्रतिमन के भाव पर बेचा जा रहा है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** आयात किये हुए गेहूं और आटे के विषय में आम शिकायत होने के कारण क्या सरकार प्रयोगशालाओं में उनकी जांच कराने के लिये कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** मैं वही आटा खाता हूं ; शायद अध्यक्ष महोदय भी वही आटा खाते हों, और तो कोई शिकायत हमें नहीं मिली है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय उसके बारे में मेरी राय जानना चाहेंगे ।

†**श्री हेम बरूआ :** हम जानना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

डीजल और बिजली के इंजन

†*६२. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री केशव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में डीज़ल और बिजली के इंजनों का निर्माण करने के लिये कुछ कार्यवाही की जा रही है , और यदि हां, तो क्या; और

(ख) रेलवे को इस समय ऐसे कितने इंजनों की आवश्यकता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां, यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) जिन इंजनों के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं उन के अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिये बड़ी लाइन के लगभग २५ मेन लाइन वाले डीज़ल इंजनों और ५३ बड़ी लाइन वाले डीज़ल शंटर इंजनों की आवश्यकता है ।

ए० सी० बिजली से रेलें चलाने की जिन योजनाओं के द्वितीय योजना-काल में पूरी हो जाने की आशा है उन के बारे में यह अनुमान है कि १५१ बिजली के इंजनों की आवश्यकता पड़ेगी । ११० इंज ों के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं । द्वितीय योजना की अवधि में मध्य रेलवे के लिये १५०० वोल्ट के सात डी० सी० इंजनों की भी आवश्यकता पड़ेगी ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** डीज़ल और बिजली के इंजनों के निर्माण के संबंध में अब जो प्रस्ताव विचाराधीन हैं उनका स्वरूप क्या है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** रेलवे मत्रालय में हमने यह नीति-विषयक निश्चय कर लिया है कि बिजली के इंजनों का सरकारी-क्षेत्र में विकास किया जायगा । डीज़ल इंजनों का विकास ग़ैर-सरकारी क्षेत्र के लिये छोड़ दिया जायगा । बिजली के इंजनों के विकास के लिये हमने ११० इंजनों के आर्डर विदेशों को दिये हैं । इन में से १० इंजन चित्तरंजन में अलग अलग पुर्जों की शक्ल में आ रहे हैं । इन इंजनों को चित्तरंजन में पुर्जे जोड़ कर तैयार किया जायगा और इस से हमारे कर्मचारियों को बहुमूल्य प्रशिक्षण प्राप्त हो जायगा । हमने अपने परामर्शदाताओं, फ्रेंच नेशनल रेलवेज़ से यह व्यवस्था कर ली

---

†मूल अंग्रेज़ी में

है कि वे अपने कारखानों में प्रशिक्षण पाने के लिये हमारे यहां के लोगों को विदेश भेजें। हमें आशा है कि बिजली के इंजनों के मेकैनिकल पुर्जे चित्तरंजन में बन जायेंगे। उसके बिजली वाले हिस्से भोपाल में बिजली का भारी सामान बनाने वाले कारखानें में बनेंगे।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या किसी विदेशी फर्म ने यहां डीज़ल इंजनों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** तीन विख्यात भारतीय फर्में, टेल्को, टैक्समाको और हिन्दुस्तान मोटर्स डीज़ल इंजन बनाती हैं। उनसे कहा गया है कि वे विदेशी फर्मों का सहयोग प्राप्त कर भारत में डीज़ल चालित रेलवे इंजनों के निर्माण के प्रस्ताव पेश करें।

†**श्री श्रीनारायण दास :** मैं यह जानता हूं कि इस सम्बन्ध में किन-किन विदेशी फर्मों को आमंत्रित किया गया है।

†**श्री केशव :** देश में बिजली से रेलें चलाने के हमारे विस्तारशील कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए क्या चित्तरंजन और टेल्को के कारखानों में बिजली के इंजनों का निर्माण आरम्भ करने की कोई योजना है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** यही बात तो उपमंत्री महोदय ने अभी बतायी है कि देश में बिजली के इंजन बनाने के संबंध में हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

†**डा० सुशीला नायर :** क्या इस बात का निश्चय करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है कि हम डीजल अथवा बिजली से कितने कितने अनुपात में इंजन चलवाना चाहते हैं ? मैं यह प्रश्न इस कारण से पूछ रही हूं कि बिजली तो हम अपने देश में लगातार बढ़ाते जायेंगे लेकिन डीज़ल तेल का हमको आयात करना पड़ता है।

†**श्री जगजीवन राम :** अभी से बिजली-डीजल-भाप से इंजन चलाने के अनुपात के संबध में अंतिम निर्णय नहीं किया जा सकता। लेकिन डीज़ल के जितने इंजन हम मंगा रहे हैं उनका उपयोग तो बिजली से रेलें चलाने की समस्त योजनाओं के पूरे हो जाने पर भी निकट भविष्य में होने लगेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** डीज़ल इंजनों के निर्माण के संबंध में विदेशी फर्मों के साथ सहयोग की जो अनुमति दी गयी है वह किस रूप में होगा—विदेशी पूंजी सहित संयुक्त उपक्रम के रूप में या कम्पनी में ही वास्तव में सहयोग के रूप में ?

†**श्री शाहनवाज खां :** यह ऐसा मसला है जिसका निबटारा रेलवे मंत्रालय नहीं, कोई दूसरा मंत्रालय करेगा।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या सरकार डीज़ल इंजनों का निर्माण करने वाली फर्मों के कुछ शेयर अपने हाथ में रखेगी ?

†**श्री जगजीवन राम :** जी नहीं, कोई शेयर रखने का मंशा नहीं है। वे निर्माता होंगे और यदि उनके दाम होड़ में टिक सके और माल हमारी विवरणी के अनुसार हुआ तो हम यह माल उन से खरीद सकते हैं।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : बिजली और डीज़ल के जिन इंजनों का निर्माण आरम्भ होने वाला है क्या वे सभी बड़ी लाइन के लिये ही होंगे या मीटर लाइन के इंजनों के निर्माण की अनुमति भी दी जायगी ?

---

† मूल अंग्रेज़ी में

†श्री शाहनवाज खां : ये दोनों के लिये होंगे।

†श्री प्र० चं० बोस : डीज़ल और भाप से चलने वाले इंजनों पर मील के हिसाब से तुलनात्मक रूप में कितना खर्च पड़ता है ?

†श्री जगजीवन राम : रफ्तार और अन्य बातों के सम्बन्ध में डीज़ल इंजन भाप के इंजनों से निश्चय ही अच्छे रहते हैं। यदि हम भाप के बजाय डीजल इंजन चलायें तो लाइन-क्षमता का अधिक उपयोग कर सकते हैं।

†श्री तंगामणि : क्या डीज़ल इंजनों के निर्माण का काम पूरी तरह इन तीनों निजी कम्पनियों, टेल्को, टैक्समाको, और हिन्दुस्तान मोटर्स पर ही छोड़ दिया जायगा या कम से कम कुछ इंजनों का निर्माण चित्तरंजन में भी किया जायगा ?

†श्री जगजीवन राम : जी नहीं। चितरंजन में डीजल इंजनों का निर्माण करने का कोई इरादा नहीं है। चित्तरंजन में भाप से चलने वाले इंजनों और बिजली के इंजनों के कुछ मेकैनिकल पुर्जों का निर्माण चालू रहेगा।

कच्चे पटसन के भाव

+

†*६४. { **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
श्री नागी रेड्डी :
श्री प्र० गं० सेन :
श्री बर्मन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री झूलन सिंह :
श्री वाजपेयी :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति ने कच्च पटसन के न्यूनतम भाव निश्चित कर देने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निश्चय किया था; और

(ग) यदि कुछ निर्णय किया गया हो तो कच्चे पटसन के भाव पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग). भावों को स्थिर रखने की कार्यवाही के रूप में सरकार ने राज्य व्यापार निगम को यह अधिकार दे दिया था कि वह पटसन पैदा करने वाले क्षेत्रों में सहकारी समितियों की मार्फत पटसन खरीद ले। अभी से पटसन के भावों पर इस कार्यवाही की प्रतिक्रिया का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। फिर भी, कच्चे पटसन के भावों में कुछ समय से थोड़ी मज़बूती आ गयी है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** राज्य व्यापार निगम के बाजार में आने के समय से कच्चे पटसन और मेस्टा[1] के भावों में ठीक-ठीक कितनी वृद्धि हुई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Mesta—a kind of Egyptian Cotton.

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मेस्टा और पटसन दोनों के भावों में कुछ बाजारों में लगभग १ रु० और उस से कुछ अधिक वृद्धि हुई है।

†**श्री वाजपेयी** : भावों की गिरावट के फलस्वरूप पटसन के उत्पादन में कमी न होने देने के लिये सरकार और क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मंत्रिमण्डल ने निम्नलिखित कार्यवाही का अनुमोदन किया है : भारत में जिन किस्मों की पटसन पर्याप्त मात्रा में पैदा होती है उन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाय; जूट मिलें अपने पास लगभग ४ महीनें की खपत के बराबर का स्टाक रखेंगी; भारत के बाहर निर्यात के लिये लगभग ५०,००० गांठों के लिये अनुमति दी जायगी ; और दूरस्थ उत्पादक क्षेत्रों से मिलों तक कच्चे पटसन को शीघ्रतापूर्वक लाने के लिये सुविधायें उपलब्ध की जायेंगी।

†**श्री बर्मन** : सरकार ने किस न्यूनतम भाव का निश्चय अथवा अनुमोदन किया है और यह भाव किन आंकड़ों के आधार पर निश्चित किया गया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हमने अभी कुछ भी न्यूनतम भाव निश्चित नहीं किया है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति ने जिस न्यूनतम भाव की सिफ़ारिश की थी क्या सरकार न उसे स्वीकार कर लिया था और क्या इस प्रकार भाव नियत करने को सरकार की मंजूरी प्राप्त थी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं कह चुका हूं कि अभी कोई न्यूनतम भाव नियत नहीं किये गये हैं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि सहकारी समितियों और व्यापारियों के संघों ने सितम्बर/अक्टूबर में ही सरकार से फालतू पटसन का निर्यात कर देने का अनुरोध किया था लेकिन सरकार ने जनवरी तक इस प्रश्न के बारे में अंतिम निश्चय नहीं किया और उस समय तक उत्पादकों को बाध्य होकर बहुत कम कीमत पर अपना पटसन बेच देना पड़ा ? यदि हां, तो क्या यह बात पटसन की फसल के बारे में सरकार के ग़लत निर्णय के कारण हुई या भारतीय जूट मिल्स एसोसियेशन की सिफारिश से हुई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : हमें इस अभ्यावेदन के बारे में कुछ पता नहीं क्योंकि यह अभ्यावेदन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के पास आया होगा। यह प्रश्न उस मंत्रालय से पूछा जाय।

†**श्री विमल घोष** : राज्य व्यापार निगम ने अब तक कुल कितना पटसन खरीदा है, और यदि बिल्कुल नहीं या काफी अधिक न खरीदा हो तो भावों में यह मज़बूती किन कारणों से आई है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : थोड़ी पटसन खरीदी गयी है।

†**श्री विमल घोष** : कितनी ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं ठीक ठीक अनुपात तो नहीं बता सकता क्योंकि यह खरीद राज्य व्यापार निगम द्वारा की गयी है और वह मेरा मंत्रालय नहीं है।

---

† मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस बात को ध्यान में रखते हुऐ कि भावों में मजबूती लाने का प्रयास करने के संबंध में नीति का निश्चय एक ऐसे समय पर किया गया था जब कि गरीब-से गरीब काश्तकार बाजार में आ चुका था क्या सरकार पटसन के बाजार में आने से काफी समय पहले पटसन खरीदने के संबंध में अपनी नीति ले कर बाजार में आने वाली है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** चालू वर्ष के लिये हम ने निश्चय कर लिया है और हम यह बता चुके है कि यह निश्चय क्या है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हिंगोली-खंडवा लाइन पर पुलों का निर्माण

†*६३. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिंगोली-खंडवा रेल संपर्क पर अभी कितने बड़े पुलों का निर्माण होना बाकी है ;

(ख) क्या इन के लिये आवश्यक शहतीरें आ गई हैं; और

(ग) सभी बड़े पुलों का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) चौंतीस।

(ख) १०३ शहतीरें आ गई हैं, ६६ अब भी बाकी हैं।

(ग) अक्तूबर, १९६० तक ।

वनरोपण संस्था

†*६५. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के मरु और अर्द्ध-मरु प्रदेशों में वनरोपण के लिये एक संस्था की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे अंतिम रूप प्रदान करने में कितनी प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). यूनेस्को के एक विशेषज्ञ की सलाह पर यह निश्चय किया गया है कि जोधपुर की मौजूदा केन्द्रीय मरुस्थल वनरोपण गवेषणा केन्द्र को इस विषय की यूनेस्को की बड़ी परियोजना के सहयोग और उस संगठन की प्रविधिक और वित्तीय सहायता से केन्द्रीय मरु-प्रदेश गवेषणा संस्था में परिवर्तित कर दिया जाय। इस के वित्तीय और संगठन संबंधी ब्यौरे अभी विचाराधीन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

†*६६. { श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० में कुछ और स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज खुलने की संभावना हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस नगर में ;

(ग) कितना व्यय होगा ; और

(घ) किन नगरों में यह कार्य आरम्भ हो गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० क० पाटिल) : (क) हां।

(ख) से (घ). विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१९५९-६० में सम्भावित खुलने वाले स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज एवं उनका लागत विवरण :

क्रम संख्या	एक्सचेंज का नाम	नगर	कुल अनुमानित लागत
			रुपये
१.	कोयम्बटूर	कोयम्बटर	३४,८९,७००
२.	जालंधर	जालंधर	२०,८२,०००
३.	जयपुर	जयपुर	४०,०८,०००
४.	आगरा	आगरा	४१,९७,०००
५.	आसनसोल	आसनसोल	१६,३८,९००
६.	जोरबाग	नई दिल्ली	५६,६३,५००

(घ) उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित सभी स्थानों पर कार्य आरम्भ हो चुका है ।

रेलवे में चलते फिरते पुस्तकालय

†*६७. { श्री वाजपेयी
श्री विभूति मिश्र

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीच के स्टेशनों[1] के कर्मचारियों को पढ़ने की सामग्री की व्यवस्था करने के लिए चलते फिरते पुस्तकालय आरम्भ करने का प्रस्ताव है ;

†मूल अंग्रेजी में

[1]Wayside Stations.

(ख) यदि हां, तो उसकी तफसील क्या है ; और

(ग) क्या उत्तर-पूर्व रेलवे के दो खंडों पर चलते फिरते पुस्तकालयों की व्यवस्था सफल रही है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां ।

(ख) चलता फिरता पुस्तकालय एक चालू डिब्बा है जिस में प्रादेशिक भाषाओं की पुस्तकें होती हैं ताकि बीच के स्टेशनों के कर्मचारियों को पुस्तकालय की सुविधा प्राप्त हो सके ।

(ग) उत्तर-पूर्व रेलवे के समस्तीपुर दरभंगा---नरकटियागंज खंड पर एक चलता फिरता पुस्तकालय १९ दिसम्बर १९५८ को खोला गया था । अभी कोई निर्णय नहीं किया जा सकता परन्तु यह कहा जा सकता है कि यह लोक प्रिय हो गया है । गोरखपुर-गोंडा लूप पर एक चलता फिरता पुस्तकालय ५ फरवरी, १९५९ को आरम्भ होने वाला था ।

सतलज-ब्यास सम्पर्क परियोजना

†*६८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री राम कृष्ण :
श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ९ दिसम्बर १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सतलज-ब्यास सम्पर्क परियोजना" नामक योजना का कोई सर्वेक्षण या अध्ययन किया गया है; और

(ख) इस परियोजना की आवश्यकता, लाभ और ध्येय क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) पंजाब सरकार परियोजना की जांच पड़-ताल कर रही है ।

(ख) परियोजना से भाखड़ा में प्रजनित विद्युत् में निश्चित वृद्धि होगी । तदोपरान्त, पानी नंगल बांध के नीचे सतलज नदी में जायेगा तथा हरिके में उठाकर उसे राजस्थान नहर में डाला जायेगा । भाखड़ा जलाशय में जाने वाला सतलज का पानी उत्तम रहेगा क्यों कि यह उच्च-तल तथा ऊपरी भागों में उपलब्ध हो सकेगा ।

उड़ीसा से धान और चावल का निर्यात

†*६९. **श्री सूपकार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के अन्य राज्यों को अब तक उड़ीसा से कुल कितना धान तथा चावल भेजा गया है एवं उनका प्राप्ति-मूल्य क्या है; और

(ख) उड़ीसा में उपरोक्त प्राप्ति-मूल्य का उन राज्यों में धान तथा चावल के बाजार-मूल्य से क्या अनुपात है जहां वे भेजे जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) उत्तम व अति-उत्तम किस्म का ५००० टन चावल जो निम्न दरों पर प्राप्त किया गया था, ४ फरवरी १९५९ तक पश्चिमी बंगाल भेजा गया :

किस्म	अन्न की प्रति मन दर
उत्तम . .	१६.०० रु०
अति उत्तम	१७.०० रु०

(ख) पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता में नियन्त्रित वाह्य-कारखाना मूल्य १६.०० रु० और १९.७५ रु० के बीच है तथा पश्चिमी बंगाल के मिले हुए जिलों में चावल की किस्म के अनुसार ।

डाक तथा तार के लिये स्वयंसेवक

*७०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के समय जिन व्यक्तियों ने अपनी सेवायें अर्पित की थीं क्या उसके बारे में इस बीच आंकड़े इकट्ठे कर लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक परिमण्डल के आंकड़े बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) शेष स्वयं सेवकों को उपयुक्त रोज़गार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां, केवल पश्चिमी बंगाल परिमण्डल के आंकड़ों को छोड़ ।

(ख) जी हां, पश्चिमी बंगाल परिमण्डल की सूचना के उपलब्ध होते ही ।

(ग) मुझे खेद है कि इस सम्बन्ध में कोई विशेष कार्यवाही करना सम्भव नहीं है, क्योंकि रिक्त स्थानों के भरने के समय चुने गये व्यक्तियों को निजी योग्यता-क्रम के अनुसार अपनी-अपनी बारी लेनी होती है ।

पश्चिमी बंगाल को चावल का संभरण

†*७१. **श्री साधन गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल की सरकार ने हाल में ही केन्द्रीय सरकार से चावल के संभरण की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो कितने चावल की प्रार्थना की है ; और

(ग) कितना चावल भेजा जायेगा ?

†**खाद्य तया कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) से (ग). राज्य की किसी विशिष्ट मास की आवश्यकता पर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ विचार करती है तथा केन्द्रीय रिज़र्व में माल की उपलब्धता तथा अन्य राज्यों की वर्तमान एवं भावी मांग की दृष्टि से संभरण की व्यवस्था की जाती है । फरवरी १९५९ में पश्चिमी बंगाल सरकार ने ३०,००० टन चावल मांगा था । २०,००० धान तथा २०,००० चावल क संभरण का प्रबन्ध कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

†*७२. **श्री न० रा० सुनिस्वामी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड का पूर्व-निर्माण विभाग[1] कब चालू होगा ;

(ख) जहाजों का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है ; और

(ग) वे विदेशों में बने जहाज़ों की तुलना में कैसे हैं ?

† **परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) पूर्व-निर्माण विभाग प्रायः तैयार हो गया है तथा आशा है कि जून १९५९ से कार्य करने लगेगा।

(ख) तथा (ग) . एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्तमान प्रणाली यह है कि जहाज़ के मालिक के साथ बातचीत कर के ऐसा मूल्य निर्धारित किया जाता है जो मोटे तौर पर उसी प्रकार के इंगलैंड में बने जहाज़ का होता । १९५६ में सुनिश्चित किये गये विभिन्न देशों में जहाज़–निर्माण लागतों का तुलनात्मक विवरण निम्न है :

(लगभग)

ब्रिटेन	१००
पश्चिमी जर्मनी	९५
जापान	११०
अमरीका	२००
आस्ट्रेलिया	१५०
फ्रांस	१३०
इटली	१३०
भारत	१३१

कैंसर

*७३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत ने कनाडा से कैंसर के उपचार के लिए एक अणु-यंत्र और (कोवाल्ट ६०) खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो यह कहां लगाया जायेगा?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) कनाडा की सरकार कोलम्बो योजना के अन्तर्गत तीन कोवाल्टा बीम थेरापी यूनिट और एक शक्तिशाली कोवाल्ट ६० सोर्स प्रदान कर रही है।

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Pre fabrication Shop.

(ख) इन तीन कोवाल्ट बीम थेरापी यूनिटों में से एक-एक यूनिट (१) टाटा मेमोरियल अस्पताल, बम्बई, (२) चित्तरंजन कैंसर अस्पताल, कलकत्ता और (३) क्रिश्चियन मेडिकल कालेज हस्पताल, लुधियाना में लगाया जायेगा तथा शक्तिशाली कोवाल्टा ६० सोर्स कैंसर इंस्टीच्यूट मद्रास में लगाया जायेगा ।

वस्तु समितियां[1]

†७४. **श्री इ० ईयाचरण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत वस्तु समितियों की बैठकों के बीच कितना अन्तर्काल निश्चित है;

(ख) क्या विगत दो वर्षों में समितियों की बैठके बुलाने के लिए अन्तर्काल में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, इसके क्या कारण हैं?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) से (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १९]**

कलकत्ता के लिये वृत्ताकार रेलवे

†*७५. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे बोर्ड तथा सरकार ने कलकत्ता के लिए वृत्ताकार रेलवे के बारे में एस० एन० राय समिति की सिफारिशों एवं उपनगरीय विद्युतीकरण योजना के एक खंड के रूप में कलकत्ता के चारों ओर विद्युत चालित वृत्ताकार रेलवे सेवा आरम्भ करने के संबंध में पूर्व रेलवे विद्युतीकरण संबंधी सारंगापनी समिति की सिफारिशों पर क्या निर्णय किया है;

(ख) क्या कलकत्ता के लिए वृत्ताकार रेलवे का यह प्रस्ताव अन्त में उन विद्युतीकरण परियोजनाओं का एक भाग बन जायेगा जिन पर हावड़ा तथा सियालदाह खंडों में पहिले से ही कार्य हो रहा है; और

(ग) क्या वृत्ताकार रेलवे के लिए कोई विस्तृत परियोजना जानकारी एवं लागत प्राक्कलन तयार किये गये हैं?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी):** (क) तथा (ख). कलकत्ता नगर के चारों ओर वृत्ताकार रेलवे की योजना पर कलकत्ता के सभी उपनगरीय खंडों के विद्युतीकरण होने पर विचार किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Commodities Committees.

धान और चावल की खरीद

†*७६. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किन राज्यों में चालू खरीफ फसल में बाजार से धान और चावल खरीदन आरम्भ कर दिया है;

(ख) उन राज्यों में अभी तक कितना धान व चावल खरीदा जा चुका है;

(ग) क्या संघ-सरकार के नाम से भी चावल व धान की कोई खरीद की गई है; **और**

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) चावल या धान आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल से खरीदा जा रहा है। मद्रास में खरीद आरम्भ होने वाली है।

(ख) से (घ). एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७०]**

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

†*७७. **श्री इ० मधुसूदन राव**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक कौन–कौन राज्य राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम में सम्मिलित होने को तैयार हो गये हैं; और

(ख) उनमें से कितनों ने अपने अंश का भुगतान कर दिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) सात।

(ख) पांच।

उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण के लिये वृहद्तर योजना

†*७८. **श्री पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २७ नवम्बर १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च स्तरीय बाढ़ समिति ने उड़ीसा सरकार की बाढ़ संबंधी दीर्घकालिक प्रभाव वाली योजना की जांच करके उसका अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) क्या उड़ीसा में बाढ़ नियन्त्रण की यह दीर्घ कालिक प्रभाववाली वृहत्तर योजना की मुख्य–मुख्य बातें दर्शाने वाला विवरण पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) क्या भारत सरकार ने यह वृहद्तर योजना पूर्ण रूपेण स्वीकार कर ली है ?

---

† मूल अंग्रेज़ी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी है, पटल पर रखा जाता है।

विवरण

उड़ीसा सरकार की दीर्घकालिक प्रभाववाली वृहद्तर योजना की जांच करने के उपरान्त उच्च स्तरीय बाढ़ समिति ने अपने प्रतिवेदन के द्वितीय खंड में मोटे तौर पर उन बातों का उल्लेख किया है जिनके अनुसार दीर्घकालिक वाली सन्तोषजनक वृहद्तर योजना बनाई जानी चाहिए। प्रतिवेदन के द्वितीय खंड में सम्मिलित सिफारिशों का सारांश संलग्न है। इन सिफारिशों के अनुसार पुनः योजना बनाना एवं अनुमोदन के लिए राज्य प्रविधिक परामर्शदात्री समिति तथा राज्य बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड के समक्ष रखना राज्य सरकार का कार्य है। तदोपरान्त, केन्द्रीय भारतीय नदी आयोग (बाढ़) तथा केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड इस पर विचार करेंगे। इस स्थिति में योजना को पूर्णरूपेण या अन्यथा अनुमोदित का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आंध्र से चावल की वसूली

†***७९. श्री सुब्बया अम्वलम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५८ में केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश से कुल कितने चावल की वसूली की है; और

(ख) प्रत्येक आवश्यकता वाले राज्य को कितना कितना चावल दिया गया तथा कितना सरकार के पास है?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) १९५८ में आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के द्वारा वसूल किये गये तथा वस्तुतः उन्हें दिये गये चावल की मात्रा लगभग १७१,००० टन थी।

(ख) देश में विभिन्न राज्यों तथा विदेशों से वसूल किया गया चावल एकत्रित किया जाता है तथा केन्द्रीय स्टोरों में रखा जाता है। विभिन्न राज्यों की आवश्कता के अनुसार केन्द्र उन्हें चावल देता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आन्ध्र प्रदेश से समाहार किया गया कितना चावल आवश्यकता वाले राज्यों को दिया गया तथा कितना सरकार के पास है?

शरावती जल विद्युत् परियोजना

†***८०. श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शरावती जलविद्युत् परियोजना में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उसमें कुल कितना व्यय हुआ तथा उससे किन राज्यों को लाभ पहुंचेगा?

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) परियोजना के निर्माण कार्यों में अच्छी प्रगति हो रही है। जनन केन्द्र के बारे में, केन्द्र-स्थान पर खुदाई हो रही है।

(ख) परियोजना की कुल अनुमानित लागत ३९.४५ करोड़ रु० है और केवल प्रथम प्रक्रम की लागत २२.९७ करोड़ रु० है। इससे पूरे मैसूर राज्य को लाभ पहुंचेगा।

बाढ़ सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति

*८१. **श्री सरजू पांडे** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ सम्बन्धी उच्च-स्तरीय समिति ने अपना दूसरा प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो बाढ़ों के नियंत्रण के लिये उसके मुख्य सुझाव क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख). बाढ़ सम्बन्धी उच्च-स्तरीय समिति (हाइ लेवल कमिटी आन फ्लड्स) ने अपनी रिपोर्ट की दूसरी जिल्द (सैकिन्ड वाल्यूम) पेश कर दी है और उसमें दी गई सिफारिशों का सारांश (समरी) सदन की मेज पर रख दिया गया है [पुस्तकालय में रखा जाना। देखिये एल० टी० ११९९/५९]

दिल्ली के लिए मास्टर प्लान

*८२. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की मास्टर प्लान को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) यह मास्टर प्लान कब तक कार्यान्वित होगी?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). दिल्ली की मास्टर प्लान अभी तैयार हो रही है और इसके १९५९ के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है। प्लान के मिलते ही उसकी कार्यान्वित के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

रेलवे भाड़ा

†*८३. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कच्चे मैंगनीज के रेल भाड़ा में कमी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो मामला किस प्रक्रम में है; और

(ग) इस मामले में कब तक निश्चय होने की आशा है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है तथा आशा है कि शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा।

---

† मूल अंग्रेजी में

पत्तनों का विकास

†*८४. **श्री महन्ती** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न भारत में पत्तनों के विकास पर परामश दने के लिए कुछ विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक प्रशासन से प्रार्थना की थी;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ कौन थे, कौन से विशिष्ट मामले उन्हें विचारार्थ सौंपे गये थे; और

(ग) विशेषज्ञों ने क्या परामर्श दिया है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हां, श्रीमान।

(ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक प्रशासन से श्री एफ० पोस्थूमा की सेवा में जो रटरडम पत्तन के उपनिदेशक हैं, उपलब्ध हुई थीं। उन्हें निम्न मामले सौंपे गये थे :

(१) कलकत्ता क्षेत्र में एक सहायक पत्तन के लिए उपयुक्त स्थान चुनना।

(२) नदी हुगली के तलकर्षण की समस्या।

(३) कलकत्ता पत्तन में पूर्वी डाक जंकशन पर मार्शलिंग यार्ड के विस्तार तथा नये नमूने का बनाने की परियोजना।

(४) बम्बई पत्तन के विकास तथा बम्बई पत्तन तक जाने वाली मुख्य धार के तलकर्षण की समस्यायें।

(५) कांडला पत्तन तक जाने वाली धार की गहराई बढ़ाना।

(६) प्रदीप तथा मंगलौर पत्तनों का विकास।

(ग) विशेषज्ञ के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

रेलवे सुरक्षा बल

†*८५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री १७ दिसम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०६८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, १९५७ के अधीन नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वे पटल पर कब रखे जायेंगे?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) तथा (ख). रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, १९५७ के अधीन बने नियम विचाराधीन हैं तथा इस वर्ष के मध्य तक पटल पर रख दिये जायेंगे।

अगरतला नगर को पीने के पानी का संभरण

†*८६. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १३ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अगरतला नगर के व्यक्तियों को १९५९ के अन्त तक सुरक्षित पीने का पानी प्राप्त हो जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : नहीं। त्रिपुरा प्रशासन ने योजना का पुनरीक्षण किया है विचाराधीन है।

हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग

*८७ **श्री पद्म देव :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए क्या पग उठाये जा रहे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा भेजे गये छात्रों सहित कुल कितने छात्र इस समय विभिन्न संस्थाओं में चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

भोजन व्यवस्था के ठेकेदार

†*८८. **श्री तंगामणि** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भोजन-व्यवस्था के ठेकेदारों के उपक्रमों की अधिकतम सीमा कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) वर्तमान निर्धारित अधिकतम सीमा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) वर्तमान सीमायें हैं :

(१) भोजन-व्यवस्था अर्थात् रेस्टोरेन्टों तथा अल्पाहार गृहों के मामले में १२ एकक; और

(२) ठेले के ठेकों के मामले में अर्थात् स्टाल एवं प्लेटफार्म पर ठेलों के ७ एकक।

---

†मूल अंग्रेजी में

शोलापुर में पुल

†*८९. **श्री सोनावाने :** क्या रेलवे मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३००८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर रेलवे स्टेशन के बड़ी लाइन और छोटी लाइन के स्टेशनों के परिचलन क्षेत्रों के मिलाने वाले पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार हो चुका है ;

(ख) क्या बम्बई सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ग) कार्य संभवतः किस तारीख से आरम्भ होगा?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) अभी नहीं, श्रीमान

(ख) तथा (ग). हां, श्रीमान। राज्य सरकार ने व्यय उठाने से मना कर दिया है तथा मामले पर आगे विचार हो रहा है।

उकाई परियोजना

†*९०. **श्री जाधव :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री ११ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६७८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उकाई परियोजना, पश्चिमी खानदेश के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) क्या यह सच है कि कार्य करने के लिए कार्य–स्थान पर कुछ मशीन आ गई है; और

(ग) परियोजना पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह बम्बई सरकार से मांगी गई है।

(ग) अद्यतन व्यय की जानकारी उपलब्ध नहीं है। मार्च, १९५९ के अन्त तक लगभग ९९.७ लाख रु० व्यय होगा।

भाखड़ा बांध

†*९१. **श्री मोहम्मद इमाम :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा बांध के दोनों ओर के पहाड़ी ढलानों की मिट्टी फुसफुसी है और चट्टान बहुत ही छितरी छितरी है;

(ख) क्या उन्हें प्रसिद्ध ब्रिटिश इंजिनियर लार्ड हेली का यह मत मालूम है कि संभव है कि बांध से मिले पहाड़ी ढलान ७२० फीट ऊंचे बांध का दबाव सहन न कर सकें;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि पहाड़ी ढलानों का एक भाग पिछली वर्षा में ढह गया था; और

(घ) पहाड़ी ढलानों को सुदृढ़ करने के लिए क्या पूर्वोपाय किये गये हैं?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (घ). जानकारी बताने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) भाखड़ा बांध शिवालिक पर्वत के नीचे स्थित है। पहाड़ मिला हुआ, मिट्टी तथा कटे भागों सहित छितरा है। मिट्टी के बांधों की काफी गहराई तक खुदाई की गई है और फिर उन्हें कंकरीट से भर दिया गया है। चट्टानों को सीमेंट--मसाला भर कर मिला दिया गया है। इसमें छेद करने और फिर उसे भरने का कार्य सम्मिलित है ताकि सारा ही एक सा हो जाये।

(ख) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) हां, श्रीमान्।

(घ) महाभूतत्वीय सर्वेक्षण और बाह्य घेरे की बार बार परीक्षा यह देखने के लिए की गई है कि क्या कोई भू-भौति की अदृढ़ता है जिसके कारण पानी पूरी मात्रा में जमा न किया जा सके। ऐसी सारी शंकाओं को मिटा लिया गया है। भूतत्वीय जांच के परिणाम स्वरूप जहां कहीं उचित समझा जाता है वहां भराई की जाती है।

बलाडिला-विशाखापटनम लाइन

†*९२. **सरदार अ० सिं० सहगल**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बस्तर जिले के बलाडिला में अतिरेक लोह अयस्क के उपलब्ध होने तथा इसके आयात के लिए जापान से करार होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में बलाडिला और विशाखापटनम के मिलाने वाली रेलवे लाइन के निर्माण का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे तृतीय पंच वर्षीय योजना में मिलाने का है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० बें० वेंरामस्वामी)**: (क) मूल रूप में दंडकारण्य विस्थापित पुनर्वास योजना के संबंध में किया गया बलाडिला-कोटावलसा रेलवे सर्वेक्षण पूर्ण होने पर विशाखापटनम पत्तन से लोह-अयस्क के आयात के लिए भी प्रयोग होगा।

(ख) मामला विचाराधीन है क्योंकि रेलवे लाइन के अतिरिक्त अपेक्षित अधिक पत्तन सुविधाओं की अभी जांच होनी है।

सोन नदी बन्ध[1]

†*९३. **श्री कमल सिंह**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ३० अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बन्ध तथा सड़क के पुल तथा जल विद्युत् तैयार करने तथा उच्च स्तर की नहरों की योजनाओं का पूरी तरह निरीक्षण कर लिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Sone River Barage.

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन के बारे में सरकार की क्या राय है और कार्य कब आरम्भ होगा; और

(ग) क्या वर्तमान नहरों के नवनिर्माण तथा मरम्मत आदि का काम, जिसके लिये २.२७ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, आरम्भ कर दिया गया है और अब तक क्या प्रगति हुई है?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** :(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में अभी इस परियोजना का परीक्षण पूरा नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) कार्य आरम्भ हो चुका है और बिहार सरकार मार्च, १९५९ तक ४५ लाख रुपया खर्च करना चाहती है ।

कोंकण तटीय सेवा

†*९४. **श्री नारायणन कुट्टि मेनन् :**
श्री कोडियान :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्टीम नैवीगेशन कम्पनी अपनी कोंकण तटीय सेवा को स्थगित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) और (ख). कम्पनी ने शिकायत की है कि इस सेवा से कोई लाभ नहीं हो रहा है और घाटे को पूरा करने के लिये भाड़ा बढ़ाये अथवा राज सहायता प्राप्त किये बिना उस सेवा को चालू रखना सम्भव न होगा ।

हुगली नदी के किनारों का कटाव

†*९५. **श्री हाल्दर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार से कोई प्रार्थना मिली है कि हुगली नदी के दोनों किनारों के क्षेत्रों; विशेषकर जिला हावड़ा और चिन्सुगढ़ में, का बचाव करने के लिये, जिनका कटाव हो रहा है, सहायता दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** :(क) और (ख). एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा-पटल पर रखा जाता है '[**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २१**]

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे समय सारणी

†*९६. **श्री गोरे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे समय सारणी की हर बार प्रत्येक भाषा में कितनी प्रतियां छपती हैं;

(ख) अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य किन भाषाओं में समय सारणी छपती है ; और

(ग) भाषाओं का चुनाव किन आधारों पर किया जाता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) विक्रय के लिये समय सारणी की जो प्रतियां भाषावार छपती हैं उनकी संख्या प्रत्येक रेलवे में अलग-अलग होती है और प्रत्येक संस्करण उनकी मांग को देखते हुए छापा जाता है ।

एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २२]** जिस में बताया गया है कि अक्तूबर, १९५८ में प्रत्येक भाषा में समय सारणी की कितनी प्रतियां छपी थीं ।

(ख) आसामी, बंगला, गुरमुखी, हिन्दी, कन्नड़, मल्यालम, उड़िया, तामिल और तेलगु ।

(ग) अंग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में समय सारणी की प्रतियां राज्यों की मुख्य प्रादेशिक भाषाओं के आधार पर इस शर्त पर छापी जाती हैं कि उनकी पर्याप्त मांग हो ।

क्षय रोग सर्वेक्षण

†*९७. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५–५८ के दौरान में भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् ने क्षय रोग के प्रकोप का कोई नमूना सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी बंगाल के किस भाग का सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) कलकत्ता
पानीहरी
बोकांडा
उत्तर जाफरघर
चितरंजन
कलना
पुरुषोत्तनपुर

(ग) कलकत्ता में ५ वर्ष और इस से अधिक आयु के जिन लोगों का एक्सरे किया गया उन में १००० में १६·७३ क्षय रोग के रोगी थ । १००० में ६·३९ व्यक्तियों पर विशेष अधिक प्रभाव नहीं था । कस्बों और ग्रामों के आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऊपरी पुलों तथा नीचे के पुलों का निर्माण

*९८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई स्थानों में रेल के ऊपरी पुल और नीचे के पुलों के निर्माण की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न खंडों के कितने स्थानों से यह मांग की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है कि एक वर्ष में कितने नीचे के या ऊपर के पुल बनाये जायेंगे, और

(घ) यदि हां, तो यह योजना क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) अभी इसके बारे में सूचना मौजूद नहीं है और रेलों से मंगानी पड़ेगी ।

(ग) और (घ). जी नहीं । जब कभी राज्य सरकारें रेल-प्रशासनों से रेलवे लाइनों के ऊपर या नीचे पुल बनाने के लिये कहती हैं और वर्तमान नियमों के अनुसार अपने हिस्से का खर्च देने को तैयार हो जाती हैं, तो उनकी बात तुरन्त मान ली जाती है । राज्य सरकारों से जवाब आने में कुछ समय लगता है, इसलिये इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता कि एक साल में कितने पुल बनाये जायें । लेकिने ज्योंही राज्य सरकार योजना, उसके अनुमानित खर्च कम और अपने हिस्से का खर्च उठाने की मंजूरी दे देती है, रेल प्रशासन अपने निर्माण कार्यक्रम में इस काम के लिये जरूरी रकम की व्यवस्था करते हैं और काम जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाता है ।

खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता

*१००. **श्री खाडीवाला :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न के मामले में कितने राज्य आत्मनिर्भर हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों के आत्मनिर्भर न होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन कारणों की कोई जांच की गई है और इन्हें दूर करने के लिये प्रयत्न किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) सामान्यतः आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब में अन्न की उपज खपत से अधिक होती है, और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मद्रास तथा मैसूर आत्मनिर्भर हैं ।

(ख) से (घ). आत्मनिर्भरता समूचे देश के लिये ही प्राप्त करनी है । प्रत्येक राज्य में चाहे वह आत्मनिर्भर है या नहीं, खाद्यान्न की उपज में उन्नति के लिये गुंजाईश है । परन्तु हो सकता है कि

†मूल अंग्रेजी में

प्रत्येक क्षेत्र अथवा राज्य आत्मनिर्भरता प्राप्त न कर सके। प्रत्येक राज्य की समस्याओं का निरन्तर निरीक्षण किया जा रहा है, और खेती की उपज को बढ़ाने के लिये उपाय किये जा रहे हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित स्थान

†*१०१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य रेलवे में रेलवे सुरक्षा दल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रक्षित स्थानों को भरने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : तृतीय श्रेणी में अनुसूचित जातियों के ४ और अनुसूचित आदिम जातियों के ५ व्यक्ति कम हैं। चुतर्थ श्रेणी में केवल अनुसूचित आदिम जातियों के ही १४१ व्यक्ति कम हैं।

यह प्रयत्न किया जा रहा है कि १९५८–५९ की समाप्ति तक इस कमी को पूरा कर लिया जाय, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है।

तुन्गभद्रा परियोजना

†*१०२. **श्री अगाडी :**
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरान बांधों (एनिक्टस) के अन्तर्गत काश्त किये जाने वाले क्षेत्र के अतिरिक्त तुंगभद्रा परियोजना बांया किनारा विकास योजना के अधीन वास्तव में कुल कितन क्षेत्र की सिंचाई की गई ; और

(ख) अब तक परियोजना पर और अपाकट क्षेत्रों की दोनों दिशाओं के विकास पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) दिसम्बर, १९५८ तक वास्तव में ३९,९३० एकड़ भूमि की सिंचाई की गई थी।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में बेरापली नदी परियोजना

†*१०३. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री हाल ही में केरल म बेरापली नदी परियोजना के स्थान पर गये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो केरल और मैसूर राज्य सरकारों से उन्हों ने जो बातचीत की उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही परियोजना का कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) मैसूर सरकार के प्रतिनिधियों से उनकी कोई बात चीत नहीं हुई थी । केरल राज्य के सिंचाई और विद्युत् मंत्री उपमंत्री के साथ बेरापली नदी परियोजना के स्थान पर गये थे जिन्होंने योजना के मुख्य पहलुओं की व्याख्या की थी । उन्होंने बताया कि इस योजना से किस प्रकार केरल में मालाबार क्षेत्र की सिंचाई होगी । उन्होंने यह भी कहा कि इस से सस्ती बिजली पैदा की जा सकेगी ।

(ग) जी नहीं ।

डाक व तार कर्मचारियों द्वारा "मांग दिवस" मनाना

†*१०४. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक व तार कर्मचारी संघ की नेशनल फैडरेशन के फैडरल परिषद ने "मांग दिवस" मनाने का संकल्प किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) डाक व तार कर्मचारियों की नैशनल फैड्रेशन से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। फिर भी पता चला है कि वे ११ फरवरी, १९५९ को "मांग दिवस" मनायेंगे ।

(ख) उनकी मांगें ये हैं :

(१) अन्तरिम सहायता की दूसरी किश्त तुरन्त देना ।

(२) वेतन आयोग का प्रतिवेदन शीघ्र प्रकाशित करना ।

(३) सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के नियम ४(क) और ४(ख) का निरसन करना ।

(४) सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों को नये सिरे से बनाना ।

(५) कार्मिक संघों की वैध गतिविधियों के कारण कर्मचारियों को दण्ड न देना ।

(६) कार्मिक संघों की गतिविधियों में भाग लेने के कारण पदच्युत किय गये, निकाले गये और सेवा निवृत्त किये गये कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर लगाना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में दूध सप्लाई योजना

†*१०५. **श्री राम कृष्ण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली में दूध की सप्लाई के लिये तीन दूध सप्लाई केन्द्र स्थापित करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों के लिये कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं और प्रतिदिन कुल कितना दूध सप्लाई किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के ग्राम्य क्षेत्रों में दूध एकत्र करने के ३० केन्द्र स्थापित करने का विचार है ।

(ख) अभी तक निम्नलिखित १९ स्थान चुने गये हैं :—

(१) अलीपुर	दिल्ली
(२) बवाना	दिल्ली
(३) नजफगढ़	दिल्ली
(४) मुरादनगर	उत्तर प्रदेश
(५) डंकौर (आर० एस०)	उत्तर प्रदेश
(६) दादरी	उत्तर प्रदेश
(७) पिलखुआ	उत्तर प्रदेश
(८) गौलोथी	उत्तर प्रदेश
(९) बाघपट	उत्तर प्रदेश
(१०) मसौरी	उत्तर प्रदेश
(११) पिलाना	उत्तर प्रदेश
(१२) चोला	उत्तर प्रदेश
(१३) बल्लबगढ़	पंजाब
(१४) पलवल	पंजाब
(१५) बहादरगढ़	पंजाब
(१६) सम्पला	पंजाब
(१७) सोनीपत	पंजाब
(१८) सोहना	पंजाब
(१९) खरखौडा	पंजाब

प्रत्येक स्थान से उपलब्ध दूध की मात्रा के अनुसार प्रत्येक केन्द्र से प्रतिदिन २०० से ४०० मन तक दूध सप्लाई किया जायेगा ।

भारत में मेवा उद्योग का विकास

†*१०६. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से सूखे फलों का आयात किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने भारत में मेवों के उद्योग का विकास करन के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) जो मेवे पाकिस्तान से आयात किये जाते हैं उन्हें तैयार करने के लिये जो फल प्रयोग में आते हैं वे भारत में अधिक मात्रा में पैदा नहीं होते । फिर भी निम्नलिखित औद्योगिक योजनाओं के द्वारा इन फलों की पैदावार बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं :—

१. हिमाचल प्रदेश में चीनी स्थान पर १–३–१९५७ से किशमिश के बारे में गवेषणा शुरू की गई है ।

२. **बादाम अखरोट आदि सम्बन्धी गवेषणा** : बादाम, अखरोट और पिस्ता आदि की गवेषणा को अधिक गहन बनाने के लिये एक योजना हिमाचल प्रदेश में चीनी स्थान पर १–४–१९५९ से आरम्भ की जा रही है ।

३. **फल उत्पदों का विकास** : इस योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में जहां का जल वायु इन फलों की पैदावार के उपयुक्त है ३०० रुपये प्रति एकड़ दीर्घ कालीन ऋण फलों की कृषि करने वालों को नये उधान लगाने के लिये दिया जाता है ।

चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारियों की पदोन्नति सम्बन्धी समिति

†*१०७. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **रेलवे** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुतर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारियों की पदोन्नति सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर अब तक विचार किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड ने कौन सी मुख्य-मुख्य सिफारिशें स्वीकार की हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) ३० सिफारिशों में से १५ के बारे में आदेश दिये जा चुके हैं और शेष के बारे में भी शीघ्र ही दिये जायेंगे ।

(ख) प्रतिवेदन की एक प्रति और किये गये निर्णयों का सारांश सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के मुख्य यार्ड का नवनिर्माण

*१०९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मुख्य रेलवे यार्ड के नवनिर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ;

(ग) अब तक कितना धन व्यय हुआ है ; और

(घ) यह कार्य कब तक समाप्त होने की आशा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) अब तक बड़ी लाइन में रिमाडलिंग का लगभग ५० प्रतिशत और मीटर लाइन में ८३ प्रतिशत काम पूरा हुआ है ।

(ख) बड़ी लाइन की रिमाडलिंग पर लगभग ३८ लाख और मीटर लाइन पर लगभग १७ लाख रुपये खर्च का अनुमान है ।

(ग) दिसम्बर, १९५८ तक बड़ी लाइन की रिमाडलिंग पर लेखे में २० लाख और मीटर लाइन की रिमाडलिंग पर लेखे में १३·६७ लाख रुपये खर्च दिखाया गया ।

(घ) यदि सिगनल के सामान समय पर मिले, तो बड़ी लाइन की रिमाडलिंग सितम्बर, १९५९ तक ।

मीटर लाइन की रिमाडलिंग जून, १९५९ तक ।

मीन क्षेत्र का विकास

†*११०. **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
श्री वें० प० नायर :
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में मीन क्षेत्र के विकास के लिये सामुदायिक विकास खंडों में २ से.५ तक केन्द्र खोलने की योजना पर विचार किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश में ऐसे केन्द्र खोलने के लिये किन-किन स्थानों का विचार किया जा रहा है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भारत-दक्षिण अमेरिका नौवहन सेवा

*१११. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा संचालित किसी नौवहन समवाय अथवा निगम ने भारत और दक्षिण अमरिका के बीच एक नई नौवहन सेवा चालू करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब तक चालू होगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) दी इण्डिया स्टीम-शिप कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, कलकत्ते और बुइन्स आयर्स के बीच सीधी जहाजी सर्विस चालू करने वाली है । यह एक प्राइवेट जहाजी कम्पनी है ।

(ख) आशा है कि यह इसी महीने में शुरु की जायगी ।

गाड़ियों का समय पर चलना

†*११२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है;

(ख) क्या गत दो मास में कोई सुधार हुआ है; और

(ग) गाड़ियों के लेट चलने के कारण कितने व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २३]**

(ख) जी हां, नवम्बर और दिसम्बर, १६५८ में कुछ सामान्य सुधार हुआ है ।

(ग) नवम्बर और दिसम्बर, १६५८ में २६७० व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई ।

बहरामपुर में पुल

†*११३. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण बरहामपुर (पश्चिमी बंगाल) में खगराघाट के निकट राष्ट्रीय राज पथ सं० ३४ पर एक बड़े पुल का निर्माण रोक दिया गया है;

(ख) राष्ट्रीय राज पथ सं० ३४ के कलकत्ता-बरहामपुर और खगराघाट-मोरग्राम सैक्शनों पर और कितने पुलों का निर्माण किया जाना है । वे कहां-कहां बनाये जायेंगे और कब तक निर्माण पूरा हो जायेगा; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) राष्ट्रीय राज पथ सं० ३४ के खगराघाट-मोरग्राम सेक्शन का परिवहन के लिये उद्घाटन कब किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) निम्नतम टैंडर में 'हाई टेन्साइल' इस्पात होगा जो कि भारत में तैयार नहीं होता है। टैंडरों में विलम्ब इस कारण हुआ कि इसके डिजाइन को बदलने के बारे में बातचीत चल रही थी। अब विचार है कि निम्नतम टैंडर ही स्वीकार कर लिया जायेगा जिसमें 'हाई टेन्साइल' इस्पात का प्रयोग होगा और विदेशी मुद्रा भी खर्च होगी।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २४**]

(ग) सड़क बन चुकी है और मानसून से पूर्व यातायात के लिये खोल दी जायेगी।

परादीप और हीराकुड जलाशयों में मछली पकड़ना

†*११४. **श्री पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पकड़ने वाली मशीन युक्त नावों की सहायता से परादीप और हीराकुड जलाशयों में मछली पकड़ने का प्रयोग किया गया है ;

(ख) क्या ये प्रयोग संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन के मत्सय विशेषज्ञों की देख रेख में किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) (१) परादीप . . . . . जी हां

(२) हीकुड जलाशय . . . . . जी नहीं

(ग) (१) **परादीप** : परिणाम सन्तोषजनक बताये जाते हैं।

(२) **हीराकुड जलाशय** : अभी परिणामों का मूल्यांकन किया जाना है क्योंकि मछली पकड़ने का काम अधिकतम नवम्बर, १९५८ और मार्च, १९५९ के बीच ही होगा।

भाखड़ा बांध के निकट पर्यटन स्थान

†*११५. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये भाखड़ा बांध के निकट कोई सुन्दर स्थान अथवा कोई सुन्दर उद्यान बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और कौन सा स्थान चुना गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

तुन्गभद्रा परियोजना

†*११६. **श्री नागी रेड्डी :**
श्री दे० वें० राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी तुंगभद्रा परियोजना के अन्तर्गत गडवाल उत्तर और गडवाल दक्षिण नहरों का निर्माण नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** :(क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सरना और बेहारोली स्टेशनों के बीच विस्फोट

†*११७. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेम राज :
श्री पद्म देव :
श्री राम कृष्ण :
श्री विभूति मिश्र :
श्री आसर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ जनवरी, १६५६ को अमृतसर-पठानकोट लाइन पर सरना और बेहारोली स्टेशनों के बीच एक विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस मामले की जांच की गई है; और

(ग) जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसी ने जान बूझ कर हानि पहुंचाने के लिये यह किया था । पुलिस जांच कर रही है ।

चावल की वसूली

†*११८. **श्री महन्ती :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ दिसम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में चावल और धान की वसूली के निर्धारित मूल्य में उसे रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने का खर्च भी शामिल था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या व्यापारियों को कमीशन देने तथा अन्य खर्चों के लिये उस मूल्य में कमी करने का राज्य सरकारों को अधिकार था;

(ग) क्या रेल तक पहुंचाने के खर्च और खरीदने वाले एजेंटों को पारिश्रमिक देने के लिये कोई एकरूप स्केल निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा जिस में यह बताया जाये कि प्रत्येक शीर्ष के अधीन कौन-कौन से भत्ते दिये जा सकते हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) प्राय: स्टाक रेल हैड केन्द्रों पर ही खरीदे जाते हैं और समाहार मूल्य ऐसे केन्द्रों पर माल देने पर ही लागू होता है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जहां केन्द्र रेलवे से दूर स्थित हैं उनके लिये अलग मूल्य निश्चित किये गये अथवा किये जा रहे हैं ताकि काश्तकारों को परिवहन पर अधिक खर्च होने के कारण हानि न पहुंचे।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं, क्यों कि प्रत्येक क्षेत्र की स्थिति अलग होती है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उर्वरक

†*११९. **श्री कमल सिंह :**
श्री हेम राज :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन से नई प्रकार के उर्वरक तैयार करने का विचार है; और

(ख) इस के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि काश्तकार इनका प्रयोग करें?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २५]**

दोहद–इंदौर रेलवे लाइन

*१२०. **श्री खादीवाला :**
श्री क० भ० मालवीय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंदौर राज्य के समय से सरकार दोहद-इंदौर बड़ी रेलवे लाइन बनाने का विचार कर रही है;

(ख) क्या इस लाइन का सर्वे पूरा हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो यह सर्वे कब किया गया; और

(घ) क्या सरकार का इस बड़ी लाइन के निर्माण की योजना को तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). जी हां, कुछ समय पहले इस लाइन के बारे में जांच-पड़ताल की गयी थी ।

(ग) १९५३ में ।

(घ) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

रेल कर्मचारियों की मारपीट

†*१२१. **श्री हाल्दर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सियालदा डिवीजन (पूर्व रेलवे) में यात्रियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा रेल कर्मचारियों की पिटाई से इंजन ड्राइवर डर गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) कुछ ऐसी घटनायें हुई हैं जब कि किसी कारण गाड़ियों के लेट हो जाने पर यात्रियों अथवा अन्य लोगों ने इंजन चलाने वालों पर आक्रमण किया अथवा करने का प्रयत्न किया और इन घटनाओं से कुछ डर पैदा हो गया था ।

(ख) राज्य पुलिस के सहयोग से ऐसी घटनाओं को रोकने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

दण्डकारण्य परियोजना के लिये रेलवे लाइनें

†*१२२. **श्री विद्या चरण शुक्ल** :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री २१ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दण्डकारण्य परियोजना के लिये प्रस्तावित रेलवे लाइन पर पर्यवेक्षण संबंधी प्रारम्भिक काम आरम्भ करने के बारे में क्या प्रगति हुई है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : बेल डिल्वा और कोहावालसा के बीच एक रेलवे लाइन के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और अन्तिम स्थान तथा यातायात सर्वेक्षण के लिये अभी २–१–५९ को २० लाख की लागत से करने की मंजूरी दे दी गई है तथा सामान और कर्मचारीगण एकत्र करने का प्रबन्ध आरम्भ कर दिया गया है ।

रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना

†*१२३. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेराम्बूर के रेल–डिब्बे बनाने के कारखाने में दूसरी पाली का काम कबसे आरम्भ होगा;

(ख) दूसरी पाली में कितने कुशल मजदूर रखने का विचार है; और

(ग) दूसरी पाली आरम्भ हो जाने से डिब्बों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हो जायेगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) निकट भविष्य में ।

(ख) कुशल मजदूरों का ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है ।

(ग) दूसरी पाली के पूर्णरूपेण स्थापित हो जाने और कार्य आरम्भ कर देने के पश्चात् प्रतिवर्ष लगभग ३०० और अधिक इस्पात के डिब्बे बन सकेंगे ।

"ऊसर भूमि" को पुनः कृषि योग्य बनाना

†*१२४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वानस्पतिक प्रयोगशाला ने 'ऊसर भूमि' को कृषि योग्य बनाने के बारे में कोई सफल गवेषणा की है;

(ख) योजना की विशद रूपरेखा क्या है; और

(ग) गवेषणा से क्या लाभ हुआ है अथवा लाभ उठाने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा–पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ के निदेशक अल्केलाइन भूमियों को कृषि योग्य बनाने पर कुछ प्रयोग कर रहे हैं । काम अभी प्रयोग की अवस्था में है किन्तु अभी तक जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वे उत्साहवर्द्धक हैं । योजना का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है ।

१९५६ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने १२० एकड़ अल्केलाइन भूमि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ के निदेशक को उसे कृषि योग्य बनाने के तरीकों का पता लगाने के लिये उन्हें दी । राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के निदेशक ने जीवविज्ञान तथा क्षेत्र संबंधी तरीकों से यह खोज निकाला कि जल में होने वाले कुछ पौदों में भूमि में से सोडियम निकाल देने की शक्ति है जिससे अल्केलाइन की मात्रा कम हो जाती है । तबसे इस प्रकार के प्रयोग के लिये और अधिक क्षेत्र दे दिया गया है तथा जांच-पड़तालों के परिणामों की परीक्षा विभिन्न प्रकार के पौदे लगाकर की जा रही है जिनमें फलों के वृक्ष, तरकारियां, फसलें तथा औषधि तैयार करने वाले पौदे शामिल हैं ।

यदि गवेषणा के परिणामों में सफलता मिली तो राज्य सरकारों को भी यथासम्भव बड़े से बड़े पैमाने पर इनका उपयोग करने के लिये उनका ध्यान आकर्षित किया जायेगा ।

ग्राम्य विद्युतीकरण योजना

†*१२५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य विद्युतीकरण योजना के लक्ष्य को पूरा करने में कमी रह गई है;

(ख) यदि हां, तो कहां तक; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सम्बलपुर, उड़ीसा में मेडीकल कालेज

†*१२६. **श्री पाणिग्रही** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने संघ सरकार के पास अगली जुलाई से सम्बलपुर, उड़ीसा में एक दूसरा मेडिकल कालेज खोलने के लिये अपना प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकार ने कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** (क) और (ख). जी हां ।

(ग) उड़ीसा की सरकार को सूचना दी गई थी कि निधियों की कमी की दृष्टि से द्वितीय योजना काल में उड़ीसा में दूसरा मेडिकल कालेज खोलने के लिये राजकीय सहायता देना भारत सरकार के लिये संभव नहीं है ।

डीजल कारें

†*१२७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या रेलवे मंत्री २१ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे के लिये नियत १२ डीजल कारें जिन सेक्शनों के लिये आवंटित की गई थीं, चलनी आरम्भ हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके चलने से मितव्ययता अथवा जनता को लाभ पहुंचा है; और

(ग) यदि हां, तो कहां तक?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं किन्तु ७-२-५९ से नई दिल्ली-फरीदाबाद, नई दिल्ली–सोनीपत, दिल्ली-शकूरबस्ती पर एक में जुड़ी हुई दो रेल कारें चालू कर दी गई हैं ।

(ख) और (ग). इसका पता तभी चलेगा जबकि डीजल रेल कारें कुछ समय तक चला लेंगी।

ट्रेन में कत्ल और डाका

*१२८. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री खुशवक्त राय :
श्री तंगामणि :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि २१ जनवरी, १९५९ को राज्य बैंक की लखीमपुर-खीरी शाखा के खजांची और संतरी को, जो अपने साथ लगभग दो लाख

---

†मूल अंग्रेजी में

रुपया ले जा रहे थे, उत्तर-पूर्व रेलवे के देवकली और फरघन स्टेशनों के बीच रेल के डिब्बे में गोली से मार डाला गया और उनका रुपया लूट लिया गया?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : जी हां। और यह भी सच है कि जिन लोगों का इसमें हाथ था वे पकड़े गये हैं और उनसे कुल रुपया बरामद हो गया है।

रिवाड़ी-भटिण्डा सेक्शन पर क्वार्टर

†**५३. श्री राम कृष्ण :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर रेलवे के रिवाड़ी–भटिण्डा सेक्शन पर रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनवाने में १९५८ में प्रत्येक स्टेशन पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) प्रत्येक स्टेशन पर कितने क्वार्टर बने; और

(ग) इस सेक्शन पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अवशिष्ट काल में (प्रत्येक स्टेशन पर) कितने क्वार्टर बनवाये जायेंगे?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) अब तक १०,८०० रुपये व्यय किये गये हैं।

(ख) हिसार में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये ९ क्वार्टर बनवाये जा रहे हैं ?

(ग) तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिये द्वितीय टाइप के १० और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये प्रथम टाइप के ५० क्वार्टर जिसमें उपर्युक्त (ख) के भी शामिल हैं, १९५८–५९ और १९५९–६० में रिवाड़ी में बनाने का विचार है। १९६०–६१ में कितने क्वार्टर बन जायेंगे यह बताना अभी संभव नहीं क्योंकि इस वर्ष का कार्यक्रम दिसम्बर, १९५९ में अन्तिम रूप से बनाया जायेगा।

बीकानेर डिवीजन के रेलवे स्टेशन

†**५४. श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर रलवे के बीकानेर डिवीजन में इस समय कुल कितने रेलवे स्टेशन है;

(ख) उनमें से अब तक कुल कितने स्टेशनों पर बिजली लग गई है; और

(ग) १९६१ के अन्त तक उनमें से किन-किन स्टेशनों पर बिजली लग जाने की आशा है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)** : (क) १६२

(ख) ३१

(ग) ३१-३-६१ तक नपसार, श्री डूंगरगढ़, बाड़ीवाला और पालम पर बिजली लग जाने की आशा है।

दिल्ली और फुलेरा के बीच गाड़ियों का समय से चलना

†**५५. श्री राम कृष्ण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५८ से दिल्ली और फुलेरा के बीच रींगस होकर जाने वाली गाड़ियां कितनी बार विलम्ब से गईं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विलम्ब से जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) गाड़ियों के समय से आने–जाने के बारे में किस प्रकार कार्यवाही करने का विचार है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)**: (क) रींगस से होकर दिल्ली और फुलेरा के बीच चलने वाली १६ अप/२१६ अप और २० डाउन/२२० डाउन सवारी गाड़ियां फुलेरा और दिल्ली स्टेशन पर क्रमशः १ जनवरी, १६५८, २० फरवरी, १६५६ तक ३८५ दिन की तुलना में ३० और १२३ बार विलम्ब से पहुंचीं।

(ख) इन गाड़ियों के विलम्ब से आने-जाने के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं:—

(१) जुलाई, अगस्त और सितम्बर, १६५८ में अत्यधिक वर्षा के कारण पटरियों का टूट जाना और उसके परिणाम इंजीनियरिंग संबंधी प्रतिबन्ध।

(२) दिल्ली प्रमुख के पश्चिमी केबिन की अक्टूबर, १६५८ में मरम्मत।

(३) दिसम्बर, १६५८ में कुहरे के कारण बेकार गया समय।

(४) संचालन संबंधी कारण जैसे इंजन का खराब हो जाना, वैकुअम में खराबी हो जाना, सिगनल का काम न करना, रेल के फाटकों और कनेक्शनों आदि का अव्यवस्थित हो जाना।

(५) जंजीर खींची जाना।

(६) गाड़ी के पटरी से उतर जाने और माल के डिब्बे अलग हो जाने की दुर्घटनायें।

(७) दिल्ली–रिवाड़ी सेक्शन की जितनी क्षमता है उस पूरी क्षमता भर काम करना जिसके परिणामस्वरूप एक गाड़ी में विलम्ब हो जाने से और गाड़ियों का विलम्ब से जाना।

(ग) गाड़ियों के समय से आने-जाने के लिये निम्न कार्यवाही की गई है :—

(१) यदि गाड़ी को न रोकने से काम चल सकता हो तो रोकने के लिये उत्तरदायी ठहराये गये कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल और कठोर अनुशासन संबंधी कार्यवाही करना।

(२) समय-समय पर गाड़ियों को समय से चलाने के आन्दोलन चलाये जाते हैं।

(३) रिवाड़ी यार्ड को नये ढंग का बनवाना तथा दिल्ली रिवाड़ी मार्ग को दुहरा करना जो किया जा रहा है।

टिकट की जांच करने वाले कर्मचारी

†५६. **श्री राम कृष्ण**: क्या रेलवे मंत्री २१ नवम्बर, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टिकट की जांच करने वाले कर्मचारी वर्ग की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर अंतिम रूप से विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी संख्या और बढ़ाई जायेगी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सड़क निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता

†५७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क निर्माण की वे विभिन्न योजनाएं किस प्रकार की हैं और उनका क्या नाम है जिनके लिये केन्द्रीय सरकार ने अनुदान दिये हैं;

(ख) पंजाब के लिये अब तक १९५८-५९ में इस प्रयोजन के लिये (योजनावार) कुल कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिये अब तक (योजनावार) आवंटित राशि में से कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) केन्द्रीय सरकार (१) आर्थिक दृष्टि से अथवा अन्तर्राज्यीय दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य की सड़कों के निर्माण कार्यों, (२) केन्द्रीय सड़क निधि रक्षित में से वित्तपोषित सड़कों के निर्माण कार्यों और (३) संविधान के अनुच्छेद २७५ (१) के अधीन अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिये वित्तपोषित सड़क के निर्माण कार्यों के लिये अनुदान देती है।

(ख) और (ग). परिवहन तथा संचार मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन निर्माण कार्यों के बारे में वांछित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २६**]

पंजाब में स्वास्थ्य परियोजनायें

†५८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में निम्न शीर्षों में अमरीका से प्राप्त सहायता में से पंजाब को कितनी राशि सहायता के रूप में दी गई है :—

(१) मेडिकल कालेजों और उससे संबंधित संस्थाओं को सहायता;

(२) अनुस्थापन प्रशिक्षण परियोजना[1]

(३) राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता योजना के लिये सहायता;

(४) क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिये सहायता; और

(५) राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिये सहायता ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (१) कुछ नहीं।

(२) कुछ नहीं।

(३) कुछ नहीं।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Orientation Training Project.

(४) कुछ नहीं।

(५) १८,७५,९८०.०० रुपये ।

पंजाब में केंद्रीय गोदाम

†५९. **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक पंजाब में अनाज के कितने गोदाम बनवाये गये हैं तथा उनमें से प्रत्येक में कितना अनाज आ सकता है और वे कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) पंजाब में १९५९-६० में ऐसे कुल कितने गोदाम बनवाये जाने हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) कुछ नहीं।

(ख) खाद्यान्नों के रखने के लिये पंजाब में गोदाम बनवाये जाने चाहियें यह प्रश्न विचाराधीन है।

राज्यों में स्वास्थ्य योजनायें

†६०. **श्री नागी रेड्डी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में निम्न परियोगनाओं के लिये अमरीका से प्राप्त सहायता में से विभिन्न राज्यों को (राज्यवार) कितनी राशि सहायता के रूप में दी गई है:—

(१) मेडिकल कालेजों तथा संबद्ध संस्थाओं;

(२) अनुस्थापन प्रशिक्षण परियोजना;

(३) राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम;

(४) राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम;

(५) राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम;

(ख) वितरण का आधार क्या है; और

(ग) कितने अमरीकी सहायता कार्यक्रम की देख-रेख कर रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) (१) से (५). १९५७–५८ की आवश्यक जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है (परिशिष्ट १) **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २७]** १९५८-५९ की इसी प्रकार की जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा-पटल पर यथासमय रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आवश्यक जानकारी बताने वाला एक टिप्पण संलग्न है । (परिशिष्ट २) [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २७]

(ग) कुछ नहीं ।

तुंगभद्रा-नेल्लोर तापीय विद्युत् संयंत्र

†६१. **श्री नागी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेल्लोर में तुंगभद्रा नेल्लोर तापीय विद्युत् संयंत्र लगाने के बारे में अब तक कितनी प्रगति की गई है ;

(ख) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी; और

(ग) परियोजना के कब तक पूरी हो जाने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) योजना सिंचाई और विद्युत् परियोजना सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति के द्वारा तैयार की गई है तथा अन्तिम रूप से इस पर योजना आयोग सहमत हो गया है ।

(ख) योजना की प्राक्कलित लागत ७९८·८३ लाख रुपये है (जिस में मैसूर का अंश भी शामिल है) तथा इस में ३८७ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा लगेगी ।

(ग) चूंकि यह योजना के मुख्य भाग में शामिल नहीं है इसलिये कुछ भी काम नहीं किया गया है तथा इस के द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में पूरे हो जाने की संभावना नहीं है ।

आंध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के लिये बृहद्तर योजना

†६२. **श्री नागी रेड्डी** :
श्री रामम् :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की बाढ़ नियंत्रण के लिये बृहद्तर योजना केन्द्र को प्रस्तुत कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी जांच बाढ़ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति द्वारा कर ली गई है; और

(ग) इस पर क्या निर्णय किया गया ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश की बाढ़ नियंत्रण के लिये राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई बृहद्तर योजना की जांच बाढ़ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति द्वारा इस बात का पता लगाने के लिये कर ली गई थी कि जिससे राज्य में बाढ़ सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये उपाय ढूंढे जा सकें । समिति की सिफारिशें उस के प्रतिवेदन दूसरे खण्ड में दी गई हैं । इन सिफारिशों पर बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी योजनायें तैयार करते समय राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा (जो आरम्भ करने, निर्माण करने तथा बाढ़ नियंत्रण योजनायें कार्यान्वित करने के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं) ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भीमवरम्-गुडिवाडा लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

†६३. **श्री रामम् :**
श्री नागी रेड्डी :

क्या **रेलवे** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गुडिवाडा और भीमवरम् के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्ताव के बारे में तबसे कितनी प्रगति की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)** : परियोजना के वित्तीय पहलू की जांच की जा रही है जिस के बारे में आशा की जाती है कि वह शीघ्र ही पूरी हो जायेगी । विशेषकर इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि बेजवाडा से मसुलीपटनम् तक सम्बन्धित सेक्शन को बदलने के बारे में पहले से ही निर्णय किया जा चुका है ।

आंध्र प्रदेश में शार्क लीवर आयल फैक्टरी

†६४. **श्री रामन् :**
श्री नागी रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में आन्ध्र प्रदेश में एक ऐसा औद्योगिकीय सेक्शन खोलने का विचार है जिससे शार्क लीवर आयल फैक्टरी सम्बद्ध रहेगी;

(ख) यदि हां, तो वह कहां और कब खोला जायेगा; और

(ग) इसमें कितना व्यय होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) राज्य ने अभी योजना आरम्भ नहीं की है । राज्य से जानकारी एकत्र की जा रही है ।

(ग) ४·८४ लाख रुपये ।

मीन गवेषणा केन्द्र

†६५. **श्री रामम् :**
श्री नागी रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में आन्ध्र प्रदेश में दो गवेषणा केन्द्र एक समुद्र से मछली पकड़ने और दूसरा अन्तर्देशीय केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र किस प्रकार का गवेषणा कार्य करेंगे;

(ग) ये केन्द्र कहां पर स्थापित होंगे; और

(घ) इन पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) समुद्र से मछली पकड़ने के बारे में गवेषणा मछली पकड़ने के स्थान, मछलियों की ऋतु तथा उनके चले जाने आदि के बारे में की जायेगी । जहां तक अन्तर्देशीय मछली पकड़ने में गवेषणा का प्रश्न है, मछली के उत्पादन में वृद्धि के बारे में गवेषणा की जायेगी ।

(ग) राज्य ने इस योजना को आरम्भ नहीं किया है; स्थान के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है ।

(घ) २·०० लाख रुपये ।

छोटे पत्तनों से भेजा गया लौह अयस्क

†६६. **श्री नागी रेड्डी :**
श्री रामम् :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

१९५८ में भारत के विभिन्न छोटे पत्तनों से (पत्तन वार) कुल कितना लौह अयस्क भेजा गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

दक्षिण-पूर्व रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक[1]

†६७. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में १९५६, १९५७ और १९५८ में नैमित्तिक श्रमिक कितने थे; और

(ख) उन में से कितने एक वर्ष से अधिक समय से लगातार काम में लगे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क)

१९५६	२६,६३६
१९५७	४३,४५९
१९५८	७५,०८७
	(३१-१०-५८ तक)

(ख) निर्माण इंजीनियरिंग विभाग

१९५६	१,८३९
१९५७	४,६२०
१९५८	८,९७०
	(३१-१०-५८ तक)

खुली लाइन विभाग

जो रेकार्ड रखे जाते हैं उन में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Casual Labour.

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा धन का लौटाया जाना

†६८. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की नई बस्तियों में बसे कुछ विस्थापित व्यक्तियों द्वारा १९५७ में इमारतों के नक्शे स्वीकृत करवाने के लिये दी गई राशि, जो बाद में प्रभाव शून्य ठहराये गये, वापस लौटाने के दावे दिल्ली विकास प्राधिकार के पास अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो दावों के निबटारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख) . दिल्ली विकास प्राधिकार का मत यह है कि नवम्बर, १९५७ तक वसूल किये गये अंशदायी प्रभार व्यक्तियों तथा संबंधित बस्ती के मालिकों को लौटाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार मामले की जांच कर रही है और आशा की जाती है कि इस बारे में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा।

खाद्यान्नों का आयात

†६९. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में आयात किये गये खाद्यान्नों के उपभोक्ताओं को वितरण करने में जम्मू तथा काश्मीर राज्य को मिलकार राजकीय सहायता के रूप में कुल कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ख) उक्त काल में खाद्यान्नों के आयात और वितरण से कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई; और

(ग) एकत्र मूल्य तथा उपभोक्ता को जिस मूल्य पर खाद्यान्न दिया गया उसमें प्रति मन कितना अन्तर है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख) . १-४-५६ और ३१-१२-५८ के बीच केन्द्रीय स्टाक में से खाद्यान्नों के लिये जारी की गई कुल राजकीय सहायता लागभग ४३ करोड़ रुपये आती है।

(ग) उपभोक्ता के लिये मूल्य अर्थात् फुटकर बिक्री का भाव प्रत्येक राज्य में अलग-अलग आता है और कभी-कभी तो एक ही राज्य के विभन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होता है। अनाज की किस्म के कारण भी भाव में अन्तर पड़ जाता है। केन्द्रीय स्टाक में से निर्गम मूल्य तथा अन्तिम फुटकर मूल्य के बीच का अन्तर राज्य सरकारों द्वारा तथा थोक बेचने वालों द्वारा मुनाफा लगाकर मातायात एवं स्टोर आदि पर व्यय के कारण होता है।

मध्य रेलवे में डीजल रेल कारें

†७०. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में अभी तक कितनी डीजल रेल कारें चलायी गयी हैं; और

(ख) ये रेल कारें किस किस सेक्शन में चलायी गयी हैं और किस किस सेक्शन में चलाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) . इस समय निम्नलिखित सेक्शनों में बड़ी लाइन पर तीन डीजल रेल कारें और छोटी लाइन पर एक डीजल रेल कार चलायी जा रही है :—

बड़ी लाइन

(१) हैदराबाद-सिकन्दराबाद-काजीपटे-वारंगल ।

(२) सिकन्दराबाद-हैदराबाद-विकाराबाद-मोहम्मदाबाद-विडार

छोटी लाइन

पुलगांव—अरबी

मध्य रेलवे के किसी भी और सेक्शन में फिलहाल और कोई भी डीजल रेल कार चलाने का विचार नहीं है ।

रेलवे सुरक्षा बल

†**७१. श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० सितम्बर, १९५८ को मध्य रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों की कितनी कितनी संख्या थी; और

(ख) १९५८-५९ में अभी तक उक्त कर्मचारियों के संधारण पर प्रत्येक डिवीजन में कितना कितना खर्च आया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :

डिवीजन	३०-९-१९५८ को कर्मचारियों की संख्या	३१-१२-५८ तक उन पर किया गया खर्च (हजार रुपयों में)
हेडक्वार्टर जिनमें इंटर्नल ब्रांच तथा ए-विंग भी सम्मिलित हैं	७३३	५८४
बम्बई .	१९५१	१७४९
भूसावल	९५३	७१८
नागपुर . .	८१६	६५९
झांसी	१०२३	८४८
शोलापुर . .	४३६	३५३
सिकन्दराबाद . .	८७५	७३१
रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण स्कूल कुरुदवाड़ी . .	२४३	१९७
आग बुझाने वाली सेवा . . .	१६८ .	३४२

†मूल अंग्रेजी में

बहि : शुल्क विभाग के लिये 'विद्युत्' नामक जहाज

†७२. **श्री मुरारका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहि: शुल्क विभाग के लिये निर्मित 'विद्युत्' नामक जहाज के त्रुटिपूर्ण निर्माण के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ;

(ख) क्या उन त्रुटियों को सुधार दिया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान शिपयार्ड को कितना नुकसान हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) त्रुटि तो केवल यही थी कि जहाज की रफ्तार तेज नहीं है । इसे कुछ सीमा तक सुधार दिया गया है। जहाज के मालिक इस बात के लिये तैयार हो गये थे कि यदि जहाज की रफ्तार निश्चित रफ्तार से २० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तब भी वे इसकी डिलीवरी ले लेंगे । उन्होंन १८ मार्च, १९५८ को उस जहाज की डिलीवरी ले ली थी ।

(ग) जहाज के निर्माण पर और उसकी रफ्तार में कमी को दूर करने पर कुल लगभग १,२६,००० रुपये खर्च हुए ।

मनीपुर राज्य को अनुदान

†७३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर राज्य को १९५८-५९ में अभी तक निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत कितना अनुदान दिया गया है:—

(१) सामुदायिक परियोजनायें; और

(२) राष्ट्रीय विस्तार सेवा ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार मनीपुर प्रशासन की सामुदायिक विकास योजनाओं पर खर्च करने के लियें केन्द्रीय बजट में ११ लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं जिन में तृतीय पक्ष को ऋणों के रूप में देने के लिये २.४४ लाख रुपये की राशि भी सम्मिलित है ।

१४-५८ से सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सवा खण्डों के अन्तर को समाप्त कर दिया गया है ।

दिल्ली में ग्राम्य जल संभरण योजनायें

†७५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में दिल्ली प्रशासन के दिल्ली में ग्राम्य जल संभरण के सम्बन्ध में कितनी योजनायें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उस अवधि में सरकार द्वारा उस कार्य के लिये कितनी सहायता दी गयी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हो चुकी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १९५८–५९ में दिल्ली प्रशासन से दिल्ली में ग्राम्य जल संभरण सम्बन्धी कोई भी योजना प्राप्त नहीं हुई थी ।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष में उस के लिये बजट में ५ लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं, परन्तु अभी तक कुछ भी राशि दी नहीं गयी है ।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने अभी तक किसी भी योजना को कार्यान्वित करना प्रारम्भ नहीं किया है ।

केंद्रीय गौशाला गवेषणा संस्था, करनाल

†७६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय गौशाला गवेषणा संस्था, करनाल, में काम करने वाले कर्मचारियों (पहली श्रेणी से चौथी श्रेणी तक के कर्मचारियों) की कुल कितनी संख्या है; और

(ख) उन में से प्रत्येक श्रेणी के कितने कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : एक विवरण सम्बद्ध है जिसमें अपेक्षित जानकारी निहित है । **[देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या २८]** ।

दिल्ली में जल संभरण

†७७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसी कौन कौन सी बस्तियां हैं जिन्हें अभी तक साफ किया हुआ पानी संभरित नहीं किया जा सका है;

(ख) उस के क्या कारण हैं; और

(ग) उन बस्तियों को कब तक साफ पानी संभरित कर देने की आशा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: नजफगढ़ रोड के आस पास बसी हुई बस्तियों, जैसे कि मोती नगर, रमेश नगर, कीर्ति नगर, राजोरी गार्डन, औद्योगिक क्षेत्र, तिहाड़ १ और २ तथा तिलक नगर, में अभी तक साफ पानी संभरित नहीं किया जा सका है । इन के अतिरिक्त कुछ एक और अनधिकृत बस्तियों में भी साफ पानी संभरित नहीं किया जा सका है ।

(ख) धन के अभाव के कारण भूतपूर्व पश्चिम दिल्ली नगर समिति पानी के नल नहीं लगवा सकी थी ।

(ग) आशा है कि दिल्ली नगर निगम इस कार्य को १९५९ के ग्रीष्म काल तक पूरा करा लेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे लाइनों को नुकसान

†७८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में बाढ़ों और भारी वर्षा के कारण कुल कितने मील लाइनें टूट फूट गयी थीं;

(ख) कितने रेलवे पुलों को नुकसान पहुंचा है; और

(ग) उनकी मरम्मत पर कितनी राशि खर्च की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) लगभग ३,६३० गज ।

(ख) ४० पुल ।

(ग) लगभग ४० लाख रुपये ।

बम्बई राज्य में चीनी के कारखाने

†७९. **श्री जाधव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में अभी तक केन्द्रीय राजकीय सहायता में से कितनी राशि बम्बई राज्य के गन्ना विकास पर चीनी कारखानों के क्षेत्रों में पक्की सड़कें बनवाने पर खर्च की गयी है, और उस में से कितनी राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा, कितनी राज्य सरकार द्वारा और कितनी राशि लाभ उठाने वालों द्वारा खर्च की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : बम्बई सरकार की गन्ना विकास योजना के अधीन चीनी के कारखानों में पक्की सड़कें बनाने की योजना द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है। इसलिये उस के लिये केन्द्रीय राज सहायता देने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

चीनी

†८०. **श्री सम्पत** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि १९५६-५७ और १९५७-५८ में प्रत्येक राज्य के प्रत्येक चीनी कारखाने में कुल कितना गन्ना पेरा गया था, चीनी की प्राप्ति की औसत दर क्या थी, किसानों को गन्ने के लिये कितनी कीमत अदा की गयी थी और कितनी चीनी तैयार की गयी थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : एक विवरण सम्बद्ध है जिसमें अपेक्षित जानकारी निहित है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २९]**

जाजपुर डाकघर की इमारत

†८१. **श्री वें० चं० मलिक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जाजपुर में डाकघर की इमारत बनवाने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हो चुकी है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि वहां की जनता प्राधिकारियों पर इस बात का जोर दे रही है कि डाक घर को टाउन हाल से हटा कर किसी और स्थान पर स्थापित किया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और आशा है कि काम छः मास के अन्दर पूरा हो जायेगा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) क्योंकि डाक घर के लिये इस समय और कोई भी इमारत उपलब्ध नहीं है, इसलिये राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि नयी इमारत पूरी हो जाने पर ही डाक घर को वहां पर हटाया जायेगा ।

बम्बई में चावल की कीमत

†८२. **श्री आसर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में इस समय चावल की कीमत क्या है ;

(ख) क्या बम्बई सरकार राज्य के सभी भागों में उचित मूल्य वाली दुकानें खोल दी हैं; और

(ग) दिसम्बर, १९५८ तक छः मासों में केन्द्र द्वारा बम्बई को कितना चावल संभरित किया गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) २३-१-५९ को बम्बई राज्य के प्रसिद्ध केन्द्रों में चावल की कीमत २० से २६.१२ रुपये प्रति मन थी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ८०,१०० टन ।

बंगलौर नगर में जल संभरण की व्यवस्था

†८३. **श्री केशव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १६ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में बंगलौर नगर की जल संभरण व्यवस्था को सुधारने के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गयी थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : १९५८-५९ में बंगलौर नगर निगम की जल संभरण और जल निस्सारण योजनाओं के लिये मैसूर सरकार को ५ लाख रुपयों की राशि एलाट की गयी थी। दिसम्बर, १९५८ तक ३.७५ लाख रुपये अग्रिम रूप में भेज दिये गये थे । और शेष राशि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ही भेज दी जायेगी ।

राष्ट्रीय रति रोग निरोध योजना

†८४. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित राष्ट्रीय रति रोग निरोध योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) रोग का इलाज करने और उसकी रोक थाम के सम्बन्ध में अभी तक क्या परिणाम निकला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). राज्य सरकारों के सहयोग से भारत सरकार द्वारा चलायी गयी राष्ट्रीय रतिरोग निरोध योजना के अधीन द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ७५ जिला औषधालय और ८ हैडक्वार्टर औषधालय स्थापित करने का विचार किया गया था। अब यह प्रस्ताव है कि विभिन्न राज्यों के वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाओं के अधीन ही रति रोग निरोध सम्बन्धी एक योजना तैयार की जाये जिसके द्वारा इस रोग का इलाज करने और उसकी रोकथाम का दोनों प्रकार का काम किया जाये। इस योजना में यह विचार किया गया है कि रति रोग तथा इसी प्रकार के अन्य रोग जहां भी अधिक मात्रा में हों वहां पर इनका सार्वजनिक रूप से इलाज किया जाये। उक्त निश्चित लक्ष्य में से निम्नलिखित जिला औषधालय तथा हेडक्वार्टर औषधालय विभिन्न राज्यों में स्थापित किये गये हैं :--

राज्य	हेडक्वार्टर औषधालय	जिला औषधालय
आन्ध्र प्रदेश	१	९
मद्रास	—	८
उत्तर प्रदेश	—	२
बिहार	१	७
आसाम	१	—
मैसूर	—	२
हिमाचल प्रदेश	—	७
त्रिपुरा	—	१
कुल	३	३६

मैसूर और हिमाचल प्रदेश में औषधालयों के कर्मचारियों ने क्षेत्र में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक क्षेत्रों के लोगों का इलाज किया जा सके।

आशा है कि १९५८-५९ के चालू वर्ष में निम्नलिखित और औषधालय स्थापित कर दिये जायेंगे :--

राज्य	जिला औषधालय
अन्दमान तथा निकोबार द्वीप	१
केरल	२
पंजाब	१
पश्चिमी बंगाल	२

†मूल अंग्रेजी में

लगभग ११,००० रोगी प्रति मास रति रोग औषधालयों में आते हैं। परन्तु, क्योंकि औषधालयों और नियंत्रण यूनिटों ने अभी हाल ही में काम प्रारम्भ किया है, इसलिये इतनी जल्दी नहीं बताया जा सकता कि जनता में से यह रोग कितना दूर हुआ है ।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वाटर

†८५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परियोजना तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अभी तक जालन्धर डिवीज़न में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये कुल कितने क्वार्टर तैयार किये गये हैं और उन पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी है ; और

(ख) १९५९-६० में कितने क्वार्टर बनाने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) ६ यूनिट तैयार किये गये हैं। २ यूनिटों के निर्माण पर तो ७,३५० रुपयों का खर्च आया है। शेष ४ यूनिटों पर किया गया खर्च अलग अलग रूप से ज्ञात नहीं है, क्योंकि वे क्वार्टर जालन्धर के नये डाक तथा तार घर की इमारत में ही बनाये गये थे ।

(ख) २३७ यूनिट ।

ईगतपुरी-भुसावल सेक्शन पर बिजली से गाड़ियां चलाना

†८६. **श्री राम कृष्ण ;**
श्री पांगरकर :

क्या **रेलवे** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ईगतपुरी और भुसावल के बीच बिजली से गाड़ियां चलाने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** भुसावल-ईगतपुरी सेक्शन पर सिविल इंजीनियरिंग एण्ड इलैक्ट्रिकल वर्क्स सम्बन्धी सर्वेक्षण शीघ्र ही शुरू किया जायेगा ।

जहाज़ मरम्मत करने के सम्बन्ध में सुविधायें

†८७. **श्री राम कृष्ण :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की मुख्य बन्दरगाहों में जहाज़ों की मरम्मत सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में जांच करने के लिये जो समिति नियुक्त की गयी थी, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). आशा है कि समिति मार्च, १९५९ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली में नया मेडिकल कालेज

†८८. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के इरविन अस्पताल के साथ जो मेडिकल कालेज स्थापित किया जा रहा है, उसका नाम मौलाना आज़ाद के नाम पर रखा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम के आधार पर उस अस्पताल का नाम क्या रखा गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां ।

(ख) कालेज का नाम "मौलाना आज़ाद मेडिकल कालेज नई दिल्ली" रखा गया है ।

राज्यों की परिवहन व्यवस्था की पुनर्गठन सम्बन्धी समिति

†८९. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री राम कृष्ण :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की परिवहन व्यवस्था के पुनर्गठन के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये नियुक्त की गयी तदर्थ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, उस प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं, आशा है कि मार्च, १९५९ के प्रारम्भ में रिपोर्ट मिल जायेगी ।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

आर० एम० एस० (रेलवे डाक सेवा) के डिब्बे में हत्या

†९०. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री आर० एम० एस० (रेलवे डाक सेवा) के डिब्बे में तीन डाक कर्मचारियों की हत्या के सम्बन्ध में पूछे गये १८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मामले पर अभी न्यायालय में विचार किया जा रहा है । कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, १९२३ के अधीन स्वर्गवासी श्री भगवान सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती भगवान देई को ३,००० रुपये प्रति कर के रूप में दे दिये गये हैं । शेष सभी दावे निपटा दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

आर० एम० एस० (रेलवे डाक सेवा) पुनर्गठन समिति

†९१. श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री आर० एम० एस० (रेलवे डाक सेवा) पुनर्गठन समिति के सम्बन्ध में पूछे गये २१ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा समिति की कौन कौन सी सिफारिश स्वीकार कर ली गयी हैं और कार्यान्वित की गयी हैं ; और

(ख) किन किन सिफारिशों के बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). आशा है कि उन सिफारिशों के सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा । निर्णय हो जाने के बाद ही यह जानकारी दी जा सकेगी ।

वनस्पति घी

९२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बिनौलों और मूंगफली से तैयार किये जाने वाले वनस्पति घी की पृथक् पृथक् मात्रा क्या है ;

(ख) क्या सरकार कोई ऐसी उचित विधि खोजने में सफल हुई है जिससे कि शुद्ध घी में वनस्पति की मिलावट न की जा सके ;

(ग) गत पांच वर्षों में वनस्पति घी तैयार करने वाले कितने कारखाने खोले गये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) साधारणत: वनस्पति घी अकेले बिनौले, व अकेले मूंगफली के तेल से तैयार नहीं किया जाता बल्कि इन तेलों के मिश्रण से । प्रयोग में लाये गये दोनों तेलों के अनुपात के आधार पर १९५८ में बिनौले के तेल से ०.१२ लाख टन और मूंगफली के तेल से २.८३ लाख टन वनस्पति घी तैयार किया गया ।

(ख) जी हां, घी में वनस्पति की मिलावट का वोडोइन टेस्ट के द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है । इस जांच का एक सरल तरीका हाल ही में सेंट्रल फूड टेक्नोलोजीकल रिसर्च इन्स्टीच्यूट, मैसूर द्वारा मालूम किया गया है, और इसको एक सस्ते और आसानी से प्रयोग में लाने योग्य टैस्ट-किट के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है जिससे साधारण मनुष्य और घरेलू स्त्रियां भी घी की शुद्धता जांच सकती हैं ।

इसके अतिरिक्त घी अथवा तेलों, जैसे नारियल का तेल, के रंगों और गन्ध के सदृश किसी प्रकार के रंग अथवा गन्ध का प्रयोग, जिससे मिलावट की जांच करनी कठिन हो जाती है, रोक दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) दो, एक कारखाना दिसम्बर, १९५४ में और दूसरा दिसम्बर, १९५५ में स्थापित किया गया था ।

घोसी कोलोनी, दिल्ली

†९३. **श्री वाजपेयी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार ने दिल्ली के पशु स्वामियों के लिये बसाई जानें वाली घोसी कोलोनी के लिये स्थान एलाट कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो निम्नलिखित के सम्बन्ध में क्या क्या ब्योरे हैं :—

(१) वहां पर कितने पशुओं के लिये स्थान एलाट किया जायेगा ;

(२) परियोजना पर लगभग कितना खर्च आयेगा ; और

(३) उसमें से कितना खर्च सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकार ने दिल्ली के अजमेरी गेट के क्षेत्र से गन्दी बस्तियां हटाने के उद्देश्य से लगभग ११९० पशुओं और उन पशुओं की देखभाल करने वाले १३२ परिवारों को बसाने की एक योजना तैयार की है। यह विचार किया गया है कि पशुओं और उनके स्वामियों को निम्नलिखित छः स्थानों पर बसाया जाये :—

(१) वजीरपुर नामक गांव के पास—उत्तर की ओर ;

(२) शाहदरा बांध के पूर्व की ओर उस्मान गांव के पास;

(३) नजफगढ़ रोड और कैंटोन्मेंट रोड के मिलान पर पोशांगीपुर गांव के पास;

(४) आजादपुर गांव के पास का सेना का घास फार्म क्षेत्र;

(५) महरौली का दक्षिणी क्षेत्र ; और

(६) ओखला का दक्षिणी क्षेत्र ।

गन्दी बस्तियों में पशु रखने वाले लोगों को भूमि अलाट करने के सम्बन्ध में प्रस्थापित योजना पर ५·१२ लाख रुपये के व्यय का अनुमान है चाहे यह भूमि एकमुश्त अदायगी पर दी जाये और चाहे भूमि का मूल्य किराया-खरीद के आधार पर वसूल किया जाये। दिल्ली विकास प्राधिकार सरकारी कर्जों में से इसके लिये धनराशि देगा ।

उभयलिंगी व्यक्ति

९४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उभय-लिंगी व्यक्तियों के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो वह सभा-पटल पर कब रखी जायेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). दिनांक १७ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७७४ में मांगी गयी जानकारी शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भोजन व्यवस्था कर्मचारी

†९५. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब रेलवे ने ठेकेदारों से भोजन व्यवस्था का कार्य अपने हाथ में लिया तो मैसर्स बल्लभ दास एण्ड कैलनर, ठेकेदारों के पास भोजन व्यवस्था कर्मचारियों की संख्या क्या थी; और

(ख) इन कर्मचारियों के लिए वेतन अथवा अन्य सुविधाओं की रेलवे द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) ८६८ कर्मचारियों को रेलवे कर्मचारियों के तौर पर भोजन व्यवस्था विभाग में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त ५८७ कर्मचारियों ने अन्य नौकरियां प्राप्त कर लीं । ५७२ को दलाली पर खौंचे दे दिए गये और १५ लोगों को छोटे ठेकेदार बना दिया गया।

(ख) भोजन व्यवस्था विभाग में जिन लोगों को लगाया गया है उनका वेतन क्रम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अनुसार होगा और उनकी सेवा शर्तें भी अन्य रेलवे कर्मचारियों के अनुसार ही होंगी ।

दमदम हवाई अड्डा

†९६. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लगभग कब तक दमदम हवाई अड्डे पर जैट विमान के चलाने की व्यवस्था संभव हो सकेगी ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** दमदम हवाई अड्डे तक कोमेट ४ तक तो जैट विमान का चालन अब भी सम्भव है, परन्तु जुलाई १९५९ तक यह हवाई अड्डा बोइंग जैट विमान के चालन योग्य भी हो जायेगा । आशा है कि इस समय जो विकास कार्य चालू हैं वे तब तक पूर्ण हो जायेंगे ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†९७. **श्री वें० प० नायर**
श्री ईश्वर अय्यर

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के, जिस में कि गवेषणा के लिए विद्यार्थियों का दाखिला हो चुका है, विभागों में सभी पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में विद्यार्थियों को केवल गवेषणा के लिए ही नहीं लिया जाता है । गवेषणा का कार्य तो अध्यापन कर्मचारी और

---

†मूल अंग्रेजी में

स्नातकोत्तर श्रेणी के विद्यार्थी एक विभाग में करते हैं। जिन विभागों में गवेषणा होती है उन में भरे गये तथा बिना भरे गये पदों की संख्या निम्न प्रकार है :—

विभाग का नाम	भरे गये स्थानों की संख्या		बगैर भरे गये स्थानों की संख्या	
(१) शरीर विज्ञान (फ़िज़ियोलौजी)	प्राध्यापक (प्रोफ़ेसर)	२	सहायक प्राध्यापक	२
	सहायक प्राध्यापक (असिस्टेंट प्रोफ़ेसर)	१		
(२) व्याधिविद्या (पैथोलौजी)	सहायक प्राध्यापक	१	सह प्राध्यापक	१
(३) शरीर रचना विज्ञान (एनेटोमी)	प्राध्यापक	२	सहायक प्राध्यापक	१
	सहायक प्राध्यापक	२		
(४) रोगाटेणुविज्ञान (बैक्टियोलोजी)	सह प्राध्यापक	१	प्राध्यापक	१
	सहायक प्राध्यापक	२		
(५) भेषज विज्ञान (फार्मेस्योलौजी)	प्राध्यापक	१	प्राध्यापक	१
	सहायक प्राध्यापक	२		
(६) विरूपशोधन शल्य चिकिसा (आर्थोपेडिक सर्जरी)	प्राध्यापक	१		
	सहायक प्राध्यापक	१	—	

तेल वाली सारडीन मछलियां

†१९८. **श्री वें० प० नायर :**
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पूर्वी तटीय क्षेत्र के १० मील के बाहर तेल वाली सारडीन मछलियों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करने के बारे में क्या कोई विशेष पग उठाया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : कोचीन में १९५८ में तट से परे मछली केन्द्र की स्थापना की गयी थी जिस के साथ ही पश्चिमी तट पर केन्द्रीय समुद्रीय मछलियों का गवेषणा केन्द्र भी स्थापित किया गया है। यह कन्द्र सभी प्रकार की मछलियों के सम्बन्ध में जांच करेगा और उस में तट के परे उपलब्ध तेल वाली सारडीन मछलियां भी होंगी।

†मूल अंग्रेजी में

केरल से दिल्ली के लिये अंडों की टोकरियों का बुक किया जाना

†९९. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री वारियर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केरल के रेलवे स्टेशनों पर जो अंडों की टोकरियां दिल्ली के लिए बुक की जाती हैं वे जनता एक्सप्रैस द्वारा नहीं ले जाई जातीं ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) **नहीं,** केरल से दिल्ली आने वाले अंडे मद्रास सैंट्रल स्टेशन से मद्रास –दिल्ली जनता एक्सप्रैस द्वारा लाये जाते हैं।

(ख) और (ग). १५-१२-५८ से पूर्व स्थान कम होने के कारण १७ डाउन मद्रास–दिल्ली जनता एक्सप्रैस में अंडे इत्यादि खराब होने वाली चीजों का बुकिंग कोटे के हिसाब से होता था। इस पाबन्दी को हटाने के लिए सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुये। १५-१२-५८ से एक अतिरिक्त पार्सल गाड़ी की व्यवस्था कर दी गयी है । अब दक्षिण रेलवे के सभी स्टेशनों पर दिल्ली के अंडों का बुकिंग बिना किसी रोक के स्वीकार होता है । मद्रास–दिल्ली जनता एक्सप्रैस संख्या १७ द्वारा मद्रास सैंट्रल स्टेशन से सारा माल उठा लिया जाता है ।

अहमदनगर-पुरली लाइन

†१००. **श्री पांगरकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में अहमदनगर-पुरली लाइन का सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां तो कब, और उसका परिणाम क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) शायद माननीय सदस्य का आशय पुरली-बैजनाथ से है। इसका कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दूसरे दर्जे में स्थान

†१०१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कई एक गाड़ियों में दूसरे दर्जे के स्थान नहीं होते, परन्तु उसमें दूसरे दर्जे की टिकटें जारी की जाती हैं, और

(ख) जिन दिशाओं में दूसरे दर्जे की सुविधाओं को समाप्त किया गया है अथवा उपलब्ध नहीं हैं कौन-कौन सी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) यह ठीक है कि कई एक गाड़ियों में दूसरे दर्जे की व्यवस्था नहीं है, परन्तु ऐसी कोई शिकायत उपलब्ध नहीं हुई कि उनके लिए दूसरे दर्जे की टिकटें जारी की जाती हैं।

(ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण साथ दिया जाता है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३०]**

समुद्रगढ़ और दुमुरदाह स्टेशनों के प्लेटफार्म

†**१०२. श्री सबिमन घोष:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की क्या कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्रगढ़, बेहूला, धात्रीग्राम और दुमुरदाह, तथा बी० ए० के० लूप लाइन तथा पूर्व रेलवे के स्टेशनों पर अलग अलग १९५७ और १९५८ में आने जाने वालों की संख्या क्या थी;

(ख) क्या यह सत्य है कि अभी हाल ही में धात्रीग्राम और बेहूला स्टेशनों के प्लेटफार्मों को ऊंचा कर दिया गया है;

(ग) समुद्रगढ़ और दुमुरदाह स्टेशनों पर ऊंचे प्लेटफार्मों के निर्माण न किये जाने का क्या कारण है; और

(घ) क्या यह सत्य है कि जनता की ओर से दुमुरदाह स्टेशनों पर ऊंचे प्लेटफार्म निर्माण करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुये है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) अपेक्षित जानकारी का विवरण साथ लगा दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३१]**

(ख) धात्रीग्राम के दो प्लेटफार्म हैं। एक ऊंचे स्तर का है और दूसरा रेल स्तर का है। बेहूला का प्लेटफार्म ऊंचा नहीं है।

(ग) अभी तक समुद्रगढ़ और दुमुरदाह में ऊंचे प्लेटफार्मों का निर्माण नहीं किया गया। इसका कारण यह है कि यात्रियों को बहुत सी सुविधायें देने का मामला हाथ में लिया गया है और साथ ही उपलब्ध वित्तीय व्यवस्था के अनुसार क्षेत्रीय रेलवे उपभोक्ता परामर्श समिति ने कुछ प्राथमिकताओं की सिफारिश की है।

(घ) नहीं, केवल एक ही अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

इमारतों में पूर्वप्रतिबलित कंक्रीट का प्रयोग

†**१०३. श्री इन्सार हरवानी:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अपनी इमारतों में पूर्वप्रतिबलित कंक्रीट के प्रयोग का निर्णय किया है, और

(ख) क्या कलकत्ता रेलवे विद्युतीकरण योजना के लिए पूर्वप्रतिबलित योजना के लिए कंक्रीट के खम्भों को ही उपयोगी समझा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट के खम्भे कलकत्ता विद्युतीकरण की शोरफ्ली तारकेश्वर शाखा पर प्रयोग के लिए लगाये गये थे और अभी से यह नहीं कहा जा सकता कि वे उपयोगी थे। मुख्य लाइनों पर इन खम्भों को लगाने के सम्बन्ध में परीक्षण किया जा रहा है।

उड़ीसा में कृषि उत्पादन संरक्षण

†१०४. **श्री पाणिग्रही** : क्या **सामूदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कृषि उत्पादन के संरक्षण के लिए १९५७–५८ और १९५८–५९ में उड़ीसा सरकार को भारत सरकार ने कोई अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत हुई; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन संरक्षण सम्बन्धी कोई योजना प्रस्तुत की है?

†**सामूदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० क० डे)**: (क) से (ग). वैसे तो कृषि उत्पादन के संरक्षण सम्बन्धी कोई योजना नहीं है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कृषि ऋण सहकारी संस्थायें तथा सहकारी विपणन को सहायता देने की व्यवस्था है ताकि वे गोदामों का निर्माण कर सकें। उड़ीसा सरकार भी इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय सहकारी विकास, भन्डार बोर्ड ने १९५७–५८ में १,१५,००० रुपये स्वीकृत किया था, ताकि उड़ीसा सरकार सहकारी संस्थाओं को सहायता दे सके। १९५८–५९ में बोर्ड ने इसी प्रकार के प्रविधिक कार्यक्रम की स्वीकृति दी जिसमें २५००० रुपये की अनुदान राशि भी थी। १९५८–५९ की अन्तिम अदायगी वास्तविक व्यय के आधार पर की जायेगी।

तपेदिक सर्वेक्षण

†१०६. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २५ अगस्त १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७९ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् द्वारा जो तपेदिक का नमूना सर्वेक्षण आरम्भ किया गया था, उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस रोग की भारत में अब क्या अवस्था है और उस प्रतिवेदन के मुख्य अंग क्या है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् द्वारा अभी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय चिकित्सा परिषद्

†१०७. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने भारत सरकार को यह सूचित कर दिया है कि सारे देश में एक ही प्रकार की चिकित्सा प्रणाली अर्थात्, आधुनिक प्रणाली होनी चाहिये, जिसे कि परिषद् द्वारा निर्धारित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिषद् की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार आधुनिक और देशीय दोनों प्रकार की प्रणालियों का विकास करना चाहती है ।

पंजाब की सड़क निर्माण योजनायें

†१०८. **श्री राम कृष्ण :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९–६० में केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत पंजाब में सड़कों के निर्माण के लिये सरकार को कोई योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना स्वीकार कर ली गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार की प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही उसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

रबी की फसल वाली भूमि

†१०९. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली से संघ राज्य-क्षेत्र में कितने एकड़ रबी की फसल वाली भूमि में पानी भर जाने के कारण गत बोने के काल में बोने का कार्यक्रम पूरा न हो सका ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ०प्र० जैन) :** दिल्ली संघ-राज्य क्षेत्र में जिस रबी की फसल वाली भूमि में बोने के समय पानी भर जाने के कारण बोवाई न हो सकी वह ९०७७ एकड़ है ।

शिशु चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र

†११०. **श्री इ० मधुसुदन राव :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत जो ५ शिशु चिकित्सालय प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने हैं, क्या उनमें से बाकी बचे दो केन्द्रों को स्थापित करने की प्रस्थापना पर सरकार विचार कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से सरोजनी नायडू चिकित्सा कालिज में शिशु चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में प्रस्थापना प्राप्त हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वन्य पशु

†१११. { **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि मंत्री ने अखिल भारतीय वन्य पशु सम्बन्धी बोर्ड की छठी बैठक में भाषण देते समय कहा था कि वन्य पशुओं की नस्लें खत्म होने का बड़ा खतरा पैदा हो गया है ;

(ख) इनकी नस्लों को खत्म होने से रोकने के लिये सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) शीघ्र ही क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** :(क) जी हां । उन्होंने कहा था कि वन्य पशुओं की कुछ नस्लें खत्म होने की आशंका है ।

(ख) और (ग). वन्य पशुओं की नस्लों को खत्म होने से रोकने के लिये यह कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ।

केन्द्रीय सरकार ने जो कार्यवाही की अथवा करने का विचार है

(१) वन्य जीवन परिरक्षण सम्बन्धी मामलों के बारे में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को मंत्रणा देने के लिये १९५२ में वन्य पशु सम्बन्धी भारतीय बोर्ड की स्थापना की गई । बोर्ड में कई गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि लिये गये हैं ।

(२) वन्य जीवन परिरक्षण के लिये जनता में उत्साह पैदा करने के लिये प्रत्येक वर्ष अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य जीवन सप्ताह मनाया जाता है । इस सप्ताह में विज्ञापनों और सिनेमा स्लाइड दिखा कर और बैठकें करके तथा देश के विभिन्न भागों में जलूस निकाल कर इस का प्रचार किया जाता है ।

(३) राज्य सरकारों को वन्य पशुओं के परिरक्षण तथा बचाव की योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता देने के हेतु केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में १३५ लाख रुपये की व्यवस्था की है ।

(४) वन्य पशुओं को नष्ट होने से रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कुछ दुर्लभ प्रकार के पशुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ।

(५) वन्य पशुओं की जिन नस्लों के बारे में बोर्ड की यह राय होती है कि वे दुर्लभ होती जा रही हैं उनके संरक्षण के बारे में बोर्ड राज्य सरकारों को अपनी सिफारिशें भेजता है । हाल ही में बोर्ड शेर, चीता, रीनो, गैंडा, सफेद बत्तख और क्रोकोडाइल आदि हैं ।

राज्य सरकारों द्वारा की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही

(१) लगभग सभी राज्य सरकारों ने वन्य पशुओं के परिरक्षण सम्बन्धी मामलों में मन्त्रणा देने के लिये राज्य वन्य पशु सम्बन्धी बोर्ड स्थापित कर दिये हैं जिनमें गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी रखा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने राज्य क्षेत्रों में नैशनल पार्क और आखेट वन बनाये हैं। इस समय देश में ५ नैशनल पार्क और ७३ से अधिक आखेट वन हैं।

(३) राज्य सरकारें समय-समय पर उन नस्लों को संरक्षित घोषित करती हैं जो स्थानीय वनों में दुर्लभ हो जाती हैं।

(४) कुछ एक राज्य सरकारों ने वन्य पशुओं की कुछ नस्लों का परिरक्षण करने के विचार से उनकी गणना करने के लिये भी कार्यवाही की है।

(५) लगभग सभी राज्यों में शिकार के लिये लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है जिससे कि अत्यधिक पशुओं का शिकार न किया जाये।

(६) फसलों के बचाव के लिये रखी गई बन्दूकों का शिकार के लिये प्रयोग न किया जाये इसके लिये राज्य सरकारें प्रायः यह कार्यवाही करती हैं कि फसल के मौसम के बाद उन बन्दूकों का प्रयोग नहीं करने दिया जाता और बन्दूकों की बजाये गुलेलों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाता है।

(७) वार्षिक वन्य पशु सप्ताह समारोह में इश्तहार आदि बांट कर इसका प्रचार किया जाता है।

(८) विभिन्न राज्य सरकारों ने चिड़िया घर आदि बनाने की योजनायें बनाई हैं जिससे वन्य पशुओं का संरक्षण होता है।

(९) विभिन्न राज्य सरकारें विशेषकर शिक्षा संस्थाओं में प्राकृतिक इतिहास संस्थाओं, पशु सम्बन्धी संस्थाओं, प्रकृति अध्ययन क्लबों आदि स्थापित करने के लिये कार्यवाही कर रही हैं। ऐसी संस्थायें स्थापित करने से वन्य पशुओं के संरक्षण में लोगों की रुचि बढ़ती है।

(१०) वन्य पशुओं सम्बन्धी भारतीय बोर्ड की सिफ़ारिशों पर राज्य सरकारों ने शिकार सम्बन्धी नियमों को कड़ा कर दिया है जिससे कि अवैध रूप से शिकार न किया जाये। कुछ राज्यों ने, जैसे कि मद्रास और उत्तर प्रदेश, चोरी छपे शिकार को रोकने के लिये 'स्क्वाड' बनाये हैं जो दिन में सैकड़ों मीलों में घूम कर चोरी छपे शिकार करने वालों को पकड़ते हैं।

पहलेजाघाट और महेन्द्रघाट

†११२. **श्री राजेन्द्र सिंह**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्व रेलवे में पहलेजाघाट और महेन्द्रघाट पर एक से दूसरे घाट तक जाने के लिये टिकट नहीं दिये जाते हैं;

(ख) क्या घाट पार करने के लिये यात्रियों से जुर्माना लिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक से दूसरे घाट तक जाने वाले यात्रियों के लिये राज्य सरकार ने अलग फैरी सेवाओं को लाइसेंस दिये हुए हैं। रेलवे फैरी में उन यात्रियों को एक से दूसरे घाट तक जाने का अधिकार नहीं है जो आगे रेल की यात्रा नहीं करते हैं। इन परिस्थितियों में यदि एक से दूसरे

†मूल अंग्रेज़ी में

घाट तक जाने वाला कोई यात्री फैरी में पकड़े जाते हैं तो उन्हें बिना टिकट सफर करने वाले मान कर उनसे भाड़ा और जुर्माना वसूल किया जाता है।

रेलवे के लिये लकड़ी

†११३. **श्री सामन्त सिंहार :** क्या रेलवे मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो कि :

(क) भारतीय रेलवे के लिये प्रति वर्ष कितनी लकड़ी की आवश्यकता होती है;

(ख) १९५८ में कितने मूल्य की लकड़ी का आयात किया गया;

(ग) उक्त अवधि में कितनी लकड़ी का आयात किया गया, विभिन्न प्रकार की लकड़ी के लिये प्रति क्यूबिक फुट कितना मूल्य दिया गया, कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई और आयात की गई लकड़ी के लिये कितना भाड़ा (देश वार) दिया गया; और

(घ) उसी अवधि में विभिन्न प्रकार की भारतीय लकड़ी के लिये प्रति क्यूबिक फुट कितना मूल्य दिया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३२]**

मछली पकड़ने के बन्दरगाह

†११४. **श्री सुब्बया अम्बलम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पकड़ने के बन्दरगाहों का विकास करने के लिये मुख्य केन्द्रों का सर्वेक्षण करने के हेतु नियुक्त किये गये बन्दरगाह विशेषज्ञों ने इसके बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी; और

(ग) मद्रास राज्य में वे किन-किन स्थानों पर गये थे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) विशेषज्ञ मद्रास राज्य में कोलाचेल, लीलपुरम, तूतीकोरिन, पम्बन, नागपट्टिनम, कुडलूर और मद्रास स्थानों पर गये थे।

तूतीकोरिन पत्तन

†११५. **श्री सुब्बया अम्बलम :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन पत्तन के परिवहन सर्वेक्षण का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां, प्रतिवेदन ६ फरवरी, १९५९ को ही मंत्रालय में पहुंचा है।

(ख) प्रतिवेदन का परीक्षण हो रहा है।

(ग) यह प्रतिवेदन गोपनीय रूप से राज्य सरकार को एक छोटे पत्तन के बारे में, जो कि राज्य की वैधानिक शक्तियों के अन्तर्गत आता है, भेजा गया है। मद्रास राज्य ने प्रतिवेदन के बारे में अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाले हैं। इसलिये अभी प्रतिवेदन को सभा-पटल पर नहीं रखा जा सकता। इसे पटल पर रखने के बारे में यथासम्भव विचार किया जायेगा।

दाव

†११६. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन को सामान अथवा पार्सलों के खो जाने, क्षति पहुंचने, विलम्ब से पहुंचने अथवा किसी आगे के स्थान पर ले जाये जाने के कारण प्रतिकर की मांग करते हुए कितने दावे मिले हैं और उनमें कितना प्रतिकर मांगा गया है;

(ख) १९५८ की समाप्ति तक बिना अदालत में गये कितने मामलों का निर्णय किया गया है और कितने मामले निर्णय के लिये अदालतों में पड़े हुए हैं; और

(ग) उसी अवधि में सामान के खो जाने, क्षति पहुंचने अथवा विलम्ब से पहुंचने के कारण कितना प्रतिकर दिया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १९५८ में पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों के लिये बुक कराये गये माल अथवा पार्सलों के खो जाने अथवा उन्हें क्षति पहुंचने के ३८,८७८ दावे वसूल हुए।

उन दावों को छोड़ कर जिन में राशि व्यक्त नहीं की गई थी कुल १७९·२ लाख रुपये की मांग की गई थी।

पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से अन्य रेलों के लिये बुक कराये गये माल के दावों का रिकार्ड नहीं रखा जाता है और ये आंकड़े एकत्र करने में बहुत समय लगेगा।

(ख) १९५८ में १७४८ दावेदारों ने पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाफ अपने-अपने क्षेत्रों में जो मुकदमे किये थे उनका निर्णय अदालत से बाहर ही कर लिया गया और १९५८ की समाप्ति तक २५२३ मुकदमे अदालतों में निर्णय के लिये पड़े हुए थे।

(ग) लगभग ३१·६ लाख रुपये।

ग्राम्य ऋण

†११७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में ग्राम्य ऋण के सर्वेक्षण के जिलावार तथा सामान्य प्रतिवेदन तैयार हो गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो ये कब तक तैयार हो जायेंगे ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) जी नहीं ।

(ख) आशा है कि सामान्य प्रतिवेदन चार मास में तैयार हो जायेगा और जिला वार प्रतिवेदन उसके दो मास बाद ।

पंजाब में ग्राम्य जल संभरण योजना

†११८. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब सरकार को ग्राम्य जल सम्भरण योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवंटित की गई राशियों में से अब तक कितना खर्च किया जा चुका है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : १९५७-५८ में राज्य सरकार को ५ लाख रुपये दिये गये थे । चालू वित्तीय वर्ष के लिये २२ लाख रुपया आवंटित किया गया है जिसमें से उसे अर्थोपाय पेशगियों के रूप में १६·५ लाख रुपये दिये जाने थे । अन्तिम स्वीकृति इस वर्ष फरवरी-मार्च में दी जायेगी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब सरकार ने अपनी ग्राम्य जल संभरण योजनाओं पर ३१–१०–५८ तक २६·४५ लाख रुपये खर्च किये थे ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्

११९. **श्री रा० स० तिवारी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की सातवीं बैठक जनवरी, १९५९ में शिलांग में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो पषिद् द्वारा क्या निर्णय किये गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) परिषद् द्वारा नीचे लिखे प्रस्ताव पारित किये गये :—

१५ से १७ जनवरी, १९५९ तक शिलांग में हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की सातवीं बैठक में पारित प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या १

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् को यह जानकर सन्तोष होता है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की यह आम इच्छा है कि बिना योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को चिकित्सा कार्य करने से रोकने के लिए

†मूल अंग्रेजी में

कदम उठाये जायें । इस परिषद् का विचार है कि इस मामले में अब वैधानिक कार्यवाही करने का वक्त आ गया है । अतः यह परिषद् सिफारिश करती है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा तैयार किये गये बिल के प्रारूप (आदर्श) को सभी राज्य सरकारों के पास परिपत्रित कर दिया जाये तथा उनसे यह प्रार्थना की जाये कि वे इस बिल को ऐसे संशोधनों के साथ जिन्हें वे आवश्यक समझें, ग्रहण कर लें ।

प्रस्ताव संख्या २

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् एक्स-रे विज्ञान तथा अयनित-विकिरणों के उत्तरोत्तर उपयोग के परिणामस्वरूप लोक स्वास्थ्य में उपस्थित अड़चनों को समझती हुई तथा इस विषय में उचित रक्षोपायों की संख्या की आवश्यकता को स्वीकार करती हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से निवेदन करती है कि इस कार्य को करने वाले कर्मचारियों तथा संयंत्रों के सक्रिय नियंत्रण तथा निरीक्षण के लिये एक विधेयक तैयार करे । यह परिषद् साथ ही यह भी सिफारिश करती है कि इस विषय के लिये बने विधान का रूप अखिल भारतीय हो जिससे सभी राज्य इसको अपनी-अपनी सीमाओं में लागू कर सकें ।

प्रस्ताव संख्या ३

राष्ट्रीय-जल प्रदाय एवं सफाई योजना की पुनरीक्षा करने के बाद तथा इसकी क्रियान्विति में उपस्थित हुई दिक्कतों तथा रुकावटों को जान लेने के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् सिफारिश करती है कि :

(१) राज्यों में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठनों को हर प्रकार से मजबूत करने का कार्य जारी रखा जाये ।

(२) राज्य सरकारों को चाहिये कि वे लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी प्रशिक्षण के लिये आवश्यक कदम उठायें जिससे क्षेत्र में प्रशिक्षित लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरी कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या कार्य कर सके । इसके अतिरिक्त उन्हें चाहिये कि वे ग्राम क्षेत्रों की जल प्रदाय योजनाओं के लिए हैण्ड-पम्प तथा अन्य सामग्री की व्यवस्था के लिये उचित प्रबन्ध करें ।

(३) सम्बन्धित बहुत सी एजेन्सियों की और विशेषतया कार्यक्रम के ग्रामीण पहलू में, गतिविधियों को श्रंखलाबद्ध करने के मार्ग एवं उपायों को निकाले जिससे लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन के कार्यक्षेत्र में जाने वाले समन्वयी कार्यक्रम को विकसित किया जा सके ।

(४) जल प्रदाय एवं सफाई कार्यक्रम इस प्रकार चलाया जाये जिससे देश की आवश्यकतायें लगभग दस वर्ष के भीतर ही पूर्ण हो जायें ।

यह परिषद् अपनी पूर्व सिफारिशें फिर दुहराती है कि राज्यों में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग राज्य लोक स्वास्थ्य विभागों के अभिन्न भागों में के रूप में कार्य करे ।

प्रस्ताव संख्या ४

देश के बहुत से भागों में हैजा तथा चेचक के मामलों में वृद्धि की जानकारी करने के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् राज्य सरकारों का ध्यान इस परिषद् की पांचवीं बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या ५ की ओर आकर्षित करती है और प्रार्थना करती है कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में चुने गये क्षत्रों में ५ से ७ वर्ष की आयु वाले बच्चों पर अथवा स्कूलों में भर्ती होने के समय सब बच्चों पर फिर से टीका

लगाना अनिवार्य करने के लिए कार्यवाही करे। यह परिषद् राज्य सरकारों पर जोर देती है कि वे चेचक तथा हैजा के नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा सिफारिश किये गये उपायों को कार्यशील बनाये तथा निवेदन करती है कि वे इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं के परीक्षण के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही करे। यह परिषद् आगे यह सिफारिश करती है कि जब राज्य सरकारें विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का परीक्षण कर लें तो केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय के राज्य स्वास्थ्य विभागों के प्रतिनिधि बैठें और इन बीमारियों के उन्मूलन के लिए विस्तृत योजनायें तैयार करें।

प्रस्ताव संख्या ५

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रशंसा करती है और आशा करती है कि इस उन्मूलन के उद्देश्य को निश्चित अवधि के अन्तर्गत ही प्राप्त करने की गतिविधियों पर और जोर दिया जायेगा।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए चिकित्सा कर्मचारियों को भर्ती करने में कुछ राज्यों की दिक्कतों को जानते हुए और मलेरिया उन्मूलन एककों के चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा संचालित करने की आवश्यकता प्रतीत करते हुए यह परिषद् सिफारिश करती है कि ऐसे कार्यों के लिए नियुक्त चिकित्सा अफसरों को विशेष भत्ता दिया जाये।

यह परिषद् आगे सिफारिश करती है कि :—

(१) कुछ राज्यों में एक बड़े भाग पर छिड़काव करने के लिए अतिरिक्त कीटनाशी तत्व उपलब्ध किये जायें ;

(२) पड़ोसी देशों से, जहां सीमा पर मलेरिया नियन्त्रण नहीं ह, मलेरिया के दुबारा फैलने को रोकने के लिए समय पर उचित प्रबन्ध कर दिये जायें ;

(३) ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानिक निकायों के जरिये देहात वालों को सहयोग प्राप्त करने के कदम उठाये जायें, तथा इस प्रयोजन के लिए ग्राम, ताल्लुक, जिला इत्यादि विभिन्न स्तरीय विशेष समितियां बनाई जायें ; और

(४) भारतीय चिकित्सा संघ की सद्भावना के रुधिर परीक्षण तथा प्रगत मामलों की सूचना उचित अधिकारियों को देकर समस्त क्लीनिकी मलेरिया के मामलों के प्रमाणीकरण के लिए चकित्सकों का सहयोग प्राप्त किया जाये।

प्रस्ताव संख्या ६

विभिन्न राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना में जो उन्नति हुई है तथा उपचार एवं रोकथाम की गतिविधियों को श्रंखलाबद्ध करने की दिशा में जो कार्यवाही की जा रही है, केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् उस पर सन्तोष प्रकट करती है। यह परिषद् यह महसूस करती है कि रोकथाम की गतिविधियों पर और विशेषतया सफाई से सम्बन्धित कार्यों पर और अधिक बल देने की आवश्यकता है। परिषद् यह भी समझती है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यक्रम में क्या प्रशासनीय कठिनाइयां हैं तथा उसको सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में गाड़ियों के इस्तैमाल, कार्यक्रम के लिए विभिन्न सूत्रों से

मिली बजट सम्बन्धी पूंजी के उपयोग तथा कर्मचारियों के नियन्त्रण इत्यादि, समन्वय की क्या समस्यायें हैं ।

यह परिषद् सिफारिश करती है कि राज्य स्वास्थ्य विभागों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने में समर्थ बनाने की दृष्टि से प्रशासनीय एवं आर्थिक प्रबन्ध जहां कहीं आवश्यक हों गतिशील किये जायें। तकनीकी कर्मचारियों को निश्चित कार्यक्रम की सीमाओं के अन्तर्गत कार्य स्वतन्त्रता दे दी जाये ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अफसरों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा उपयुक्त आवासिक सुविधाओं के बारे में दी गई अपनी सिफारिशों की ओर भी यह परिषद् राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करती है और आशा करती है कि जिन राज्यों में सिफारिशों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

प्रस्ताव संख्या ७

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् परिवार नियोजन कार्य में की गई प्रगति की प्रशंसा करती है और सिफारिश करती है कि राज्य सरकारें इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनायें । विशेषतया लोगों की शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा परिवार को सीमित करने के उपायों की व्यवस्था, जिसमें अस्पतालों एवं चिकित्सा संस्थाओं में शल्य सुविधायें भी सम्मिलित हैं, की दिशा में इस कार्यक्रम को प्रभावशाली होना चाहिये । परिषद् का विचार है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ऐसी शल्य सुविधाओं के लिए आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर विचार करे ।

यह परिषद् यह भी सिफारिश करती है कि परिवार नियोजन गतिविधियों के विस्तार के लिए सभी स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण एजेन्सियों को गतिशील बना दिया जाये ।

प्रस्ताव संख्या ८

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् जहां राष्ट्रीय क्षय निरोधी कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं में राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त उन्नति की सराहना करती है वहां इस परिषद् के पास भेजे गये ज्ञापन में उल्लिखित अनेक कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित करती है । यह परिषद् सुसंगठित क्लीनिक की पर्याप्त संख्या तथा घरेलू इलाज प्रदान करने की आवश्यकता पर विशेष जोर देती है । इस प्रयोजन के लिए यह परिषद् सिफारिश करती है कि अपेक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनका प्रशिक्षण कार्य शीघ्र से शीघ्र हो तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार इन सुविधाओं को प्रदान करे ।

प्रस्ताव संख्या ९

देश में रति-रोग नियंत्रण कार्यक्रम की धीमी प्रगति को समझते हुये केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् सिफारिश करती है कि रति-रोग कार्यक्रम को पहले से अधिक अग्रता दी जाये तथा राज्य सरकारों से निवेदन करती है कि वे रति-रोग क्लीनिकों को चालू करने, ऐसे क्षेत्रों में जहां सामूहिक आन्दोलन आवश्यक हो, सामूहिक आन्दोलन ऐकक स्थापित करने तथा रति-रोग कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम को बड़े जोर शोर से चलायें ।

यह परिषद् यह भी सिफारिश करती है कि राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई रति-रोग योजनाओं को केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता दिये जाने के प्रश्न पर अवश्य विचार किया जाये चाहे वे निश्चित आदर्श से थोड़ा बहुत अलग ही क्यों न हों ।

यह परिषद् केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से यह निवेदन करती है कि वह रति-रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिये पी० ए० एम० शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराये ।

प्रस्ताव संख्या १०

राज्यों के स्वास्थ्य विभागों में सांख्यिकी संगठनों के विकास की वर्तमान दशा को जानती हुई तथा वर्तमान हालतों के उपयुक्त सांख्यिकी ऐकडों के नमूनों के विकास की आवश्यकता को महसूस करते हुये केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् सिफारिश करती है कि इस सारे प्रश्न का निरीक्षण एक समिति करे जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति हों :—

स्वास्थ्य मंत्री, मद्रास	अध्यक्ष
पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
बम्बई सरकार के प्रतिनिधि	
आन्ध्र सरकार के प्रतिनिधि	
रजिस्ट्रार जनरल के प्रतिनिधि	
स्वास्थ्य सेवाओं के प्रधान निदेशालय के प्रतिनिधि	

इस समिति की सिफारिशों को केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की अगली बैठक में रखा जाये ।

प्रस्ताव संख्या ११

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम में हुई उन्नति को जानती हुई सिफारिश करती है कि सहायक केन्द्र कार्यक्रम और जोर से किया जाये और इस कार्य पर अधिक प्रभावशाली एवं शक्तिप्रद निगरानी रखी जाये । यह परिषद् राज्य सरकारों से यह भी सिफारिश करती है कि इस कार्य में स्वयं सेवी ऐजेन्सियों तथा समाज कल्याण संगठनों से अधिक सम्पर्क बढ़ाने की आवश्यकता है ।

प्रस्ताव संख्या १२

अपने स्वास्थ्य निदेशालयों में स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरुओं की स्थापना के लिये कुछ राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार ने जो कदम उठाये हैं, केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् उनको समझती हुई राज्य सरकारों से यह विनय करती है कि वे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार एवं परिपत्रित की गई राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो स्थापित करने की योजना को अपनायें तथा आशा करती है कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सफलता-पूर्वक कार्यान्वित करने के लिये तथा लोगों के स्वास्थ्य रखने एवं उसमें उन्नति करने में उनके सक्रिय सहयोग को प्राप्त करने के लिये, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम को इस योजना में निर्दिष्ट तरीकों के अनुसार विकसित किया जायेगा ।

प्रस्ताव संख्या १३

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् देश में उत्पादित एवं बेची जाने वाली औषधों के स्तर पर और अधिक प्रभावशाली नियंत्रण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुये सिफारिश करती है कि :—

(१) राज्यों में निरीक्षण कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी जाये । जिससे औषधों के उत्पादन एवं विक्रय पर प्रभावशाली नियंत्रण रखा जा सके एवं औषध तथा चमत्कारी

उपचार अधिनियम उचित रूप से लागू किया जा सके ; साथ ही उनके वेतन भी उनके उत्तरदायित्वों के अनुरूप होने चाहिये तथा वेतन ऐसे हों कि इस पद की ओर योग्य व्यक्ति आकर्षित हों ;

(२) विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिये कदम शीघ्र उठाये जायें तथा औषध अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सरकारी विश्लेषक नियुक्त किये जायें ; और

(३) केन्द्रीय सरकार अन्तर्राज्य व्यापार में प्रचलित पेटेण्ट एवं एकायत औषधों तथा दवाइयों के स्तर को नियंत्रित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करे। इसमें औषध अधिनियम में संशोधन भी सम्मिलित हैं।

२. केन्द्रीय परिषद् को संतोष है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत की एक राष्ट्रीय सूत्रीय संहिता का संकलन कर लिया है। यह परिषद् सिफारिश करती है कि समस्त राज्य अपने-अपने अस्पतालों में इस राष्ट्रीय सूत्रीय संहिता को अपनायें।

प्रस्ताव संख्या १४

मार्च, १९४९ के अफीम सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में ३१ मार्च, १९५९ से चिकित्सा प्रयोग के अतिरिक्त दूसरे उपयोगों में अफीम की बिक्री पर प्रतिबन्ध पर विचार करने के बाद यह समझती हुई कि ऐसा प्रतिबन्ध अफीमचियों के लिये एक समस्या उत्पन्न कर देगा, केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् सिफारिश करती है कि :

राज्य सरकारें अफीमचियों के रजिस्ट्रेशन, इलाज तथा पुनर्वास के लिये अविलम्ब कदम उठायें ;

यह परिषद् यह भी सिफारिश करती है कि नशीली औषधियों का उत्पादन बिक्री तथा वितरण केवल सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा ही हो।

प्रस्ताव संख्या १५

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के फलस्वरूप कुनीन के उपयोग में लगातार कमी को और कुनीन उत्पादन में पश्चिम बंगाल एवं मद्रास राज्यों की वास्तविक एवं सम्भाव्य क्षमता को समझती हुई यह विचार करती है कि अब केन्द्रीय सरकार को कुनीन के बड़े-बड़े आरक्षित भण्डार रखने की कोई आवश्यकता नहीं और उसके पास जो ऐसे भण्डार हैं उनको कम कर केवल एक वर्ष की आवश्यकताओं के लिये ही उनमें कुनीन रखें।

इस परिषद् के विचार से अतिरिक्त कुनीन के भण्डारों को या तो निर्यात कर दिया जाये अथवा ग्राम क्षेत्रों में मुफ्त वितरित कर दिया जाये।

जहां तक पश्चिम बंगाल तथा मद्रास सरकारों द्वारा कुनीन के खण्डवार वितरण का प्रश्न है यह परिषद् राय देती है कि यह प्रश्न राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के परस्पर परामर्श से हल कर दिया जाये।

प्रस्ताव संख्या १६

केन्द्रीय योजना के स्कूल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के लिये किसी निश्चित व्यवस्था के न होने तथा राज्य योजनाओं में अपर्याप्त व्यवस्था के होने को समझती हुई केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् यह आशा करती है कि इस अवस्था में भी इस कमी को दूर करने के लिये प्रयास किये जायेंगे। यह परिषद् यह भी आशा करती है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम को सर्वोपरि अग्रता दी जायेगी तथा इस योजना में सम्मिलित करने के लिये एक विस्तृत स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना तैयार की जायेगी।

प्रस्ताव संख्या १७

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् हृद-शल्य की सुविधाओं को देने की आवश्यकताओं को महसूस करते हुये सिफारिश करती है कि सभी राज्यों में ऐसे केन्द्र स्थापित किये जायें। यह परिषद् यह भी सिफारिश करती है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अपेक्षित विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करे तथा ऐसे केन्द्रों के लिये विशिष्ट प्रसाधन प्राप्त करे।

प्रस्ताव संख्या १८

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् सिफारिश करती है कि आन्ध्र सरकार के अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी को स्थापित करने के प्रस्ताव को सभी राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा चिकित्सा व्यवसाय के प्रतिनिधि संगठनों के पास अपने-अपने विचार व्यक्त करने के लिये परिपत्रित कर दिया जाये।

प्रस्ताव संख्या १९

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् सभी मेडिकल कालेजों के सुधार की आवश्यकता को स्वीकार करते हुये यह सिफारिश करती है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मेडिकल कालेजों में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बताये गये सुझावों के अनुसार अनुदान देकर प्रसाधन, पुस्तकालय, संग्रहालय, इत्यादि के सुधार के लिये धन दे।

प्रस्ताव संख्या २०

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं, दंत-क्लीनिकों, उपचार-गृहों, एक्स-रे संयंत्रों तथा भौतिक चिकित्सा केन्द्रों को नियमित तथा पंजीयन करने की आवश्यकता को स्वीकार करती है और सिफारिश करती है कि यह प्रस्ताव राज्य सरकारों, राज्य चिकित्सा परिषदों और चिकित्सा ऐसोसियेशनों के पास अपने-अपने विचार प्रकट करने के लिये परिपत्रित कर दिया जाये।

महिला टिकट चेकर

†१२०. **श्री अरविन्द घोषाल:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हावड़ा स्टेशन पर कोई ग्रेड १ महिला टिकट चेकर और महिला 'अनाउंसर' हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हावड़ा स्टेशन पर महिला अनाउंसर हैं पर ग्रेड १ की कोई महिला टिकट चेकर नहीं है ।

(ख) महिला अनाउंसरों की संख्या ६ है ।

हिमाचल प्रदेश में दूध के पाउडर का वितरण

१२१. **श्री पद्म देव :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८ में हिमाचल प्रचेश में कितना दूध का पाउडर और किन-किन स्थानों में बांटा गया ; और

(ख) वितरण के लिये क्या तरीका अपनाया गया था ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली–काठगोदाम रेल सम्पर्क

†१२२. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और काठगोदाम के बीच बरास्ता रामपुर और रुद्रपुर कोई बड़ी लाइन के रेल सम्पर्क के लिये सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया है अथवा देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या सरकार इस परियोजना को तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करेगी जिससे कि भारत-तिब्बत सीमा के साथ के नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों की आर्थिक स्थिति और तराई क्षेत्र का विकास किया जा सके ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). दिल्ली और रामपुर के बीच पहले से ही बड़ी लाइन मौजूद है । रामपुर से हल्दवानी तक बड़ी लाइन का निर्माण करने के लिये सर्वेक्षण किया जा चुका है और प्रतिवेदन प्राप्त होने वाला है ।

(ग) अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

गन्ने का मूल्य

†१२३. **श्री जाधव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ के मौसम में बम्बई राज्य में गन्ने का न्यूनतम मूल्य क्या था;

(ख) न्यूनतम मूल्य चुकाने की शर्तें क्या हैं और गत मौसम में क्या थीं; और

(ग) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य में रावलगांव शूगर फैक्टरी 'आर्डर चैकों' द्वारा भुगतान करती है जिस से गन्ने का संभरण करने वाले काश्तकारों को बड़ी असुविधा होती थी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) न्यूनतम मूल्य फैक्टरी तक पहुंचाने पर १.४४ रुपये प्रति मन और रेल केन्द्रों तक पहुंचाने पर १.३१ रुपये प्रति मन है।

(ख) बम्बई सरकार ने गत मौसम में भुगतान का तरीका यह निश्चित किया था कि २५ प्रतिशत मूल्य गन्ना पहुंचाने के १५ दिन बाद तक और शेष मूल्य एक मास या अधिक से अधिक ६ सप्ताह के अन्दर चुका दिया जाये। इस बार ५० प्रतिशत मूल्य १५ दिन के अन्दर और शेष एक मास या छः सप्ताह के अन्दर चुकाना अपेक्षित है।

(ग) पता चला है कि आर्डर चैक से भुगतान इसलिये किया जाता है कि वह उसी व्यक्ति को मिले क्योंकि कई बार संभरणकर्ता स्वयं रुपया लेने नहीं आता।

शोलापुर हवाई अड्डा

†१२४. **श्री सोनावने** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ११ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर हवाई अड्डे को बम्बई-हैदराबाद और बम्बई-मद्रास के रूटों से मिलाने के हेतु उस में कोई सुधार करने का विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सुधार कार्य कब आरम्भ होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) से (ग). इस समय उस हवाई अड्डे का प्रयोग प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विमान चालक कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर वहां विमान भी उतारे जाते हैं। इन प्रयोजनों के लिये यह ठीक है। क्योंकि बरास्ता शोलापुर कोई रूट चालू करने का विचार नहीं है इसलिये इस हवाई अड्डे में कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं है।

परिवार नियोजन

†१२५. **श्री गोरे** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निम्नलिखित द्वारा कितने परिवार नियोजन केन्द्र चलाये जा रहे हैं :

(१) सरकार

(२) स्थानीय संस्थायें

(३) गैर-सरकारी संस्थायें;

(ख) इन केन्द्रों (राज्यवार) के लिये सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है ;

(ग) गत वर्ष कितने व्यक्तियों के निम्न प्रकार के आप्रेशन किये गये;

(२) पुरुषों का आप्रेशन ;

(२) प्रजनन-आयोग्य बनाना; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) कितनी महिलाओं को गर्भनिरोधक वस्तुओं का प्रयोग सिखाया गया; और

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) (१) ६७५

(२) ४७

(३) १०४

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३३]**

(ग)* (१) ४,९२३

(२) ७,४२३

(३) ८७, ४६४

(घ) सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही करने का विचार है :—

(१) यथा सम्भव शीघ्र परिवार नियोजन को देश की चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा के साथ मिला दिया जाये।

(२) चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं और सामाजिक विज्ञानों के स्कूलों में परिवार नियोजन के प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें।

(३) परिवार नियोजन शिक्षा लीडर नियुक्त करना;

(४) परिवार नियोजन पर्यटक दल और अनुस्थापन शिविरों का चालू करना; और

(५) देश में गर्भ निरोधक वस्तुओं का इतना उत्पादन करना कि उन्हें विदेशों से न मंगवाना पड़े।

रेलवे बोर्ड में असिस्टेंट

†१२६. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या रेलवे मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड में असिस्टेंटों की वरिष्टता पर पुनर्विचार करने के प्रश्न के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस में कितना समय लगेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) अभी नहीं।

(ख) इसे यथासम्भव शीघ्र निबटाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

*ये आंकड़े केवल उन्हीं प्रतिवेदनों के हैं जो आसाम, आंध्र, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल और हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुए हैं और ये अनुमान से कम समझे जाते हैं। अन्य राज्यों से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

त्रिपुरा के लिये भेषजीय परिषद्

†१२७. **श्री दशरथ देब**: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा संघ-राज्य क्षेत्र के लिये कोई भेषजीय परिषद् बनाई गई है, जो त्रिपुरा प्रशासन द्वारा चलाई जाने वाली डिसपेंसेरियों में काम करने वाले अपंजीबद्ध कम्पांउडरों को कम्पाऊंडर के लाइसेंस दे; और

(ख) यदि नहीं, तो त्रिपुरा के अनुभव प्राप्त कम्पाऊंडरों को भेषजीय लाइसेंस देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी नहीं, परन्तु त्रिपुरा प्रशासन ने पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ यह व्यवस्था कर ली है कि पश्चिमी बंगाल औषधीय परिषद् त्रिपुरा की आवश्यकता को भी पूरा कर दे ।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति

†१२८. **श्री दशरथ देब**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सड़क परिवहन पुनर्गठन उपसमिति ने १९५८ की समाप्ति पर त्रिपुरा का दौरा किया था;

(ख) क्या विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं ने उसे त्रिपुरा में राज्य परिवहन प्राधिकार का पुनर्गठन करने के लिये कहा था, और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में उपसमिति की क्या सिफारिशें हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी हां । उपसमिति अक्तूबर, १९५८ में त्रिपुरा गई थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) मुख्य समिति का प्रतिवेदन मार्च, १९५९ में मिलने की आशा है जिस में उप-समिति की सिफारिशें भी होंगी ।

चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारी

†१२९. **श्री दलजीत सिंह**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अब तक उत्तर रेलवे ने चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी रखे हैं; और

(ख) उन में से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** (क) ५६७० ।

(ख) अनुसूचित जातियों के १७२९ ।

(उत्तर रेलवे में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई रक्षण नहीं दिया गया है)

पुरुलिया-मुरी रेलवे

†**१३०. श्री हाल्दार:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरुलिया-मुरी रेलवे को समाप्त कर पुरुलिया लोको-कैरेज शेड को रांची स्थानांन्तरित कर देने का निश्चय कर लिया है;

(ख) क्या सरकार ने आरम्भ में इस क्षेत्र की मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर पुरुलिया में एक केन्द्रीय फैक्टरी स्थापित करने की योजना बनाई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय को बदलने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां):** (क) पुरुलिया के लोको शैड को इस कारण रांची भेजा जा रहा है क्योंकि छोटी लाइन के रांची-लोहारडागा सैक्शन के अभी काफी समय तक उस प्रकार बड़ी लाइन में परिवर्तित किये जाने की संभावना नहीं है जिस प्रकार वर्तमान शेष छोटी लाइन के स्थान पर चन्द्रपुरा-मुरी-रांची बड़ी लाइन बनाई जा रही है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गडग और गुण्टाकल स्टेशनों के बीच गाड़ियां

†**१३१. श्री अगाड़ी :**
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १४ घंटों की उस अवधि को कम करने के लिये जनता पिछले १० वर्षों से आन्दोलन कर रही है जिस में दक्षिण रेलवे के गडग और गुण्टाकल स्टेशनों के बीच किसी भी ओर से कोई गाड़ी नहीं आती जाती; और

(ख) यदि हां, तो इस के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां):** (क) समय समय पर इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं कि गडग और गुण्टाकल या गडग और द्रोणाचलम् के बीच दोनों ओर से एक एक अतिरिक्त गाड़ी चलाई जाये; यह गाड़ी लगभग ७ बजे सुबह गुण्टाकल से चले और लगभग १ बजे दिन में गडग पहुंचे और दूसरी ओर से लगभग २ बजे दिन में गाड़ी गडग से चले और रात को लगभग ८ बजे गुण्टाकल पहुंच जाये ।

(ख) बेलारी-होसपेट क्षेत्र से अयस्क-यातायात का प्रवाह मद्रास, बम्बई, कड्डालोर और अन्य बन्दरगाहों की ओर होने के कारण विशेष रूप से गुण्टाकल और होसपेट के बीच में इस समय ऐसी

†मूल अंग्रेजी में

लाइन क्षमता उपलब्ध नहीं है कि गडग-गुण्टाकल के बीच कोई अतिरिक्त सवारी गाड़ी चलाई जा सके। इस के अलावा इन के लिये आवश्यक डिब्बे-इंजन आदि भी उपलब्ध नहीं हैं। निर्यात के लिये अयस्क की ढुलाई की, जिस की इस समय बड़ी मांग है, क्षमता बढ़ाने के लिये अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में, निकट भविष्य में गडग-गुण्टाकल सैक्शन पर कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाने की संभावना अधिक नहीं है।

स्टेशनों को नये नमूने का बनाना[1]

†१३२. **श्री अगाड़ी :**
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के गडग और हुबली स्टेशनों को नये नमूने का बनाने के लिये कुछ राशि आवंटित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन में किस प्रकार का सुधार किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी हां।

गडग :	(१) स्टेशन भवन में सुधार के लिये	६,७६६ रुपये
	(२) यार्ड में सुधार के लिये	६,४७,००० रुपये
हुबली :	(१) स्टेशन भवन में सुधार के लिये	५६,२१६ रुपये
	(२) यार्ड में सुधार के लिये	३,८२,४०० रुपये

(ख) **गडग :**

१. यात्री प्लेटफार्म का विस्तार (पूरा हो गया)।

२. अपर-क्लास के प्रतीक्षालय की छत को ऊंचा करना। (पूरा हो गया)।

३. प्लेटफार्म पर स्नान-गृह बनाना।

४. यार्ड को नये नमूने का बनाना। (२५ प्रतिशत पूरा हो चुका)।

हुबली :

१. प्लेटफार्मों पर पेशाबघरों की व्यवस्था।

२. प्लेटफार्म पर फ्लुओरेसेन्ट ट्यूब लाइट लगाना।

३. विश्राम गृहों[2] का निर्माण,

४. मुर्गियों के लिये दरबे, पेशाबघर व पानी की हौदियां बनाना।

५. अपर-क्लास के प्रतीक्षालयों में सुधार।

६. यार्ड को नये नमूने का बनाना।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Remodelling.
[2]Retiring Rooms.

आयुर्वेदिक औषधि

†१३३. **श्री वाजपेयी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक औषधि के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस में किस प्रकार की सिफारिशें की गयी हैं; और

(ग) उन के सम्बन्ध में क्या निर्णय हुए हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) जी हां ।

(ख) यह प्रतिवेदन अभी छप रहा है । फिर भी समिति की सिफारिशों का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३४]**

(ग) प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है ।

कृषि सहकारी समितियां

†१३४. **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में अब तक कितनी कृषि सहकारी समितियों की स्थापना की गयी है ;

(ख) इन सहकारी समितियों के अधीन कितने व्यक्ति या परिवार काम करते हैं;

(ग) इन सहकारी समितियों के अधीन भूमि के कुल कितने क्षेत्र में खेती होती है; और

(घ) सरकार ने इन सहकारी समितियों को कुल कितनी सहायता दी है और उन पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) :** (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३५]**

(ख) इस समय इस के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । राज्य सरकारों से इस बारे में पूछ ताछ की गयी है और मिलने पर यह जानकारी लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) ३१-१२-५६ को सहकारी समितियों के अधीन १,८०,६७१ एकड़ भूमि में खेती होती थी । राज्य सरकारों से इस बारे में ताजी जानकारी देने को कहा गया है और मिलने पर यह लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) राज्य सरकारें ऋणों, राज-सहायता, सरकारी परती भूमियों की मंजूरी, भूमि-राजस्व में रियायत, प्रविधिक मार्ग दर्शन आदि विभिन्न तरीकों से सहकारी कृषि समितियों के विकास के लिये सहायता प्रदान करती हैं । १९५४-५५ से १९५८-५९ तक के चार वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस कार्य के लिये ३.३२ लाख रुपयों के अनुदान दिये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**। श्रीमन्, मैं एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं जिस में श्री द्वा० ना० तिवारी द्वारा १८-११-१९५८ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९१ के उत्तर को शुद्ध किया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३६]**

सभा पटल पर रखे गये पत्र

खाद्य अपमिश्रण रोक नियम में संशोधन

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं खाद्य अपमिश्रण रोक, १९५४ की धारा २३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२११ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ११८६/५९]

मनीपुर के लिये मोटर गाड़ी नियम

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजबहादुर)** : मैं मोटर गाड़ी एक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत मनीपुर के लिये मोटर गाड़ी नियम, १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २६ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या बी० टी० पी०/२४/५६/५७-८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो मनीपुर गजट में प्रकाशित हुई है।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ११८७/५९]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

चौतीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्मसिंह** (भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की हड़ताल

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश): श्रीमान्, नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"सरकार द्वारा गन्ने की कीमत न बढ़ाये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की हड़ताल"

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों द्वारा जो हड़ताल अभी हाल में हुई थी वह ५ फरवरी को प्रारम्भ हुई । उस समय जो ६६ मिलें चल रही थीं उन में से ५ मिलें बन्द हो गयीं और १८ मिलों पर इस का आंशिक प्रभाव हुआ । लेकिन ७, ८ फरवरी तक बुलन्दशहर की एक मिल को छोड़ कर प्रायः सभी मिलों में सामान्यतः कार्य होने लगा था । मुझे प्रसन्नता है कि कुमंत्रणा के फलस्वरूप हुई यह हड़ताल ठप्प हो गई । मैं १८ दिसम्बर, १९५८ को गन्ने का मूल्य न बढ़ाये जाने के कारणों पर सभा में प्रकाश डाल चुका हूं । सभा ने सरकार के दृष्टिकोण को स्वीकार भी किया था ।

कार्य मंत्रणा समिति

चौतींसवां प्रतिवेदन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौतीसवें प्रतिवेदन से, जो १० फरवरी, १९५९ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक

†**गृह कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली पंचायत राज अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला था जिसे सदन ने कल पारित कर दिया था । वस्तुतः ये दोनों विधेयक एक सुव्यवस्थित व्यवस्था के अंग हैं । यह एक छोटा विधेयक है । पहले विधेयक के समय मैं ने कुछ बातें कही थीं वे इसके बारे में भी उतनी ही सुसंगत हैं । इसलिये मैं उन बातों को दूहराने में सदन का समय नहीं लूंगा ।

पंचायत राज अधिनियम में गांवों के मामलों तथा गांव पंचायतों एवं सर्किल पंचायतों द्वारा निर्वाचित गांव सभाओं के अधीन क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था की गई है । दूर्भाग्य से इन निकायों की बनावट के बारे में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम और दिल्ली पंचायत राज अधिनियम के उपबन्धों में कुछ मतभेद था जिसने पंचायत राज अधिनियम के सफल कार्य संचालन में अवरोध उत्पन्न किया । वह मतभेद अब दुर कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गांव सभा में अब वे व्यक्ति सम्मिलित होंगे जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से संसद् सदस्य के लिये मतदान देने के लिये योग्य ठहराये गये हैं। भूमि सुधार अधिनियम में दूसरी व्यवस्था है। यह उससे बिल्कुल नहीं मिलता और अब उस उपबन्ध के समान बनाने के लिये इसमें परिवर्तन कर दिया गया है और जो अब इस विधेयक के अनुसार इसमें निहित हो जायेगी। इसलिये इसको क्रियान्वित करने तथा पंचायत राज अधिनियम के उपबन्धों को सही रूप देने के रास्ते में आने वाली कठिनाई अब समाप्त हो जायेगी और उसके अनुसार ही अब पंचायतें बनाई जायेंगी। इस विधेयक की यही मुख्य बात है और मैं समझता हूं कि इसके बारे में कोई विरोध नहीं होगा।

पंचायत राज अधिनियम के अधीन, जिस रूप में कि वह आज है, पंचायतें दीवानी तथा माल सम्बन्धी मामलों का, इस प्रयोजनार्थ निर्धारित सीमा के अधीन, निपटारा कर सकती हैं। किन्तु फौजदारी के मामलों पर उनका क्षेत्राधिकार नहीं है। अब इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि पंचायती अदालतें फौजदारी सम्बन्धी उन मामलों का भी निपटारा कर सकती हैं जिनमें भारतीय दंड संहिता, पशु अतिक्रमण अधिनियम के अन्तर्गत सन्निहित छोटे छोटे मामले हों तथा एक या दो और भी छोटे छोटे अधिनियम जैसे जुआ अधिनियम के अधीन के मामलों का भी निपटारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मुख्य आयुक्त भी इस प्रकार की पंचायतों अथवा पंचायती अदालतों को जिनका क्षेत्राधिकार इतना बड़ा है कुछ और भी अधिकार दे सकता है और ये अदालतें अन्य अधिनियमों के अधीन कुछ ऐसे मामलों का भी निपटारा कर सकती हैं जिनमें १०० रु० से अधिक का अर्थदण्ड न हो। इस संशोधन विधेयक में यह एक खास व्यवस्था और की गई है।

गांव सभाओं में वे सभी वयस्क व्यक्ति सदस्य होंगे जिन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संसद् सदस्य चुनने का अधिकार है। व्यवहारिक दृष्टि से इसके अन्तर्गत गांव में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त सर्किल पंचायतें भी होंगी। गांव पंचायत छोटी होगी और सर्किल पंचायत भी कोई खास बड़ी नहीं होगी। वर्तमान अधिनियम के अनुसार उस सर्किल में आने वाले गांवों के प्रतिनिधियों द्वारा इसका निर्वाचन होगा। इस अधिनियम के अनुसार एक सर्किल पंचायत का निर्वाचन आठ गांव सभाओं के वयस्कों द्वारा किया जायेगा। ये गांव सभायें सर्किल पंचायतों का निर्वाचन करती हैं और इन सर्किल पंचायतों के सदस्यों में से पंचायत अदालतें बनाई जाती हैं। इसलिये इस बात की पूरी सावधानी बरती जाती है कि पंचायतें इस प्रकार बनाई जायें कि वे उन मामलों का अच्छी तरह से निपटारा करने के लिये समर्थ हों जो कि उनको सौंपे जायें।

रूढ़िता न बनी रहे इस दृष्टि से मुख्य आयुक्त को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह सर्किल पंचायत को बनाने वाले गांवों की संख्या में परिवर्तन कर सके। इसलिये ऐसी स्थिति में जहां कि जनसंख्या कम हो अथवा अधिक हो वहां इन गावों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है और वह संख्या आठ ही नहीं रखी जा सकती। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उन में अदल बदल की जा सकती है। यह आवश्यक है कि जिन पंचायतों को दीवानी तथा माल के मामले निपटाने का अधिकार है उनको फौजदारी के छोटे छोटे मामले निपटाने का भी अधिकार दिया जाये। वे मामले जो इन पंचायतों के क्षेत्राधिकार में आते हैं अधिक गम्भीर नहीं होते। हो सकता है कि दीवानी तथा माल के मामलों में आने वाली बातें तथा हित उन मामलों की अपेक्षा बहुत ही महत्व के हो सकते हैं जो अब अदालत पंचायतों के क्षेत्राधिकार में आने वाले हैं और उनके द्वारा उनका निपटारा किया जाने वाला है। हम चाहते हैं कि इन स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्र के मामलों को निपटाने तथा उनको तै करने के लिये अधिक से अधिक अधिकार मिलें क्यों कि वहां के निवासियों को इनमें काफी व्यय करना पड़ता है। अदालतों में काफी दिनों तक सुनवाई चलती रहती है, कभी कभी तो छोटे

[श्री गो० ब० पन्त]

छोटे मामलों में तथा सीधी सादी बातों के लिये जो गांव निवासियों द्वारा आसानी से निपटाई जा सकती हैं काफी कठिनाइयां उत्पन्न कर दी जाती हैं। किन्तु जैसा कि मैं ने कहा है कि इन पंचायती मामलों में आने वाले मामले बहुत सीधे सादे होंगे। मैं आशा करता हूं कि सदन के सदस्य इसे आसानी से स्वीकार कर लेंगे और इस बात से पूर्णतः सहमत होंगे कि जनता को अधिक से अधिक अधिकारों का उपयोग करने में उन्हें प्रशिक्षा दी जाये और इस प्रकार के जितने अधिक अवसर उन्हें मिलेंगे उतनी ही भलाई उनकी होगी। राज्य के कार्य को निपटाने के लिये हम में विभाजन करने की भावना होनी चाहिये। इस लिये इस पंचायत राज्य को बनाया गया और अब इसमें ये परिवर्तन किये जा रहे हैं।

इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी मामला, इसके महत्व को दृष्टिगत न रखकर, पंचायत अदालत को भेजा जाये। हमने एक संशोधन किया है कि धन सम्बन्धी ऐसे मामले जिनमें सबजज तक अपील करने की गुंजाइश हो इस ढंग से निपटाये जायें कि इस बात की गुंजाइश ही न रहे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि इन पंचायतों के कार्य संचालन के मामलों में कोई अनावश्यक जटिलता आये तथा साथ ही ऐसे मामलों में जो कि वस्तुतः काफी महत्व के हैं, इन पंचायतों द्वारा उनका निपटारा करने में किसी भी प्रकार की मुकदमेबाज़ी का प्रश्न उठे। इसलिये हम एक संशोधन रखने का विचार कर रहे हैं। वर्तमान अधिनियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी, अथवा स्थानीय निकायों के कर्मचारी इन पंचायतों के सदस्य हो सकते हैं। किन्तु हमने अब यह व्यवस्था की है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वह सरकारी नौकर हो अथवा स्थानीय निकाय का कर्मचारी, इसका सदस्य नहीं हो सकता।

ये ही इस विधेयक के मुख्य उपबन्ध हैं। विधेयक के अन्य दूसरे खंड या तो आनुषंगिक हैं अथवा मौखिक ढंग के। इसलिये उनका उल्लेख करने की अवश्यकता नहीं है। यह बहुत ही सीधा उपबन्ध है और मेरा विचार है कि यह विधेयक बिना किसी वादविवाद के पारित हो जायेगा। मुझे बताया गया है कि इसके लिये तीन घंटे नियत किये गये हैं। इस विधेयक के पारित हो जाने पर मैं तो यही कहूंगा कि हमने वास्तव में अच्छा कार्य किया है। आशा है कि सभी सदस्य इस विधेयक को स्वीकार करेंगे।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलदुग) : १९५४ से ये गांव सभायें किस प्रकार कार्य कर रही हैं और क्या इनके कार्यसंचालन के सम्बन्ध में कोई विवरण सभा पटल पर रखा जा सकता है ? क्या इनका कार्य सन्तोषजनक है अथवा नहीं ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** इस विधेयक ने जो १९५४ में पारित हुआ था पंचायत राज अधिनियम १९५४ का रूप ले लिया। किन्तु इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति १९५५ में मिली। किन्तु जब इन दोनों विधेयकों की तुलना की गई तो इनमें यह विभिन्नता पाई गई जिसका कि मैं ने उल्लेख किया है। और यह अनुभव किया गया कि जब तक यह विभिन्नता दूर नहीं हो जाती है तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती इसलिये मामला रुक गया और इसी दौरान में दिल्ली विधान सभा भंग हो गयी। अब हमने इन दोनों विधेयकों को एक साथ रखा है—एक भूमि सुधार अधिनियम के बारे में है और दूसरा पंचायत राज अधिनियम के बारे में। गांवों में कुछ समितियों जैसी संस्थायें हैं जो विकास-कार्य कर रही हैं किन्तु इस अधिनियम के अधीन अभी तक पंचायतें नहीं बनाई गई हैं।

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

मुझे इस प्रस्ताव के बारे में एक संशोधन सूचना यह मिली है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये जिसके सदस्यों के नामों की सूचना भी प्रस्तावकर्ता श्री रघुवीर सहाय ने दी है । चूंकि इन सदस्यों में माननीय मंत्री का नाम भी है जो कि इस विधेयक के प्रभारी हैं और चूंकि माननीय सदस्य ने मंत्री महोदय से उनका नाम इस समिति में रखने के लिये पहले उनसे अनुमति नहीं ली थी अतः मैं इसकी स्वीकृति नहीं दे सकता । मेरा सुझाव है कि भविष्य में जब तक किसी माननीय सदस्य से उसका नाम प्रवर समिति में रखने के लिये सहमति न ले ली जाये तब तक प्रस्ताव में उसका नाम न रखा जाये ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि प्रभारी मंत्री की पूर्व सहमति के बिना प्रवर समिति को सौंपने का कोई प्रस्ताव रखा ही नहीं जा सकता । यह तो बहुत गलत बात होगी । अब तक तो यही प्रथा थी कि जब कभी प्रवर समिति को सौंपने का कोई प्रस्ताव होता था तो प्रभारी मंत्री अपनी सहमति दे देते थे । यदि आप यह पूर्वोदहारण बना देंगे कि जब तक प्रभारी मंत्री की अनुमति पूर्व में ही नहीं प्राप्त की जायेगी तो प्रस्ताव में उनका नाम सम्मिलित नहीं किया जायेगा, तो इससे बहुत कठिनाई हो जायेगी ।यदि आपने यह नियम बना दिया तो प्रभारी मंत्री की अनुमति प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो जायेगा । और इस प्रकार उसकी सम्मति प्राप्त किये बिना इस प्रकार के प्रस्ताव का स्वीकृत होना सम्भव नहीं होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य शायद वही बात दुहरा रहे हैं जो उन्होंने १९५६ में निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के समय कही थी । उस समय उपाध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया था कि नियम यह है कि अनुमति पूर्व में ही प्राप्त की जानी चाहिये और यह नहीं समझ लेना चाहिये कि माननीय सदस्य राज़ी हो ही जायेंगे । मुझे तो केवल यही कहना है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय सदस्य को यह ध्यान रखना चाहिये कि नाम रखने से पूर्व वह उस सदस्य से उनकी सम्मति पूर्व में ही ले लें । चूंकि यहां ऐसा नहीं किया गया है, इसलिये मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं देता । कोई नियम ऐसा तो है नहीं कि प्रवर समिति के इतने ही सदस्य होंगे ; नियम यह है कि उसकी गणपूर्ति के लिये सदस्यों की संख्या कुल संख्या का १/५ हो । मान लीजिये कि किसी समिति में ५ सदस्य हैं तो उसकी गणपूर्ति के लिये एक सदस्य की उपस्थिति आवश्यक है । इसलिये यह जरूरी है कि उस सदस्य से जिसका कि नाम प्रवर समिति के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है पूर्व से ही अनुमति प्राप्त कर ली जाये ।

†**श्री रघुवीर सहाय** (बदायूं) : मैं बड़े खेद के साथ माननीय मंत्री का नाम अपने प्रस्ताव में से हटाता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप अपने प्रस्ताव में सिर्फ उन्हीं सदस्यों का नाम रखें जिनकी आपने सम्मति प्राप्त कर ली हो ।

†**श्री रघुवीर सहाय** : मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये ।

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से मेरा यह उद्देश्य नहीं कि विधेयक के पारित होने में कोई रोड़ा अटकाऊं अपितु इससे मैं यह चाहता हूं कि वर्तमान विधेयक से अधिक विस्तृत तथा व्यापक विधेयक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुवीर सहाय]

प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे उन राज्यों के लिये जहां पंचायत राज अधिनियम मौजूद हैं, यह एक नमूना बन सके ।

लगभग सभी राज्यों में पंचायतों के बारे में विधान हैं और एक राज्य के विधान से दूसरे राज्य के विधान में अन्तर है; इसीलिए मैं चाहता था कि इनके उपबन्धों में समानता होनी चाहिये जिससे सभी राज्यों में समान प्रकार के विधेयक हो जायें ।

३१ मार्च, १९५८ को समस्त देश में १,६४,३५८ पंचायतें थीं और यह आवश्यक है कि हम इन पंचायतों के कार्यकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त करें । इसीलिये इनके बारे में अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करने के अतिरिक्त आप की अनुमति से १९५८ के सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के बारे में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के पांचवें प्रतिवेदन तथा १९५७ के सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के अध्ययन मंडल के प्रतिवेदन से उद्धरण देना चाहता हूं । यह दोनों प्रतिवेदन बड़े महत्वपूर्ण हैं ।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के पांचवें प्रतिवेदन में दिया है कि गांव सभाओं ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से नहीं निभाई हैं क्योंकि इनके प्रधान तथा सैक्रेटरी ही पढ़े लिखे होने के कारण उनका ही प्रभुत्व इन पर रहता है । कभी कभी तो प्रधान भी कम पढ़ा लिखा होता है और सेक्रेटरी जो सभा का कर्मचारी होता है इस प्रकार से काम करता पाया गया है जैसे वही उस सभा का सर्वेसर्वा हो । आगे कहा गया है कि पंचायत के सदस्यों में कोई उत्साह नहीं है और वे समझते हैं कि पंचायतें सरकार के विभाग जैसी एक चीज़ है ।

अब सामुदायिक विकास खण्डों के अध्ययन मंडल के प्रतिवेदन को लीजिए उसमें दिया है कि जानकारी से पता लगा है कि केवल दस प्रतिशत पंचायतों का काम ठीक प्रकार से चल रहा है । पंचायतों का निरीक्षण भी कभी कभी होता है जिसमें पंचायतों की कठिनाइयां दूर करने के बजाये इन पंचायतों में रखे गये रजिस्टरों का ही निरीक्षण किया जाता है । पक्षपात की भी शिकायतें मिली हैं तथा किसी किसी मामले में जान बूझ कर लोगों का उत्पीड़न किया गया है ।

यह दोनों प्रतिवेदन प्रमाणीकृत प्रतिवेदन हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है । मेरा यह उद्देश्य था कि पंचायत राज से सम्बन्धित विधान बनाते समय हम इसका ध्यान रखें कि ऐसा विधान बनाया जाये जिससे पंचायतें गांवों का विकास ठीक प्रकार से कर सकें ।

इस समय पंचायतें यह समझती हैं कि कुछ रोजमर्रा के कामों के अलावा उन्हें कुछ और नहीं करना होता है, इसलिये लोगों में जोश नहीं है । मेरी राय में उनको यह समझना चाहिए कि उनके और कुछ विकास सम्बन्धी काम भी हैं और यही समझाने के लिए उनमें उत्साह वृद्धि करना नितान्त आवश्यक है । इसके लिए हमें गांव सभाओं पर जिम्मेदारियां डालनी चाहिएं कि वह गांव की कठिनाइयों, रोग तथा अकाल आदि की रिपोर्ट दें तथा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये काम करें । इस समय यह सब काम लेखपाल, अमीन, पटवारी अथवा कानूनगो करते हैं क्योंकि इन सभाओं में जनता को विश्वास नहीं है । लोगों में विश्वास जाग्रत करने के लिये हमें ऐसे सभी प्रकार के काम इनको सौंप देने चाहियें जिससे गांव की भलाई ये लोग कर सकें; और इनके कामों को आदर की दृष्टि से देखा जा सके ।

गांव सभाओं आदि में इस समय सामुदायिक भावना की भी कमी है । हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे यह भावना इनमें भरे और जनता को निधि का समचित उपयोग किया जा सके ।

मुझे प्रसन्नता है कि न्याय पंचायतों को आपराधिक मामलों को निबटाने का काम सौंपा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि ये अधिकार दिये जायें लेकिन साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि इनके ज़रिये हम न्याय की व्यवस्था में ढील न आने दें। इस विषय में हमारा अनुभव कोई खास अच्छा नहीं रहा है। इनको अधिक अधिकार दिये जाने की मांग तो की जा रही है लेकिन इसका ध्यान भी रखा जाना चाहिये कि न्याय का प्रशासन भी ठीक प्रकार से हो रहा है अथवा नहीं। इसलिये अधिकार तो दिये जाने चाहियें परन्तु सोच विचार कर और पूरी सावधानी से दिये जाने चाहियें जिससे लोगों को न्याय-व्यवस्था पर विश्वास रहे।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन गांव पंचायतों को राजनैतिक दलों की दलबन्दियों से दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इन बातों पर विचार करके इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रघुवीर सहाय जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और वह इसलिये कि मैं मानता हूं कि सन् १९५४ के अन्दर एक कानून दिल्ली विधान सभा में पास किया गया ताकि देहातों के अन्दर पंचायतें बनें और देहात का काम कुछ ठीक तरीके से चले और देहाती वकीलों से लुटने से बचें। लेकिन किसी न किसी कारण से वह १९५४ १९५९ में आ गया। पांच साल बीत गये हैं, अब भी वकील साहब लोग चाहते हैं कि इसको कुछ और आगे बढ़ा दिया जाय।

श्री प्र० सिं० दौलता (झज्जर) : मैं उन वकीलों में से हूं जो पंचायतों के लिये ज्यादा पावर चाहते हैं।

चौ० रणवीर सिंह : मुझे खुशी है कि जिनको मुखालिफत करनी चाहिये थी वह हमारे साथ सहमत हैं।

मैं अर्ज कर रहा था कि हो सकता है कि इस कानून के मस्विदे में अच्छे ढंग से तबदीली हो सके, लेकिन इसलिये कि हम कोई ऐसा अच्छा कानून बनायेंगे जिसमें कोई गलती न रहेगी, हम इंतजार में बैठे रहें और कमेटी बनायें, या लोगों के पास उनकी राय जानने के लिये इसको भेजें, यह ठीक नहीं है। अभी नागपुर के अन्दर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। लोगों ने वहां पर कुछ अपना मत जाहिर किया कि सारे देश के अन्दर पंचायतों को मजबूत बनाया जाय। इससे ज्यादा मेरे साथी लोगों से क्या जानना चाहते हैं? लोगों की राय बिल्कुल साफ है कि सारे देश के अन्दर जल्दी से जल्दी पंचायतें बनें और वह अच्छे ढंग से काम करें।

मेरे लायक दोस्त ने अभी बताया कि पंचायतों में कुछ खराबियां आ जाती हैं और कई दफा लोगों के बारे में उनकी राय खराब हो जाती है कि पंचायतों के अन्दर न्याय अच्छा नहीं मिलता। मैं उनको बताना चाहता हूं---इसको किसी की बेइज्जती न माना जाय--कि देहाती आदमी जो फैसले बड़ी बड़ी अदालतों से होते हैं उनसे कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। बहुत ज्यादा उनकी तसल्ली नहीं है कि वहां जो फैसले होते हैं वे बहुत सही ही होते हैं। हो सकता है कानूनी तौर पर शायद वे सही हों, लेकिन जब देहात के अन्दर जाकर देखा जाता है तो जो देहात में रहने वाले साथी हैं वह वकीलों की बहस के बाद जो फैसले होते हैं उनको अच्छा नहीं बल्कि खराब मानते हैं। इस विधेयक में जो सबसे अच्छी चीज मैं पाता हूं वह यह है कि वकीलों को इस से अलग रक्खा गया है। वकीलों की बहस से कई दफा

---

†मूल अंग्रेजी में

[चौ० रणवीर सिंह]

देहातों के अन्दर खासी खराबियां आ जाती हैं। गांवों की पार्टीबाजियों का जिक्र किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव की पार्टीबाजियों से वकीलों द्वारा जो पार्टीबाजियां होती हैं वह ज्यादा नुक्सानदेह होती हैं। इस लिये मुझे बहुत खुशी है कि वकीलों से देहातों की कुछ हद तक जान छुटी।

हो सकता है कि जो पंचायत के फैसले हैं उनको वकील लोग आगे वाली अदालतों में ले जायें और उनमें फिर पंचायतों और देहातों को खींचें। ऐसा आज भी हमने देखा है। उन्होंने कुछ गिला किया कि हिन्दुस्तान के अन्दर पंचायतें अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही हैं। इसके बारे में मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं कहना है। इसलिये भी कि आखिर जो पंचायती हैं उनकी मर्जी के मुताबिक समझ कर आप जिस कानून का मस्विदा बना कर भेज रहे हैं वह शायद बहुत ज्यादा न हो। इसके अलावा जैसा मैंने कहा बड़ी बड़ी कानूनी किताबों को पढ़ कर जो फैसले आज कराये जाते हैं भले ही वह कितने ही अच्छे हों, लेकिन उनसे भी देहात वालों की तसल्ली बहुत नहीं होती। इस चीज से कहीं कोई खराबी न पैदा हो जाय इसलिये हम अपना काम करना ही छोड़ दें, इसके लिये मैं और ज्यादा क्या कहूं सिवा इसके कि मैं इसे अच्छी नीति नहीं मानता। इसलिये दिल्ली के देहातों की भलाई के लिये जितनी जल्दी पंचायत राज कायम हो सके हमें उसे लाने की कोशिश करनी चाहिये। और उसको चाहे महीने के लिए या साल के लिए यह जो धकेलने की कोशिश है वह सही कोशिश नहीं है और मैं समझता हूं कि श्री रघुवीर सहाय भी इस हद तक मेरे साथ सहमत हैं कि वे चाहते हैं कि जल्द अज़ जल्द पंचायत राज्य देहली के देहातों में कायम हो।

अध्यक्ष महोदय, अब यह हर एक सदस्य जानता है कि जहां कोई एक बिल एक दफा सेलेक्ट कमेटी के पास गया वह साल या छै महीने के लिए खटाई में पड़ जाता है। अब इस दिल्ली के छोटे से सूबे के लिए इस कानून को आते आते ५ साल लग गये। आज सुबह मैंने ज़िक्र किया कि दिल्ली के देहातों के अन्दर जो हमारे भूमिहीन ग्रामीण भाई बसते हैं उनको अनाज किसी भाव भी नहीं मिलता है तो मंत्री महोदय कहते हैं कि देहात के काश्तकारों के पास, बड़े बड़े काश्तकारों और ज़मींदारों के पास काफी अनाज जमा है .....

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : पंजाब के लिये कहा है।

चौ० रणवीर सिंह : पंजाब और दिल्ली में कोई खास फर्क नहीं है। भूमिहीनों के लिए अनाज चाहिये। मैं मानता हूं कि पंचायत राज्य कानून में जो भाई शहर से मेम्बर हैं, उनके तजुर्बों की आवश्यकता नहीं है और न ही यह आवश्यक है कि वे दिल्ली के ही हों और तजुर्बे वाले हों क्योंकि तजुर्बे के बगैर ऐसे लोग जाकर इस कानून को पेचीदा और खराब ही बनायेंगे। इसलिये मैं तो कहूंगा कि केरल, मद्रास और आंध्र के वे भाई जिनका कि देहातों से ताल्लुक़ हो और जिन्होंने कि पंचायत के क़ानून और पंचायती अदालतों के फैसले होते देखे हैं, ऐसे लोग इस पर बोलें और वे इस सम्बन्ध में कोई अपनी राय दें, यह बेहतर है बजाय इसके कि चूंकि फलां व्यक्ति दिल्ली से आते हैं और इसी बिना पर उनको ही राय देने दें। यह ठीक नहीं होगा।

देहात वालों को आमतौर पर इसकी शिकायत रहती है कि उनकी चीज़ों के अन्दर शहर वाले भाई चूंकि वे ज्यादा बोलने वाले होते हैं और उनके पास अखबार होते हैं इसलिए वे उनके मामलात में दखल देकर उनको खराब करते रहते हैं। अब जहां तक पंचायतों को शक्ति देने के बारे में उनके गिले का ताल्लुक़ है, हो सकता है कि मैं शायद उनकी भावनाओं को ठीक तरीक़े से न समझ पाया हूं लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि जिस क़ानूनी शक्ति को पंचायतों को देने का उन्होंने विरोध किया तो उसके लिए मेरा कहना है कि पंचायतों को खाली क़ानूनी शक्ति देने भर से वे वाटरवर्क्स

नहीं बना सकती हैं और न ही वह गांवों को एलेक्ट्रिफाई कर सकती हैं और बिजली के लट्टू लगा सकती हैं, बिजली और पानी की सुविधाओं को पहुंचाने के लिये तो पंचायत को रुपये की दरकार है। पहले आप पंचायतों को रुपया दीजिये उसके बाद फिर इन चीज़ों का गिला कीजिये।

४८०० करोड़ रुपया जो पांच साला योजना के अन्दर रखा है, क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि इस ४८०० करोड़ में से पंचायतों की मार्फ़त कितना रुपया खर्च करने का इरादा है ? मुश्किल से ३५ करोड़ रुपया रखा हुआ है जो कि पंचायतों की मार्फ़त खर्च होगा। अब ३४, ३५ करोड़ के लिए तो गिला करते हैं लेकिन जो ४८०० करोड़ है उसका कुछ ज़िक्र नहीं और इससे हमें अंदेशा होता है कि हमारे वह साथी किधर सोचते हैं। मैं चाहूंगा कि वे अगर गिला करना चाहते हैं तो भले ही करें लेकिन कम से कम इस चीज़ में तो मेरे साथ अवश्य रहें कि पंचायत के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपया मिले और थर्ड फाईव ईयर प्लान जो आगे आने वाला है और सेकेंड फाईव ईयर प्लान के जो अभी दो साल बचे हैं उसके अन्दर ज्यादा से ज्यादा रुपया पंचायतों की तरक्की के लिए दिलाने का प्रयत्न करें। थर्ड फाईव ईयर प्लान में ४०० करोड़ के क़रीब रुपया पंचायतों को दिया जाय ताकि पंचायतें तरक्की करें। और फिर अगर श्री रघुवीर साहय या किसी दूसरे साथी को जो शहरों में रहते हैं उनको कोई गिला रहे तो मैं समझूंगा कि उनकी शिकायत करने की कोई क़ीमत है वरना यही समझा जायेगा कि चूंकि आप में बोलने की शक्ति है इसलिए आप महज़ गिला करने को गिला करते हैं।

मैंने जैसे शुरू में कहा मैं मानता हूं कि जितने इसके अन्दर प्राविज़ंस हैं, जितने इसके अन्दर क्लाजेज़ हैं वे कोई तमाम के तमाम बहुत ज्यादा सही नहीं हैं। अब चुनाव का ही सिलसिला ले लीजिये। गांव के अन्दर चुनाव कोई बहुत अच्छा वायुमंडल पैदा नहीं करते लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं चुनावों के खिलाफ हूं। चुनाव तो होने ही चाहियें लेकिन चुनाव किस ढंग से हों, इसके बारे में कई एक राय हो सकती हैं। इस क़ानून के अन्दर चुनाव के सिलसिले में इस ढंग से कुछ ऐसी थोड़ी बहुत तबदीली की जा सकती है ताकि गांव की फिज़ा जो कई दफे चुनावों के बाद खराब हो जाती है वह न हो। अब एक तरफ तो फ़िज़ा के मामूली सी खराब होने का खतरा है और दूसरी तरफ पंचायत के न होने से दिल्ली के देहात को जो मुश्किलात हैं, उसका सवाल सामने है। इसलिए दोनों बातों को सोचते हुए और दोनों शिकायतों और तकलीफ़ों को देखते हुए मैं चाहता हूं कि दिल्ली की पंचायत राज्य का जो कानून है वह अगर ५ मिनिट या १० मिनिट पहले पास हो सके तो पास किया जाना चाहिए और इसीलिए बावजुद इस बात के कि दिल्ली के बारे में मैं काफी कह सकता था मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

श्री राधा रमण (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली पंचायत राज्य संशोधन बिल जो सदन के सामने मौजूद है उसको जल्द से जल्द दिल्ली के गांवों के अन्दर लागू करने का खयाल जो अभी हमारे लायक़ दोस्त ने यहां सदन के सामने रखा, मैं उसका स्वागत करता हूं। अब यह तो उनकी आदत है कि वे शहरी और देहाती लोगों को अलग अलग देखते हैं लेकिन मैं उस तरह नहीं देखता। मैं तो हिन्दुस्तान को एक मानता हूं .....

चौ० रणवीर सिंह : एक कहां हैं यहां आप मोटर पर चलते हैं.....

श्री राधा रमण : आपको मोटर पर चलना क्या बुरा लगता है ?

चौ० रणवीर सिंह : मुझे बुरा तो नहीं लगता लेकिन उनको ज़रा देहातों में भी तो भेज दीजिये।

श्री राधा रमण: जब भी इस क़िस्म के सवाल आते हैं तो हमारे मित्र इस तरह की छोटी छोटी दलीलें दे देते हैं लेकिन अगर आप यह समझते हों कि आप की बात सही समझी जा सकती है तो यह ज़रा मुश्किल है। जब भी इस क़िस्म का कोई सवाल हमारे सामने आये तो हमें एक

[श्री राधा रमण]

देहात और शहर में भेद करके उसको नहीं देखना चाहिये बल्कि हमें यह देखना चाहिये कि किस तरह हम पूरे हिन्दुस्तान का भला कर सकते हैं । अगर हमें जम्हूरियत को मज़बूत करना है तो अपने तमाम गांवों के अन्दर पंचायत राज्य को क़ायम करना ज़रूरी है । यह संशोधन विधेयक जो कि इस समय सदन के सामने पेश है एक बहुत ज़रूरी विधेयक है और कल जो हमने यहां पर दिल्ली लैंड रिफार्म्स संशोधन बिल पास किया है उससे इसका ताल्लुक़ है । मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं यह चाहता हूं कि इस बिल की जो धाराएं हैं विशेष कर जिसमें कि हम ने उन तमाम वोटरों को जो कि पार्लियामेंट मेम्बर्स की कांस्टीटूएंसीज़ के हैं, उनको गांव सभा का मेम्बर बनाने का फैसला किया या जो उसके अन्दर तज़किरा है, उसका मैं स्वागत करता हूं । मैं साथ ही साथ इस बात का भी स्वागत करता हूं कि इस पंचायत राज्य संशोधन बिल के पास होने के बाद बहुत सारे उन गांव वालों में जो आपस के झगड़े होते हैं और जिन के कि लिये उनको एक बड़ी क़ीमत अदा करनी पड़ती है और कचहरियों में जाना पड़ता है, उससे बहुत ज्यादा नजात मिलेगी । मैं तो समझता हूं कि अगर हिन्दुस्तान में तरक्की हो सकती है और जल्दी तरक्की हो सकती है तो उसके लिए जरूरी है कि हम न सिर्फ देहातों के लिये बल्कि शहरों के लिये भी कोई ऐसा तरीका जारी करें कि जिससे हम आपस में बैठ कर अपने झगड़ों के फैसले कर लिया करें और जो जिसका हक हो वह उसको मिल जाये । अगर मुल्क के अन्दर जम्हूरियत नश्वोनुमा पा सकती है तो वह इसी तरीके से पा सकती है । यह नहीं समझना चाहिये कि अगर किसी साहब ने इस बात के लिये मंजूरी दे दी है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाये, तो वह इसलिए किया है कि इसमें देरी लगे । यहां पर एक तजवीज़ श्री रघुवीर सहाय जी की है कि जिसमें उन्होंने तीन चार महीने की मोहलत मांगी है । अगर हमारे गृहमंत्री जी को यह तजवीज़ मजूर होती कि इस बिल की धाराओं पर फिर एक बार गौर कर लिया जाये तो हम दस पन्द्रह दिन के अन्दर ही बैठ कर ऐसा कर सकते थे । इसमें तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती कि जिसमें शहरी और देहाती का सवाल पैदा किया जाये । हमने तो इसके लिये इसीलिए स्वीकृति दे दी थी कि अगर गृहमंत्री जी इस बात को मंजूर करें तो यह की जाये । सेशन अभी तीन महीने चलेगा और अगर दस दिन की भी मोहलत मिल जाये तो हम इसकी धाराओं को अच्छी तरह देखकर विचारपूर्वक सदन के सामने ला सकते हैं । लेकिन अगर गृहमंत्री जी को यह मंजूर नहीं है तो किसी भी मेम्बर की, चाहे वह दिल्ली का हो या बाहर का, यह ख्वाहिश नहीं है कि इसमें देरी की जाये या इसके रास्ते में कोई रुकावट डाली जाये । जिस मजबूती से बार बार इस तरह के बिल को लाने के लिए कहा गया है उससे भी जाहिर है कि हम लोगों की यह ख्वाहिश थी कि इस पंचायत राज्य संशोधन के मुताबिक ठीक ठीक काम हो ।

दिल्ली के आस पास जो देहाती लोग आबाद हैं मैं समझता हूं कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी जो भी संख्या हो यह विधेयक उनके लिए एक न्यामत होगी और वे बहुत सारे झगड़े फ़सादों से बच जायेंगे जिनके खर्चों से वे लदे रहते हैं और जिनके कारण वे उभरने नहीं पाते । यह कानून उनको इन झगड़ों से बचा सकेगा और जो पंचायत अदालतें बनेंगी उनमें वह इन्साफ़ जिसकी हम उम्मीद करते हैं लोगों को बगैर खर्च के मिल सकेगा ।

इस बिल में जो अधिकार चीफ कमिश्नर को दिया गया है जिस के द्वारा वह देहातियों को उन की मुसीबतों से बचाने के लिये काम कर सकते हैं, वह भी देहातियों के लिय खुशगवार होगा और इस की वजह से उन को जो अपने फैसले करवाने में अभी दिक्कतें होती हैं वे भी दूर हो जायेंगी ।

इसलिये मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि इस बिल के बारे में इस ख्याल को सामने न रखा जाय कि इस सदन का कोई भी मेम्बर, चाहे वह दिल्ली का नुमाइन्दा हो या न हो, यह ख्वाहिश रखता है

कि इस की मंजूरी में देरी हो। बल्कि हममें से हर शख्स यह चाहता है कि यह कानून बन कर जल्द से जल्द लागू हो और जो इस की धाराओं का मकसद है वह पूरा हो। खास कर हम चाहते हैं कि हमारे देहातों में गांव सभायें कायम हों। उन गांव सभाओं में जो लोग शामिल हों, या जो लोग नियत किये जायें या इलैक्ट किये जायें व गांव के फायदे और नुकसान के बारे में पूरे तौर पर सोचें और जिन झगड़ों का फैसला होने में अभी महीनों और सालों लगते हैं वह कम वक्त में और बगैर खर्चे के फैसले हो जायें। कभी कभी देहातों के ये घरेलू झगड़े इतने जबरदस्त हो जाते हैं कि नसलों तक चलते हैं और इन की वजह से गांव वालों की शक्ति कमजोर होती है। गांव वालों की शक्ति ही तो हमारी शक्ति है। इसलिए उस शक्ति को बचा कर हम देश को तरक्की दे सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कानून से ये सारी बातें पूरी हो सकती हैं।

मैं चाहता हूं कि श्री रघुबीर सहाय जी के सिलेक्ट कमेटी के मोशन को किसी तरह से भी मिसअंडरस्टैंड न किया जाय और अगर किसी साहब ने अपने नाम की स्वीकृति दे दी है तो उसे भी मिसअंडरस्टैंड न किया जाये। इस हाउस को ऐसी तजवीज पास करने का हक है। और अगर यह हाउस समझता है कि इस बिल की धाराओं को पूरी जांच पड़ताल के बाद ही लाया गया है तो मैं समझता हूं कि इस में और देरी लगाने की जरूरत नहीं है। और इस कानून को जल्दी से जल्दी पास कर के देहातों में लागू कर दिया जाये क्योंकि हमारे देहाती भाई इस का अरसे से इन्तजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस से उन की बहुत मुसीबतें दूर हो जायेंगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि यह जल्दी से जल्दी कानून बनकर लागू हो जायेगा।

श्री नवल प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली पंचायत राज्य अधिनियम का जो यह संशोधन बिधेयक हमारे सामने है मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। और श्री रघुबीर सहाय जी ने जो प्रवर समिति को इसे भेजने का संशोधन रखा है उस का विरोध करता हूं। इस का कारण यह है कि लगभग ६ वर्ष पूर्व दिल्ली के गांवों में पंचायतें तोड़ दी गयी थीं और जब से ये पंचायतें टूटी हैं तब से गांवों में, जिस की लाठी उस की भैंस वाला हिसाब हो रहा है। लोग अन्धाधुन्ध कानून तोड़ने में लगे हुए हैं। आज अवस्था यह है कि चकबन्दी में अगर कोई रास्ता छोड़ दिया गया है तो उस को जो जबरदस्त लोग हैं व तोड़ लेते हैं। यह मामला पटवारी के द्वारा माल अफसर के पास जाता है और माल अफसर के पास तकरीबन २००० इस तरह के केस पड़े हुए हैं और वह यह सोचते हैं कि इन का क्या किया जाय। अगर दिल्ली में पंचायतें काम करती होतीं तो मैं समझता हूं कि यह बात न होती और लोगों को इस तरह का साहस न होता कि चकबन्दी में जो रास्ते खेतों में आदमियों और गाड़ियों के आन जान के लिये छोड़े गये हैं उन को तोड़ लें। और तो और लोगों ने गोचर भूमि को भी तोड़ लिया। बन को जो कि लोगों के लाभ के लिये है उस को भी तोड़ लिया है। हम चाहते हैं कि ये पंचायतें जल्दी से जल्दी अपना काम आरम्भ कर दें और दंड विधान संहिता के अन्तर्गत जो अधिकार इन पंचायतों को दिये गये हैं, जिन की लिस्ट गृह-मंत्री जी ने सुनाई है, उन के अनुसार काम करने लगें।

मुझे एक भय है जो कि मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं और वह यह है कि दिल्ली के गांवों में आज कल एक ग्राम विकास परिषद् काम कर रही है।

आज-कल गांवों के विकास का काम डेवेलपमेंट कौंसिल के द्वारा होता है, जिन गांवों में चुने हुए या नाम-निर्देशित व्यक्ति होते हैं। यदि पंचायतों में इन लोगों के अतिरिक्त दूसरे लोग चुने गये, तो मुझे भय है कि उन दोनों में—विकास परिषद् और ग्राम पंचायतों के सदस्यों में—गांव के विकास के प्रश्न को ले कर मुठभेड़ न हो जाये। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस को स्पष्ट करेंगे।

[श्री नवल प्रभाकर]

मुझे एक और भय है। दिल्ली के गांवों पर नगर निगम का भी अधिकार है और उस पर ही वहां की सफाई की जिम्मेदारी है। ऐसी अवस्था में यदि ग्राम पंचायत एक निर्देश दे और नगर निगम दूसरा निर्देश जारी कर दे, तो उन में टकराव होगा। उस को रोकने के लिये इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मुझे आशा है कि इस के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी कोई संतोषजनक उत्तर देंगे।

इस विधेयक की एक बात मुझे बड़ी विचित्र लगी है। गांव वाले जिस को हौआ समझते हैं, वही उन का परामर्शदाता होगा। इस विधेयक में यह प्रबन्ध किया गया है कि पटवारी सरपंच को सलाह देगा, उस को ऐसिस्ट करेगा और उस का सहायक होगा। स्थिति यह है कि गांव वाले पटवारी को एक लानत समझते हैं, लेकिन वही पटवारी उन का परामर्शदाता होगा। इस अवस्था में वह क्या नहीं कर सकेगा? चकबन्दी के मामले में यह देखा गया है कि वह एक व्यक्ति के नाम जमीन लगा देता है और अगर दूसरे दिन कोई और व्यक्ति उस को एपरोच कर लेता है, तो वही जमीन उस के नाम लगा दी जाती है। गांव के लोगों में मुठभेड़ कराने वाला व्यक्ति ही परामर्शदाता होगा, यह भी मेरे भय का कारण है। मैं चाहूंगा कि दिल्ली प्रशासन कम से कम पटवारी को यह अधिकार न दे। डेवेलपमेंट कमेटी की ओर से जो ग्राम-कार्यकर्ता समाज-सेवा का कार्य कर रहे हैं, उन को यदि यह काम सौंप दिया जाय, तो वह अधिक उपयुक्त होगा। मैं समझता हूं कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, हिन्दुस्तान के हर हिस्से में पटवारी से गांव वाले डरते हैं। वे समझते हैं कि मिनिस्टर की कलम में शायद इतनी ताकत नहीं है, जितनी कि पटवारी की कलम में है। इस विधेयक में जो व्यवस्था की गई है, उस का परिणाम यह होगा कि पटवारी गांव में फूट डालेगा और स्वयं राज करेगा और वह सरपंच को भी नचाता रहेगा, क्योंकि वह उस का परामर्शदाता होगा। इस में संहिता की धारायें दी गई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरपंच कोई वकील या जज तो होगा नहीं। जैसे जैसे पटवारी उस को समझा देगा, उसी तरह सरपंच काम करेगा। जो भी बुराई होगी, वह सरपंच के ऊपर आयेगी और भलाई पटवारी अपने ऊपर ले लेगा कि मन यह किया है।

अन्त में जो बात मैं कहना चाहता हूं, उस को मैं बहुत गम्भीर समझता हूं। यह देखा गया है कि जितनी उदारता यहां शहर में एक हरिजन के प्रति है गांव में अभी उतनी नहीं है, क्योंकि हमारे गांव पिछड़े हुए हैं। ऐसी अवस्था में हरिजनों के मामलों में जो पंचायत अदालतें जो निर्णय देती हैं, उस में मुझे कुछ सन्देह होता है। मेरे सामने इस तरह के बहुत सारे केसिस आये हैं। मैं उन को यहां नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन जब मैं उन के निर्णयों को देखता हूं, तो मेरी अन्तरात्मा कांप उठती है। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि जो हरिजन ग्राम पंचायत या सर्कल अदालत का सदस्य होगा, उस को यह अख्तियार होना चाहिये—उस को एक तरह से यह वीटो पावर होनी चाहिये—कि किसी ऐसे मामले में, जिस में किसी हरिजन के सम्बन्ध में निर्णय दिया जाय, यदि वह उस निर्णय का साथ न दे, तो उस निर्णय को अन्तिम न माना जाय, बल्कि उस पर फिर विचार किया जाय और अगर ग्राम पंचायत को महसूस हो कि उस का निर्णय ठीक है, तो भी उस मामले को ऊपर की अदालत में भेज दिया जाये और वह निर्णय हरिजन पर एक दम न थोपा जाये। माननीय मंत्री से मेरा विनम्र और साग्रह निवेदन है कि पंचायत में हरिजनों का बहुमत तो होगा नहीं—उन का एक ही सदस्य होगा और आम तौर पर गांवों में यह कोशिश भी की जाती है कि कोई ऐसा हरिजन सदस्य छांटा जाये, जो या तो बोलेगा नहीं और अगर बोलेगा, तो उस की बात नहीं मानी जायेगी। मैं ने यह सुझाव दिया है कि यदि हरिजन सदस्य को किसी हरिजन के सम्बन्ध में—केवल किसी हरिजन के सम्बन्ध में—दिये गये फैसले से मतभेद हो तो उस का फैसला उस पंचायत में न हो और उस मामले को आगे भेज दिया जाय। अगर वह सिविल अदालत है, तो कोई सब-जज उस का

फैसला दे और यदि कोई क्रिमिनल मामला है, तो उस को किसी मजिस्ट्रेट के पास फैसले के लिये भेज दिया जाये। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री मेरे इस सुझाव को मान लेंगे।

मैं इस बिल के पास करने में देरी करने के हक में नहीं हूं। यह मामला बहुत पिछड़ा हुआ है। दिल्ली के गांव वाले यह महसूस करते हैं कि यहां पर तुरन्त पंचायतें स्थापित होनी चाहियें।

माननीय मंत्री जी से मैं यह भी कहूंगा कि इस बिल के पास होने के बाद वह दिल्ली प्रशासन को मेहरबानी कर के यह भी कह दें कि अप्रैल के महीने में फसल कटने के बाद जैसे ही किसान खाली होता है, तुरन्त इन पंचायतों के चुनाव करा दें। ऐसा न हो कि वे लोग दूसरी फसल बोने के चक्कर में हों और आप कहें कि अब चुनाव होने चाहियें। मुझे आशा है कि यदि ये चुनाव बगैर संघर्ष के हो जायें, तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो संघर्ष होगा ही, क्योंकि गांवों में आम तौर पर पार्टी-बाजी होती है। मैं राजनैतिक पार्टियों से भी कहूंगा कि वे गांवों की हवा को न बिगाड़ें और गांव वालों को स्वयं अपने भाग्य का निर्णय करने दें और अपनी इच्छा के मुताबिक अपने गांव का प्रशासन चलाने दें। यदि इस में वह थोड़ी खराबी और बुराई भी करते हैं, तो हमें उस को तटस्थ भाव से देखना चाहिये और उन के मामलों में किसी तरह की दखल-अंदाजी नहीं करनी चाहिये। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री पंचायतों के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराने की कृपा करेंगे :

श्री प्र० सिं० दौलता : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, पंडित पंत ने फरमाया था कि यह छोटा सा बिल है और मैं नहीं समझता कि इस में आधे घंटे से ज्यादा लगेगा। यह बिल छोटा सा तो है ही और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, इस में पन्द्रह मिनट से ज्यादा वक्त लगने की बात नहीं है। इस बिल में कुछ कान्सीक्वेंशियल अमेंडमेंट्स के अलावा, जो कि दूसरे कानून की वजह से करनी पड़ रही हैं, एक बात के सिवा पालिसी का कोई सवाल इन्वाल्व्ड नहीं है और वह यह है कि बड़ी थोड़ी सी पावर इस में दी गई हैं—सौ रुपये तक जुर्माना हो सकता है, कैद की सजा इस में नहीं है। पंजाब की पंचायतों के बारे में मैं जानता हूं। दूसरे सूबों की पंचायतों, के मुताल्लिक मुझे मालूम नहीं है यह बिल बजाते-खुद कोई ऐसा नहीं है, जिस के लिये बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत हो। लेकिन हाउस चार घंटे जो इस बिल के लिये चाहता है वह भी जस्टिफाइड है और इस का कारण यह है कि इस में एक बहुत ही बड़ा बुनियादी सवाल है। दिल्ली चूंकि सैंटर का सूबा है और दिल्ली के बारे में पंचायतों के सिलसिले में आप जो भी कदम उठाते हैं उस से हमारी गवर्नमेंट की जो नियत है उस का अंदाजा लग सकता है और उस रुख का पता लग सकता है कि किस तरफ हवा जा रही है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हमें इस बात का पता चल सकता है कि हम किधर जाना चाहते हैं और किधर जा रहे हैं। नागपुर में कुछ रेजोल्यूशंस पास किये गये हैं और उसने पास किये हैं जो कि रूलिंग पार्टी का एक विंग है और उन रेजोल्यूशंस को आप किस तरह से अमली जामा पहनाते हैं और किस हद तक पहनाते हैं, यह देखना हमारा फ़र्ज़ है। जब इस नुक्तेनज़र से मैं इस बिल को देखता हूं तो मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि यह एक बड़ा अफ़सोसनाक और मासूकुन बिल है। यह बिल हमें अपने मक़सद की तरफ़ दूर नहीं ले जाता है, उसके यह बहुत थोड़ी दूर ले जाता है।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह एक बुनियादी सवाल है। राधा रमण जी ने कहा कि बहुत दुख होता है जब शहरी और देहाती का सवाल उठाया जाता है। मैं भी समझता हूं कि जब यह सवाल उठाया जाता है तो ज़रूर दुख होता है और मैं इसको एप्रीशियेट भी करता हूं। लेकिन जो हकीकत है उससे हम आंखें बन्द भी नहीं कर सकते हैं। हकीकत यह है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भी जो यहां की सिविलाइज़ेशन थी—उस वक्त जब मुगलों का यहां राज था और उससे पहले भी—अर्बन हकूमत थी, अर्बन सिविलाइज़ेशन थी

[श्री प्र० सिं० दौलता]

उस वक्त भी शहरों में काजी हकूमत करता था और जो देहात थे वे शहर के पांच मील के फासले पर आबाद थे और अपनी ज़िन्दगी, अपनी लाइफ़ अपने तरीक़े से बसर करते थे । वे लोग अपनी जिन्दगी को अपने सांचे में ढाल कर बिताने के आदी रहे हैं । इसके बाद अंग्रेज़ों की आमद हुई । उन्होंने यहां पर एक नई मिडिल क्लास को जन्म दिया, ठेकेदार पैदा हुआ, वकील पैदा हुई और मिडिल क्लास ने जन्म लिया । अंग्रेज़ों ने बंगाल और मद्रास से लेकर नार्थ इंडिया तथा , मतलब यह कि सारे हिन्दुस्तान को एक सूत्र में बांध दिया । लेकिन उस मिडिल क्लास ने जो कि अंग्रेज़ी पढ़ी लिखी थी ने ऐसा चक्कर चलाया कि जो देहातियों के रस्म और रिवाज़ थे, जो उनकी मजमुई लाइफ थी और जिस को वे बिताते आ रहे थे खत्म कर दिया । वे अर्बन मुगल्स के गुलाम हो गये । उनके तमाम हकूक और अख्त्यारात खत्म हो गये । यह ब्योरोक्रेशी का नतीजा था ।

इसके बाद जब हमारी हकूमत आई, जब हमारा राज हुआ तो फिर से हमने इस सवाल को उठाया । अब बुनियादी सवाल यह है कि किस हद तक हम उन देहातियों को अपने काम खुद करने के लिये पावर्स देना चाहते हैं, किस हद तक मौजूदा हकूमत जाना चाहती है । मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज प्रचार ज्यादा है लेकिन असल में देहातियों को कोई खास पावर्स नहीं दी जा रही है । आज देहातियों की बात की जाती है लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक बार डिजरेली ने कहा था वहां की पार्लियामेंट में, उस वक्त जब कि नई क्लास पैदा हुई थी, मिडिल क्लास और वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, कि मेरे मुल्क इंगलैंड में दो कौमें रहती हैं और उन दोनों कौमों का पहनावा, दिमागी रुझान, कस्टम, स्टैंडर्ड आफ लिविंग बिल्कुल डिफ्रेंट हैं और ये दोनों कौमें छोटे से ज़ज़ीरे में रहती हैं जिसको बरतानिया कहते हैं । जो कुछ विनोबा भावे जी कहते हैं, जो कुछ श्री रणवीर सिंह जी कहते हैं या जो कुछ दौलता कहता है, उससे दुख मानने की बात नहीं है । हकीकत यह है कि शहरी शहरी है, देहाती देहाती है, शहरियों की एक दूसरी कौम है । दोनों जज़बाती तौर पर अलग हैं । वैसे लीडरी करने के लिये, तहसीलदारी करने के लिये प्रोफेसरी करने के लिये वहां जा सकते हैं, मगर हैं वे अलग अलग ।

मैंने नेहरू जी ने जो किताब डिसकवरी आफ इंडिया लिखी है उसको पढ़ा है । मैं नेहरू जी की बड़ी कद्र करता हूं और मैं मानता हूं कि वह बहुत भारी स्कालर हैं । उन्होंने जो किताब लिखी है वह मैं समझता हूं कि इंडियन सोश्योलोजी पर बैस्ट किताब है । उन्होंने उसमें बहुत ही दुरुस्त बातें लिखी हैं । उन्होंने लिखा है कि दूसरे मुल्कों में शहरों में वे कबीले मिल जायेंगे जो देहातों में मिलते हैं । लेकिन हज़ारों बरस से सोने चांदी का कारोबार करते हुये, गुप्त, मुगल इत्यादि के ज़माने से करते हुये यहां पर लोग मिल सकते हैं और यहां पर न सिर्फ देहाती और शहरी हैं बल्कि कई बार खून डिफ्रेंट हैं, ज़ातें डिफ्रेंट हैं । कुछ लोग हज़ारों बरसों से देहातों में रहते चले आ रहे हैं । हमारे नवल प्रभाकर साहब जानते हैं कि गांवों में ही उनकी बहनें बयाही जायेंगी, उनकी शादियां होंगी, उनकी रिश्तेदारियां होंगी ।

जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है, डिप्टी स्पीकर साहब, कि देहाती अपनी हुकमत चाहते हैं । कई वैलइंटेंशंड भाई, अच्छे वकील यह नहीं समझते हैं कि क्यों क्रिमिनल पावर्स देहातियों को दी जा रही है । उनको मैं बतलाना चाहता हूं कि उनका तजर्बा मेरे तजुर्बे से ज्यादा हो सकता है लेकिन वहां पर अगर मुकदमों का फैसला किया गया तो कानूनन फैसला शायद उतना अच्छा न हो लेकिन इंसाफन वह ज्यादा अच्छा होगा । मैं ने ट्रेडिशनल पंचायतों को देखा है जिन में एलडरमैन अन-अपोज्ड चुने जाते थे और उनके फैसलों को भी देखा है । इसके बाद पंचायत राज एक्ट के अन्दर जो पंचायतें बनी हैं उनके फैसलों को मैं ने देखा है । इसके अलावा मेरा १३ साल का अदालती तजुर्बा

भी है। इन तीनों किस्मों के फैसलों को मैं ने देखा है। मैं आपको बतला सकता हूं कि तीन चार आदमियों ने लड़ाई लड़ी और पांच का नाम लिखा दिया गया और यह इस लिये कि दफा १४९ नहीं लगती और दो आदमी फालतू हो जाते हैं। गांवों में अगर इस तरह का मुकदमा जाता तो वहां आसानी से पता चल सकता था कि किन लोगों ने लड़ाई की है। आज कहा जाता है कि जो रेप के केसिस होते हैं वे छिप जाते हैं, वे चलते नहीं हैं, एविडेंस नहीं आता है। लेकिन ट्रेडिशनल पंचायतों के ज़माने में इस तरह के केस हो ही नहीं सकते थे क्योंकि सब को पता होता था कि क्या कुछ हुआ है। साथ ही सज़ा भी ऐसे केसिस में सौ रुपये की नहीं हुआ करती थी बल्कि बहुत ज्यादा हुआ करती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह रेप कर सके। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि १९५३ में मैं एक मर्डर केस में गया। सैशन जज को पता था कि जो तीसरा आदमी है, वह मर्डर केस में नहीं था, जो बड़ा भाई था वह शामिल नहीं था, सरकारी वकील को भी यह सब मालूम था और मुझे भी मालूम था लेकिन उसकी जो मर्सी पेटिशन थी, वह डिसमिस कर दी गई और उसको फांसी पर लटका दिया गया।

तो मैं कहना चहाता हूं कि यह मिडिल क्लास जो है यह जो सफेदपोश क्लास है यह अच्छा इंसाफ नहीं करती है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि आप उनको ज्यादा पावर्स दें। जो पावर आप उनको आज देने जा रहे हैं यह मैं समझता हूं उनके साथ मज़ाक़ करना है। उनको आप ज्यादा से ज्यादा पावर्स दें। आप फिरोज़पुर से हवाई जहाज़ में साउथ तक कहीं भी चले जायें आप देखेंगे कि वहां डिफ्रेंट किस्म का डिवेलेपमेंट हुआ है, डिफ्रेंट किस्म के स्टैंडर्डस हैं। जहां पर पैजेंट प्रोप्राइटर्स हैं वे बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं उन झौंपड़ियों के देहातों से जहां पर लखनऊ के नवाबों ने गांवों वालों का खून चूसा है या दूसरे लोगों ने उनको एक्सप्लायट किया है।

तो मेरे कहने का मकसद यह है कि जो क्रिमिनल पावर्स आप दे रहे हैं ये थोड़ी दे रहे हैं। आपको ज्यादा देनीं चाहियें। यहां पर दिल्ली के आस पास लोग बी० ए० पास हैं, सोफा सैट्स पर बैठते हैं और उनका स्टैंडर्ड काफी ऊंचा है और उनको आप उसी स्टैंडर्ड से न नापिये जिस से आप दूसरे देहातों को नापते हैं और जिन के बारे में आपके पास रिपोर्टें छपी पड़ी हैं। यहां पर आपको इन लोगों के स्टैंडर्ड आफ डिवेलेपमेंट को दूसरी तरह से एसेस करना होगा। ये लोग बहुत आगे बढ़े हुये हैं। सौ रुपये के जुर्माने तक की पावर देना उनके साथ मज़ाक़ करना है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त जब कि केरल की गवर्नमेंट ने एक पंचायतों के बारे में कानून बना कर रख दिया है और उसमें रख दिया है कि ५० परसेंट टैक्सिस जिन देहातों से रीयलाइज़ किये जाते हैं वे उन देहातियों को वहीं दे दिये जायेंगे तो दिल्ली के बारे में तो बाबा, आपको केरल से कुछ आगे बढ़ना चाहिये था। आप यहां की पंचायतों को क्या देने लगे हैं। ५० परसेंट से ऊपर यानी ६० या ७० परसेंट तो दें। चाहिये तो यह था कि आप एक माडल बिल बनाते। अगर वह नहीं कर सके तो केरल की नकल तो कर सकते थे।

केरल ने जो पावर्स दी हैं उनको मैंने देखा है। मैंने केरल के देहात देखे। १७ दिन वहां घूम कर आया हूं। मैं अपने देहात को भी जानता हूं। आंध्र के देहात थोड़ा थोड़ा हमारे नजदीक आते हैं। यहां के लोगों को आप १०० फी सदी इजाजत दीजिये और उस का नतीजा थोड़े दिन देखिये। मेरी अर्ज़ यह है कि न सिर्फ क्रिमिनल पावर्स ही दी जायें बल्कि फाइनेंस भी दीजिये। देहातों से जो टैक्स वसूल किये जाते हैं वह भी पंचायतों को दीजिये फिर उस का नतीजा देखिये। जिस हद तक यह बिल जाता है, उस हद तक मैं इसे अच्छा समझता हूं लेकिन यह बहुत दूर जाता ही नहीं। मेरी दरख्वास्त है कि एक बिल्कुल नया बिल मंत्री महोदय इस के बारे में लायें जो कि नमूना हो सारी स्टेट्स की सरकार को दिखाने के लिये कि यू० पी०, मध्य प्रदेश, पंजाब और उड़सा वाला तुम नकल

[श्री प्र० सिं० दौलता]

करो, यह दिल्ली का कानून है जो कि देहातों को ज्यादा से ज्यादा पावर देता है और इस के लिये यह जरूरी है कि एक नया कानून यहां पर लाया जाय जिस की ठीक तौर से नकल हो सके ।

इन अल्फाज़ के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप का बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझे १० मिनट का मौका दिया इस बिल पर बोलने के लिये । दरअस्ल मैं आप की और दूसरे अपने दोस्तों की जो हिदायत है उस पर खुद अमल करता लेकिन यह बिल इतना अहम है कि मैं अपने आप को रोक न सका और खड़ा हो गया यह दिखाने के लिये कि मैं भी बोलना चाहता हूं ।

मुझे खुशी है कि मैं ने पेश्तर इस के कि मैं इस पर बोलूं, चन्द दीगर (अन्य) मेम्बरों की राय भी सुन ली । मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे जो खयालात हैं उन को कई दूसरे दोस्तों ने भी बड़ी अच्छी तरह जाहिर किये हैं और मैं उन को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं उन को ट्रिब्यूट पे (सराहना करता) हूं । मैं ने जब इस बिल को देखा तो उस में "दिल्ली पंचायत बिल" नहीं था, उस में "दिल्ली पंचायत राज बिल" था, जिस के माने यह हैं कि दरअस्ल गवर्नमेंट का मंशा यह है, जैसा कि हम ने कांस्टिट्यूशन में लिखा था, कि हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसी पंचायतें हों जैसे कि पुरानी पंचायतें थीं, जिन की वजह से यहां पर राम राज्य कहा जाता था । हम मुगल राज्य, अंग्रेज़ी राज्य या किसी हिन्दू राजा के राज्य की पंचायतें नहीं चाहते । हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसी रिपब्लिक्स बनें जो स्वयं निर्भर हों बहुत सी चीजों में और लोकल सैल्फ गवर्नमेंट हों और जब मैं ने अपने दोस्त मि० दौलता को सुना और चौधरी रणवीर सिंह को सुना तो मुझे मालूम हुआ कि एक चीज़ के अन्दर मैं उन से बेहद मुत्तफिक़ हूं । लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इस बिल का मकसद यह समझा जाता है कि हमारे देश में स्वराज्य की पंचायतें बनेंगी, जैसा कि कांस्टिट्यूशन में दर्ज है और जिस को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कांग्रेस पार्टी में रोज कहा करते हैं कि हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर अच्छी पंचायतें हों और जो गांव वाले हैं उन को अपने ऊपर राज्य करने का मौका दिया जाये, जो एक गांव के लोग हैं खुद वह ही अपने उपर राज्य करें, तो मुझे कोई शुबहा नहीं है कि यह बिल उस मकसद को पूरा नहीं करता । अगर इस बिल का मकसद यह है कि आज जैसी पंचायतें हैं उन को वैसे ही चलने दिया जाय तो यह कहना दुरुस्त हो सकता है कि इसको ५ या १० मिनट में पास कर दिया जाय, लेकिन अगर हमारे मि० दौलता या चौ० रणवीर सिंह, हमारे दूसरे भाई और कांग्रेस गवर्नमेंट यह चाहती है कि हर एक गांव में पंचायतें तब्दील हों और उन को ज़रूरी मुआमलात में पूरा हक देने का नया सिलसिला जारी हो तो यह बिल उस डिमान्ड को पूरा नहीं करता । अगर इस को सारे देश के लिये एक माडल बनाना है तो इस के अन्दर बड़ी सख्त कमियां हैं। अभी मेरे भाई ने डिप्टी स्पीकर साहब, आप के रूबरू और इस सदन के रूबरू ज़िक्र किया कि किस तरह की पंचायतें वह चाहते हैं । वह चीज़ इस बिल से पूरी नहीं हो सकती । मुझ को याद है कि सन् १९२६ में एक इसी किस्म का बिल इस सदन के अन्दर आया जो डा० गौड़ ने पेश किया था । उस वक्त मुझे मौका मिला कि सारे देश के अन्दर उस वक्त जितनी पंचायतें मौजूद थीं उन को देखूं । मुझे पंजाब के बारे में मालूम है कि पंजाब में पंचायतें कैसे काम करती हैं । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि कोई भी शख्स इस हाउस में उस तरीक़े से मुतमईन (संतुष्ट) नहीं है जिस तरीक़े से हमारी पंचायतें हिन्दुस्तान में राज करती हैं । आज हिन्दुस्तान में एक लाख से भी ज्यादा पंचायतें हैं, लेकिन वह पंचायतें वह माहौल (वातावरण) पैदा नहीं कर सकतीं जो हम चाहते हैं कि देश के अन्दर हर जगह पैदा हो ।

जब हमारा कांस्टीट्यूशन बन रहा था तो मैंने एक अमेंडमेंट रखा था और वह यह था कि जब तक गांव वालों की हालत इस कदर नहीं तबदील कर दी जाती कि वह सब अमेनिटीज जो शहर वालों को हासिल हैं वह गांवों के अन्दर पहुंच जायें उस वक्त तक देश का जो भी रुपया खर्च होता है वह सिर्फ गांव वालों के फायदे के लिये ही खर्च किया जाय । वह अमेंडमेंट मंजूर नहीं हुआ । उस वक्त चौधरी रणवीर सिंह ने भी मुझे सपोर्ट किया था । मैं आज भी कहता हूं कि चूंकि आप सही मानों में पंचायत राज लान चाहते हैं और जो फायदे आज शहर के रहने व ले उठा रहेहैं वह गांव वालों को नहीं पहुंच रहे हैं इसलिये उनको सारे फायदे देने के लिये यह माकूल तरीका हो सकता है कि आप गांव के अन्दर ज्याद से ज्यदा रुपया खर्च करें । जब तक यह चीज आप नहीं मानते, जब तक आप गांव वालों को फाइनेन्शल पावर नहीं देते, जब तक आप उनको टक्सेज़ की आमदनी का बड़ा हिस्सा नहीं देते, उस वक्त तक यह मामला हल नहीं होगा । जिस वक्त यहां पर ग्रो मोर फूड की कमेटी बनी उस वक्त मैंने एक नोट आफ डिसेंट लिखा था जिसमें लिखा गया था कि अगर आप चाहते हैं कि गांवों के ऊपर इसकी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी हो तो उसका एक ही तरीका है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा रुपया हर एक पंचायत को दे सकें दें । बिना इसके पंचायत का राज्य नहीं हो सकता और न सैल्फ गवर्नमेंट के मकसद पूरे हो सकते हैं ।

मेरे एक दोस्त ने बड़े जोर शोर से एक बात कही और मैं उसको बड़े जोर से सपोर्ट करता हूं कि अगर आप सही मानों में पंचायत राज कायम करना चाहते हैं तो जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, समेत कांग्रेस के, उनके पोलिटिकल इन्फ्लुएंस को आप गांव के अन्दर न जाने दें । अगर आप चाहते हैं कि देश के अन्दर कोआपरेटिव फार्मिंग हो तो यह उसी वक्त मुमकिन है जबकि देश के अन्दर आपस में लोगों का कोआपरेशन हो, मोहब्बत हो । जिस चीज़ का हम स्वप्न देखते हैं वह इसी तरह से मुमकिन हो सकती है । एक जम ना था कि गांव की हर एक औरत को जो गांव में रहती थी लोग अपना रिश्तेदार समझते थे । आज भी अगर आप गांव में जायें तो देखेंगे कि बड़े बड़े जमींदार भाई भी जब कभी किसी दूसरी जगह पर जाते हैं और वहां पर गांव की कोई लड़की होती है तो उसको रुपये देकर आते हैं । आज भी गांवों के अन्दर औरतों की इतनी इज्जत है कि कोई भी बूढ़ी औरत गांव भर की चाची होती है । हर एक बुजुर्ग औरत को लोग अपना रिश्तेदार मानते हैं भले ही वह किसी जात की हो और चाहे जितनी गरीब हो, चाहे वह मेहतरानी हो, जाटनी हो, चमारनी हो, कोई भी हो । अभी यहां पर पार्टीबाजी पर ऐतराज़ किया गया है । पर्सनल पार्टीबाजी की बात कही गई है, लेकिन बजाय उसके आज पोलिटिकल पार्टीबाजी ज्यादा फेकशन्स (मतभेद) पैदा कर रही ह । अगर आप चाहते हैं कि देश के गांवों के अन्दर लोग आराम से रहें तो मैं कह सकता हूं कि यह बिल इस तरह का नहीं बनाया गया है कि पंचायत राज गांवों के अन्दर जा सके । इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बनाना होगा । आज जो १ लाख २६ हजार पंचायतें देश के अन्दर हैं अगर उनको आप कंवर्ट करना चाहते हैं इस बिल से तो यह बिल उस नमूने का नहीं है जिस पर हमारे गांव के लोग यकीन कर सकें । आज मैं कह सकता हूं कि देहात वालों को भी उतना ही हक है जितना कि शहर वालों को । लेकिन मुझे यह कहने में रंज होता है कि कुछ लोग हाउस में यह कहते हैं कि यहां पर देहात एक तरह से बनें और शहर दूसरे तरह से बनें । पिछला जो जमाना था वह खत्म हो चुका जबकि जमींदार पार्टी या दूसरी पार्टी के लोग होते थे, पार्टी बेसिस पर क्लासेज़ बने हुए थे । आज वह तमीज हम को हटानी पड़ेगी । आज देश के अन्दर एक एक सिटजेन जो यहां रहता है उसे एक जगह पर लाना होगा । हम अब यह तमीज नहीं चाहेंगे कि यह शहर वाला है और यह देहात वाला है । हम चाहेंगे कि हर एक जगह की, हर एक गांव की उतनी ही भलाई हो उतना ही आराम हो जो हमारे शहरों को है । इस को करने के वास्ते, मैं कहता हूं, इस बिल के अन्दर जरूरी चीज़ें नहीं हैं । मैं नहीं कहना चाहता कि इस बिल को लाने में किसी की नीयत खराब है या खराब नीयत से यह बना है लेकिन कांग्रेस वाले जो चाहते हैं, पंडित नेहरू जो चाहते हैं, हम में से

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हर एक जो चाहता है दिल से, जो कांग्रेस का भी नुक्ते निगाह है वह यह है कि एसेन्शल बैकग्राउण्ड के अन्दर हर एक चाहता है कि हमारा देश ऊंचे से ऊंचे उठे। लेकिन जिन चीजों से कौमें उठती हैं और मजबूत होती है उनका जर्म भी इसमें नहीं है। अगर आप सही मानों में चाहते हैं कि पंचायत राज बने तो इस बिल को तबदील करना होगा। देश के अन्दर जो जगह आज हम पटवारी की देखते हैं, उसको तबदील करना होगा। मैं इस बिल के अन्दर इस चीज को नहीं देखता। अगर आप इस बिल में से राज का लफ्ज हटा दें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन अगर आप राज का लफ्ज रखते हैं तो मैं चाहूंगा कि इसके लिये सेलेक्ट कमेटी बने, उसके अन्दर श्री नेहरू बैठें, हमारे स्पीकर साहब मौजूद हों, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब का नाम तो शामिल है उसके अन्दर हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब बैठें, कैबिनेट के बड़े से बड़े मिनिस्टर बैठें और एक मजबूत कमेटी बनाई जाय। जो आप करना चाहते हैं अगर वही आप की मंशा है तो इस के लिये दूसरा बिल लाना चाहिये।

आप इस बिल का नाम सिर्फ दिल्ली पंचायत अमेंडमेंट बिल ही रखें और उसमें से लफ्ज "राज" निकाल दीजिये तो फिर मुझे कोई शिकायत नहीं होगी और दिल्ली पंचायत भी उसी तरह चलेगी जैसे कि और प्राविन्सेज़ में पंचायतें चलती हैं। और सूबों में भी जहां पंचायतें चलती हैं वे अपने फ़रायज़ पूरे कर रही हैं लेकिन अगर सही मायनों में पूछा जाय और जैसे कि कांस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल्स में कहा गया है कि हमारे देश में पंचायत राज्य कायम हो और छोटी छोटी रिपब्लिक बनें और जो देश के अन्दर नमूना हों और जो हम इस देश में राम राज्य क़ायम होने की चर्चा सुनते थे, मुझे बड़े अदब के साथ कहना है कि वह मंशा तो इससे पूरी होने वाली नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके अन्दर कहां पर ज़िक्र है कि यहां मवेशियों की तरक्क़ी होगी ? और कहां इसमें हाउसिंग का ज़िक्र है या दूसरी इंडस्ट्रीज़ बनाने व रोजगार मुहय्या करने का जिक्र है ? कैसे छोटी छोटी पंचायतें दिल्ली के अन्दर यह तमाम काम कर सकेंगी ? यह ठीक है कि दिल्ली के अन्दर बहुत सारे लोकल पढ़े लिखे लोग रहते हैं लेकिन बहुत अधिक तादाद दिल्ली के देहातों में बसने वाले अनपढ़ और गरीब लोगों की है, उनके साथ पूरा इंसाफ हो सकेगा या नहीं हो सकेगा यह डाउटफुल है। इसलिये मैं अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप इस बिल को जो ४, ५ मिनिट में पास करना चाहते हैं तो बेशक उसे आप पास कर लें क्योंकि आपको इसका अखित्यार है और आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन जैसे मैंने पहले कहा यह दिल्ली पंचायत भी दूसरी पंचायतों की तरह आर्डिनेरी पंचायत होगी और इसीलिए मैंने कहा है कि इस बिल के नाम में से "राज" शब्द निकाल दिया जाये।

इस बिल के अन्दर एक प्राविज़न है कि वकील इस के अन्दर दाखिल नहीं हैं। अब मेरे लायक़ दोस्त जो वकीलों के ऊपर बेएतमादी ज़ाहिर करना चाहते हैं और शायद दुरुस्त तौर पर ज़ाहिर करते हों और मैं वकीलों की उनके द्वारा मुख़ालिफ़त को समझ सकता हूं। अब मेरा ५० वर्ष से भी ज्यादा वकालत का तजुर्बा है और मैं ख़ुद इस बात का क़ायल हूं कि वकीलों की वजह से अक्सर औक़ात न्याय मिलने में देर होती है और अपराधियों को उचित दंड नहीं मिल पाता है। अब इसके लिये वकील कोई डाइरेक्टली ज़िम्मेदार नहीं है लेकिन इसमें शक़ नहीं कि वे इसमें ज़ाहिरा तौर पर इंट्रुस्मेंटल ज़रूर है। लेकिन मैं यह ज़रूर कहूँगा कि हम गांव और शहर दोनों के रहने वालों के लिए इंसाफ चाहते हैं। इस लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वक़ीलों की वजह से इंसाफ़ नहीं होता है। यहां पर सच्चे मानों में रामराज्य कायम करने के लिये आपको बहुत सी चीज़ें करनी होंगी और तबदीलियां लानी पड़ेंगी। मैं इस बात के हक़ में नहीं हूं कि यहां पर वकीलों का राज्य कायम हो जाय और मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी इसके हक़ में नहीं होगा कि इस तरीक़े की लीगैलिस्टिक ओपीनियन वैध राय सारे देश में फैले और सारे देश में लीगल राज हो जाय और जिससे कि बहुत से खता-

बार छूट जायें और वे अपने जुर्म की सज़ा न पायें । श्री दौलता ने भी इस बारे में ज़िक्र किया और उन्होंने बतलाया कि उनको ११ वर्ष का तजुर्बा है । मुझे वकालत का उनसे ४, ५ गुना अधिक तजुर्बा है और मैं इस बिना पर कह सकता हूं कि कानूनी इंसाफ रोज़मर्रा के इंसाफ़ से बहुत डिफ्रेंट है । कोई भी नहीं चाहता कि सारे गांव को वकील लोग लूट लें । लेकिन हम इतना ज़रूर चाहते हैं कि आप पंचायतों को पावर्स दें । अब इसके लिए यह कहा जा सकता है कि छोटी छोटी पंचायतों को पावर्स दिये जाने से उनके मिसयूज़ होने का खतरा बना रहता है तो उसके लिये मेरा कहना यह है कि आप उसके लिए प्रीकाशन लेते हुए यह करें कि पंचायत को आप बिल्कुल किसी भी किस्म की पार्टीबाज़ी से अलहिदा रक्खें ताकि वह लगन और सच्चाई के साथ अपने फ़रायज़ को बखूबी अंजाम दे । आपको यह याद रखना है कि बिल का असल मक़सद सिर्फ़ इंडिविजुएल्स में इंसाफ करना ही नहीं है बल्कि इस पंचायत राज का मतलब यह है कि लोगों की ज़िन्दगी खुशहाल बने और प्यार और मोहब्बत के साथ सारा कामकाज चले, सारा मियार ही तबदील हो जाय । हर एक गांव पंचायत इस बात के लिए ज़िम्मेदार हो कि हर एक गांव वाले को जो कि उस गांव में रहता हो उसके खाने पीने का माकूल बन्दोबस्त हो, उसके रहने और तालीम आदि सभी चीज़ों का मुनासिब इंतज़ाम हो । मेरा कहना है कि वह सारी चीज़ें इसमें नहीं हैं ।

अगर आप इसे माडेल बिल बनाना चाहते हैं तो इससे भी ज्यादा मज़बूत सेलेक्ट कमेटी बनाइये लेकिन अगर आप इसे इसी शक्ल में पास करना चाहते हैं तो आप कर दीजिये आपको इसका अख्तियार है लेकिन इसमें जो "राज" का लफ्ज रक्खा है उसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं और जैसे और सूबों में पंचायतें चल रही हैं वैसे यह भी हमडम पंचायतों की तरह चलेंगी । लेकिन अगर आपको मौडेल बिल लाना है तो फिर एक दूसरा बिल लाइये । आप चाहे इसको ऐसे ही पास कर लीजिये या फिर इस के अन्दर ज़रूरी तरमीम कर लीजिये ताकि यह देश के वास्ते माडेल बने । अगर आपकी यह मंशा है तो आप इसे सेलेक्ट कमेटी के मोशन को मंजूर करके हमारे बेहतरीन दिमागों को इसमें शामिल कर लीजिये ताकि इसका जो मक़सद है वह हम पूरा कर सकें ।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत मशकूर हूं कि मुझे इस मौक़े पर बोलने का मौक़ा दिया गया । यह जो दिल्ली पंचायत राज अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है मैंने उसका मुताला (अध्ययन) किया । साथ ही साथ मैंने वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब वग़ैरह के जो पंचायत राज के ऐक्ट्स हैं उनको भी देखा और उनको देखने के बाद मुझे यह मालूम हुआ कि यह जो बिल हमारे सामने है यह बहुत पिछड़ा हुआ बिल है और दुसरे सूबों में जो तरक्की पसन्द ऐक्ट्स हैं उनसे बहुत पीछे है और मुझे यह देख कर बड़ी निराशा और मायूसी हुई ।

जहां तक देहातों का ताल्लुक़ है हिन्दुस्तान में क़रीब क़रीब ५ लाख गांव हैं और उनके जो रहने वाले लोग हैं वे हमेशा से पिछड़े हुए हैं । म्युनिसपैल्टीज़ को काफ़ी फ़रोग़ (अधिकार) हासिल हुआ । वहां पर म्युनिसपैल्टीज़ बहुत अर्से से काम कर रही हैं और शहरों में काफ़ी डेवलपमेंट है लेकिन देहातों की ओर आज तक कोई तवज्जह नहीं दी गई । मैंने गांवों की पिछली तवारीख का मुताला किया है और मैंने देखा कि एक ज़माना ऐसा था जब कि हज़ारों वर्ष पहले गांव बिलकुल सैल्फ़ सफ़िशिएंट थे और वहां पर खाने पीने के लिए सब कुछ मौजूद था । लोगों के खाने पीने, रहने आदि के लिए मुनासिब इंतज़ाम था । और आजकल भी उस पुराने ज़माने की उजड़ी हुई प्रथाएं चली आ रही हैं जैसे कि देहात में जो काम करने वाले लोग हैं नाई वग़ैरह, उनको काम के एवज़ में तनख्वाह नहीं दी जाती है बल्कि नाज की शक़ल में उनको उजरत दी जाती

[श्री मोहन स्वरूप]

है । इस तरह से जो पुरानी शक्लें थीं वे आज भी मौजद हैं । सामूहिक आधार पर देहात के रहने वाले तमाम काम करते थे और कुल पैदावार का एक दसवां हिस्सा राज्य कोष में जाता था और बाक़ी गांवों में ख़र्च होता था । इसलिए जैसे कि हमारे बुजुर्ग पंडित ठाकुर दास भार्गव और दुसरे दोस्तों ने भी फ़रमाया कि हमें पंचायतों को एक मौडेल शक्ल देनी चाहिए जो कि अभी नहीं दी गई है, मैं भी उनका समर्थन करता हूं । बहुत सी चीज़ें जो कि वेस्ट बंगाल के और दुसरे सूबों की पंचायत ऐक्टों में हैं, वे इसमें नहीं हैं । अब मसलन सर्किल पंचायत का इसमें तज़किरा है । सर्किल पंचायत जो बनायी गयी है वह गांव सभा के लोगों की बनाई गई है लेकिन उसमें यह नहीं दिया गया है कि गांव सभा के कितने आदमी जायेंगे जिनसे कि वह सर्किल पंचायत बनेगी ।

इसके साथ ही साथ अदालती पंचायत का जो तरीका है वह भी ग़लत है । यू० पी० में गांव पंचायत व अदालत पंचायत का फार्मेशन अलग सा है लेकिन यहां उसको सर्किल पंचायत में मिला दिया गया है । वेस्ट बंगाल में जहां कि यह अंचल पंचायत कहलाती है इसको बड़े हक़ूक दिये गये हैं और थाने के स्तर पर वह बनती है और उसको तमाम इलाक़े की देखभाल करने और कंट्रोल करने का अधिकार हासिल है । इसी तरीक़े से पंजाब में तहसील पंचायत बनी हुई है जो कि पंचायतों के काम को सुपरवाइज़ करती है, देखभाल करती है और उनको मशविरा देती है । यह जो हमारी सर्किल पंचायत बनी है यह तो महज़ एक तमाशा सा बनकर ही रह गई है । बताया गया है कि इसी में से कुछ लोग चुने जायेंगे जो कि पंच चुनेंगे और वह अदालती पंचायत का काम करेंगे । लेकिन मेरा कहना है कि अदालती पंचायत अलग से बननी चाहिये । सर्किल पंचायत के हक़ूक और बढ़ाना चाहिये और उसको सुपरवाइज़री हक़ूक और ज्यादा मिलने चाहियें ताकि वह गांव पंचायतों और अदालती पंचायतों को देखे और उनको ज़रूरी मशविरा देती रहे । इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि सर्किल पंचायतों को रिवीज़न के हक़ूक दिये जायें ताकि जो पंचायत अदालतों में फ़ैसले होते हैं, उनकी वह सुनवाई कर सके । जो भी अदालती फ़ैसले अपील के हों वे सर्किल पंचायत के जरिये हों । और सर्किल पंचायत १५, २० अदालती पंचायतों के काम को सुपरवाइज़ करे और जो उसकी खामियां दिखाई दें उनको पूरा करे ।

अब गांव पंचायत के लिए काम तो बहुत करने को बताये गये हैं । जैसे सड़क बनाना, पुलियां बनाना और अन्य दुनिया भर की चीज़ें उसको करनी हैं लेकिन उसकी आमदनी क्या है इसकी तरफ़ भी तो ध्यान जाना चाहिये । आज उसको सिर्फ २ पैसे लगान के ऊपर मिलता है और मैं पूछना चाहता हूं कि जो मुश्किल से उसको ४००, ५०० रुपये इस तरह मिलते हैं उन ४००, ५०० रुपयों से क्या गांव में यह तमाम डेवलपमेंट के काम पूरे हो सकते हैं । मेरा सुझाव है कि गांव पंचायतों को गांवों की आमदनी का एक चौथाई हिस्सा मिलना चाहिये । उत्तर प्रदेश में अफसरान दौरे पर गांव पंचायतों में जाते हैं और वहां श्रमदान की बात होती है । एक तमाशा होता है । दो चार सड़कों पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाती है, उसके फोटो खिंचते हैं और अखबारों में छापे जाते हैं और बस फर्ज पूरा हो जाता है । लेकिन इस तमाशे से काम नहीं चलेगा । हम सोशलिस्ट लोग गृह राज्य चाहते हैं, हम गांवों को सेल्फ सफीशेंट बनाना चाहते हैं, सूबों को तथा जिलों को सेल्फ सफीशेंट (आत्मनिर्भर) बनाना चाहते हैं और सेंटर स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं । मैं चाहता हूं कि मुल्क की आमदनी को चार स्तरों पर बांटा जाये, गांवों के स्तर पर, जिलों के स्तर पर, सूबों के स्तर पर और सेंटर के स्तर पर । तो मैं चाहूंगा कि यह प्रावीज़न इस कानून में हो कि गांव की आमदनी का चौथाई हिस्सा पंचायतों को मिले । अगर ऐसा हो तभी तरक्की हो सकती है ।

साथ ही साथ जो कानून हम बनावें वह ऐसा हो कि उसमें इंडस्ट्रीज के डेवेलपमेंट का भी तजकिरा हो। क्योंकि साल में तीन चार महीने ऐसे होते हैं कि जिनमें गांव वाले बेकार रहते हैं। उस वक्त लोगों को काम देने के लिए गांव सभा को यह हक मिलना चाहिए कि वह छोटे छोटे कारखाने और काटेज इंडस्ट्रीज खोल सके। स्पष्ट है कि जब तक हम अपने गांवों को सेल्फ सफिशेंट नहीं बनायेंगे तब तक तरक्की नहीं हो सकती।

इस बिल में और भी कुछ चीजों की कमी है। जैसे कि इस बिल में गांव पंचायत की मिटिंग्स का तजकिरा नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानून में यह है कि हर महीने एक मीटिंग हो। इस कानून में ऐसा कोई तजकिरा नहीं है। पंचों की संख्या के बारे में भी कोई तजकिरा नहीं है। यह आथारिटीज पर छोड़ दिया गया है कि जितने चाहे रख ले। यू० पी० के कानून में है कि कम से कम १५ हों, पंजाब में नौ की लिमिट है। लेकिन यहां कोई लिमिट नहीं है।

इस बिल में इलेक्शन पिटीशन्स के बारे में भी कोई तजकिरा नहीं है। दूसरे ऐक्ट जो मैंने देखे हैं उनमें इसका तजकिरा है।

दूसरी चीज है आफिशियल्स की। उत्तर प्रदेश में एक सेक्रेटरी होता है जो कि पंचायत का अफसर होता है और साथ ही साथ पटवारी भी गांव समाज के काम को सुपरवाइज करता है और जो रेवेन्यू वर्क है वह भी गांव पंचायत देखती है। उसके लिए पटवारी काम करता है। और एक सेक्रेटरी अलाहिदा रहता है। इस बिल में वाजेह तौर से नहीं बताया गया है कि कौन अफसर होगा और उसका क्या काम होगा। इसमें गांव समाज और गांव पंचायत की कोई परिभाषा नहीं की गयी है। रेवेन्यू का काम कैसे हो और दूसरे काम कैसे हों यह भी साफ तौर पर नहीं बताया गया है।

एक चीज मैंने पंजाब के ऐक्ट में और वेस्ट बंगाल के ऐक्ट में देखी है कि वहां पंचायतों को छोटे छोटे नौकरों का काम देखने का अधिकार दिया गया है, जैसे कि कैनाल के पतरोलों का। वह चीज भी इस बिल में नहीं है।

वैस्ट बंगाल के ऐक्ट में अंचल पंचायत को पुलिस का काम देखने का भी हक है। वह भी यहां नहीं दिया गया है।

इसमें जुरमाने का अधिकार सिर्फ सौ रुपया रखा गया है। मैं समझता हूं कि यह कम है। मुझ से कहा गया है कि दिल्ली के आसपास के जो गांव हैं वे काफी डेवेलप्ड हैं और उनमें पढ़े लिखे लोग रहते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि सौ रुपये का जुरमाना कम है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों को ५०० तक का जुरमाना करने का अधिकार दे दिया गया है। मैं चाहूंगा कि इस कानून में भी जुरमाने का हक बढ़ना चाहिए।

मैंने पंजाब और वैस्ट बंगाल के ऐक्टों में देखा है कि कुछ लोगों को छट का अधिकार दिया गया है। जो लोग लेबर कर सकते हैं और गरीब हैं, उनको टैक्स से मुस्तसना कर दिया गया है। यहां ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं है जो कि होना चाहिए।

साथ ही साथ जैसा कि उत्तर प्रदेश में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए प्रावीजन किया गया है कि जिस गांव की आबादी ५०० हो उसमें एक शिड्यूल्ड कास्ट वाले को सन् ६० तक के लिए रिजरवेशन दिया जाये। लेकिन यहां यह नहीं है।

श्री नवल प्रभाकर : है।

श्री मोहन स्वरूप : शायद मैंने पढ़ा न हो। औरतों के लिए भी कोई रिजरवेशन नहीं है। तो इसमें इस तरह की कमियां हैं। कुछ बातों की ओर वजाहत होनी चाहिए। और यह ऐक्ट ज्यादा जामा होना चाहिए था। जब तक यह कानून इस ढंग पर नहीं बनेगा तब तक गांवों को तरक्की नहीं हो सकती। मैं तो समझता हूं कि दिल्ली राज्य के लिये तो एक माडल ऐक्ट बनना चाहिए जिससे कि दूसरे राज्य उसकी नकल कर सकें और उसके मुताबिक अपने कानूनों में संशोधन कर सकें।

मैं सिलेक्ट कमेटी का समर्थन करता हूं। उस कमेटी के सामने इस पर अच्छी तरह से गौर होना चाहिए और दिल्ली के लिए एक नमूने का कानून बनना चाहिए।

श्री च० कृ० नायर : (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर काफी बहस हो चुकी है और सदन के बहुत ज्यादा सदस्यों का यह ख्याल है कि इस बिल को बहुत जल्द पास कर दिया जाये। मैं भी इसी ख्याल का हूं। लेकिन जमाना बहुत तेजी के साथ बदल रहा है और आज यह मांग है कि पंचायतराज बिल ऐसा बने कि जो सारे देश के लिये नमूना हो।

आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान का आईन (संविधान) सर्वोपरि बड़ा उत्तम है। उस के मुताबिक हम ने हिन्दुस्तान में एक सोशलिस्टक पार्लियामेंटरी डिमाक्रेसी कायम की है, और उस के साथ साथ हम ने पंच साला योजनायें भी बनाई हैं, अपने इकानमिक प्रोग्राम को बढ़ाने के लिये। लेकिन हमारी हुकूमत और हमारे नेताओं का यह ख्याल हुआ कि यह चीज असल में कामयाब तब होगी जब कि गांवों में पंचायतें कायम हों। इसी मकसद से प्लानिंग का एक बहुत हिस्सा कम्युनिटी डेवलपमेंट का भी रखा है जो कि दो तीन साल के अन्दर हिन्दुस्तान भर में फैलने वाला है जिस के मातहत कोई पांच हजार कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लाक्स बनने वाले हैं। लेकिन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लाक्स के लोग, खास कर उस के चेयरमैन वगैरह आफिशियल्स हैं और हम चाहते हैं कि ये सब काम केवल आफिशियल्स के हाथ में ही नहीं हों। और हम यह भी चाहते हैं कि तमाम ब्लाक्स का काम पंचायत समितियों के मारफत हो। एक एक ब्लाक के अन्दर एक एक गांव के सरपंचों की एक पंचायत समिति हो जो मिल कर ब्लाक डेवेलपमेंट के तमाम काम में सहयोग दें और कोआर्डिनेशन के साथ काम करें।

श्री रघुवीर सहाय जी ने जो सिलेक्ट कमेटी का मोशन पेश किया था उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं और मैं होम मिनिस्टर साहब से यह दरखास्त करूंगा कि वह इस को स्वीकार करें। इस वक्त खासकर जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। हमने इसी साल रबी केम्पेन का काम शुरू किया है सारे हिन्दुस्तान में, लेकिन ब्लाक अफसरों को कोई मदद देने वाला नहीं है। असली मदद तो उन लोगों को पंचायतों से मिल सकती है। इस लिए पंचायत को पूरा अधिकार मिलना चाहिए। अगर हमारी जम्हूरियत (लोकतंत्र) को कामयाब होना है तो हमें काम को विकेन्द्रीकरण करना होगा जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी आदर्श था। जब तक हम डिसेंट्रलाइजेशन करके गांव वालों के हाथ में पूरा अधिकार नहीं देंगे तब तक हम इस काम में कामयाब नहीं हो सकेंगे, चाहे वह प्लानिंग हो या कम्युनिटी डेवेलपमेंट हो या कोआपरेटिव का काम हो, या तालीम का काम हो। हम चाहते हैं कि पंचायत गांव की सर्वोपरि संस्था हो। वही तालीम का इन्तिजाम करे, वही सफाई का इंतिजाम करे, वही स्कूलों का भी इन्तिजाम करे। हमें इन सब चीजों का अधिकार पंचायत को देना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बिल में उस सब की गुंजाइश नहीं है। इस बारे में मैंने चन्द जिम्मेदार आदमियों से बात-चीत की है, तो उन्होंने कहा कि इस बिल को अब बहुत जल्दी पास होने दो और बाद में नया कानून लाया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि हम इस में देर क्यों करें। जैसा कि श्री ठाकुर दास भार्गव ने भी कहा है, पंचायत राज का सबजैक्ट बहुत बड़ा और मोस्ट इम्पार्टेंट है। इसलिये

अगर कमेटी में प्रधान मंत्री न हों, तो कम से कम होम मिनिस्टर तो हैं ही और उन के साथ ही डेवेलपमेंट के मिनिस्टर भी होने चाहियें क्योंकि उन के दिमाग में ब्लाक्स के काम को अच्छी तरह से चलाने के बहुत सुन्दर विचार हैं और योजनायें हैं। यहां पर बैठ कर हम हरिजन सुधार, पंचायत राज, कम्युनिटी डेवेलपमेंट और प्लानिंग वगैरह के बारे में बहुत से कानून बना सकते हैं— और हम बहुत से कानून बना भी चुके हैं। लेकिन उन में दी गई बातों को गांवों में घर घर में कौन पहुंचा सकता है। न तो हमारे मिनिस्टर ही पहुंचा सकते हैं और न ही प्रदेशों के मिनिस्टर और लैजिस्लेचर पहुंचा सकते हैं। उन को पंचायतों के मेम्बर ही पहुंचा सकते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि हर एक गांव में पंचायत का राज हो। उसी तरह हर एक गांव में को-आपरेटिव सोसाइटी हो। उस की मार्फत हमारी ऐग्रीकल्चरल प्राडक्शन बढ़ सकती है। गांवों में जितनी भी एग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट हो सकती है—चाहे वह मवेशी पालन हो, मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो या हैल्थ, ऐजूकेशन, वगैरह के काम हों—वह सब काम तो हम को-आपरेटिव की मारफत करा सकते हैं, लेकिन उस को कंट्रोल करने के लिये पंचायत होनी चाहिये। पंचायतें गांव गांव में हों और एक ब्लाक में जितनी भी पंचायतें हों, उन सब के सरपंचों की एक पंचायत समिति बनाई जाये, जो कि ब्लाक को पूरी तरह को-आपरेशन देती रहे, ताकि हम गांवों के सैंकड़ों किस्म के सवाल हल कर सकें। हम तो कानून बनाते हैं और कानून बना कर हमारी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है। आफिसर्स शासन चलाते हैं और उन की जिम्मेदारी भी खत्महो जाती है। अदालतें न्याय करती हैं और उस के साथ ही उन की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे ब्लाक डेवेलपमेंट आफिसर और हमारी पंचायतें इन तमाम कामों का समन्वय करती हैं—वे कानून बनाने वाले भी हैं, उस को चलाने वाले भी हैं और न्याय करने वाले भी हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पंचायतों को बढ़ाने का तसव्वुर बड़ा सुन्दर, गम्भीर और गहरा है। मैं इस बात के हक में हूं कि दिल्ली में बहुत जल्दी पंचायतें कायम की जायें, लेकिन हम को इस बात का भी ख्याल रखना है कि हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। सारे हिन्दुस्तान की भलाई और हिन्दुस्तान के आईन और हमारी पार्लियामेंट के आदेश की पूर्ति इन पंचायतों की मारफत होने वाली है। इसीलिये पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने की मांग की जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि रेल गाड़ियों और बसें जो इतना सामान ले कर आती जाती हैं, इतनी फैक्ट्रीज भी चल रही हैं, यह सब कैसे सम्भव हो सकता है। हम यहां पर बजट पर बहस करते हैं। उन सब का आधार गांव के डेवलपमेंट और गांव की पैदावार पर है। गांवों के लाखों करोड़ों लोगों के पसीने से हमारे देश की दौलत पैदा होती है। उस के वगैर हम न पांच-साला प्लान को पूरा कर सकेंगे और न कम्युनिटी डेवेलपमेंट की पूर्ति कर सकेंगे। इस बिल से मेरा विरोध भाव नहीं है। हमारा मकसद यह है कि हम एक ऐसा पंचायत राज कानून बनायें, जो कि बहुत सुन्दर और पूर्ण हो, जो कि सारे हिन्दुस्तान के लिये एक नमूना हो। इसीलिये मैं कह रहा था कि इस मौके से फायदा उठा कर इस बिल को सिलैक्ट कमेटी में भेजना चाहिय, जिस में हमारे वजीर और इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले दूसरे साहेबान भी हों और उन सब के सलाह मश्वरे से इस बिल को तैयार किया जाय। आज सारा हिन्दुस्तान इस के लिये तरस रहा है। शायद दो तीन साल में सारे हिन्दुस्तान में ब्लाक फैलने वाले हैं। उन पंचायतों के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। पार्लियामेंट के कानूनों को घर घर में पहुंचाने का काम पंचायतों का है। अगर हम तमाम जिम्मेदारी पंचायतों को दे दें, तो जो काम दस बीस साल में होना है, वह हम पांच साल में कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं श्री रघुवीर सहाय के मोशन का तहे-दिल से स्वागत करता हूं और सपोर्ट करता हूं और मैं होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि वह इस को मान लें, ताकि हम इस काम में तेजी के साथ आग बढ़ सकें।

†**श्री पु० रे० पटेल** (मेहसाना): हम सभी जानते हैं कि हमारी ग्राम पंचायतें भी हमारे लोकतन्त्र की नींव हैं और इसलिये हमें दिल्ली पंचायत राज विधेयक इस प्रकार का बनाना चाहिये जिस का अन्य राज्य अनुकरण कर सकें। मैं यह बताने के लिये कि यह विधेयक उस प्रकार का नहीं बनाया जा सका है दो तीन खण्डों को लेता हूं।

खण्ड २८ में आयुक्त को अतिक्रमण के अधिकार दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि यह उपबन्ध अनुचित है। यह अधिकार आयुक्त को दिये जा कर जिला न्यायाधीश को दिये जाने चाहियें क्योंकि लोकतन्त्र में ऐसे अधिकार न्यायपालिका को दिये जाते हैं। आयुक्त पहले जिला न्यायाधीश से यह आदेश ले ले कि चूंकि अमुक पंचायत ठीक काम नहीं कर रही है इसलिये इस के अधिकार ले लिये जायें। इस प्रकार की कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।

खण्ड १३ के द्वारा मूल अधिनियम की धारा ४९ का संशोधन किया गया है। इस में पंचायत के किसी सदस्य द्वारा अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से न करने पर उस को पदच्युत करने का अधिकार निर्धारित प्राधिकारी को दिया गया है। दूसरे शब्दों में प्राधिकारी को तानाशाही के अधिकारों से अभिभूषित किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि किसी सदस्य को हटाने से पूर्व उस के हटाने के बारे में न्यायपालिका से आदेश लेना चाहिये, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे मामलों की जानकारी है जिन में काल्पनिक कारणों पर ही सदस्य को पदच्युत कर दिया गया।

धारा ४९ के खण्ड (१) (ङ) में यह दिया है कि निर्धारित प्राधिकारी किसी व्यक्ति को लोकहित में भी हटा सकता है। यह बड़ी ही अजीब सी बात है कि पंचायत राज के शासकों को ही कोई प्राधिकारी अपनी इच्छा से निकाल बाहर करे। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसा पंचायत राज है। इन सब उपबन्धों पर ठीक प्रकार से विचार होना चाहिये, इसलिये माननीय मंत्री से मेरा नम्र निवेदन है कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव से सहमत हो जायें।

मझे प्रसन्नता है कि पंचायत अदालतों को कुछ अधिकार दिये जा रहे हैं, और मुझे पूरी आशा है कि न्यायालयों की तुलना में इन पंचायतों में शीघ्र तथा ठीक न्याय होगा। परन्तु पंचायत के फैसलों के पुनरीक्षण का अधिकार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को दिये गये हैं। मैं नहीं समझता माननीय मंत्री यह अधिकार न्यायपालिका को देने से क्यों डरते हैं। मैं तो समझता हूं कि ऐसा करने का केवल यही कारण है कि न्यायपालिका द्वारा किये गये फैसले हमारे मन के अनुसार नहीं होते हैं। परन्तु हमें लोकतन्त्र में मनमानी करने को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। लोकतन्त्रीय पद्धति के फलने फूलने के लिये यह आवश्यक है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका पर प्रभुत्व न हो जाये।

†**श्री दो० चं० शर्मा**: (गुरदासपुर): मैं न तो इस विधेयक का समर्थन करता हूं और न ही श्री रघुवीर सहाय की बातों से सहमत हूं कि इस को संयुक्त समिति को सौंपा जाये, क्योंकि संयुक्त समिति में हम विधेयक में सुधार तो कर सकते हैं किन्तु एक आदर्श विधेयक नहीं बना सकते हैं। इसलिये मेरा मत है कि इस विधेयक को अन्तरिम विधेयक के रूप में पारित कर के तीन, चार महीनों में एक विस्तृत विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया जाये।

मेरा निवेदन है कि इस विधेयक में गांव सभाओं, गांव पंचायतों, तथा सर्किल पंचायतों के कार्यों की परिभाषा नहीं की गई है। हमें बताया जाता है कि इन संस्थाओं के द्वारा गांव वासियों को हम स्वायत्त शासन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। परन्तु इस प्रशिक्षण की एक अवधि होनी चाहिये। अब उन्हें प्रशिक्षण लेते पर्याप्त वर्ष बीत चुके हैं परन्तु अभी तक कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब सर्किल पंचायतों को लीजिए। गांव वालों पर यह बड़ा भार सा डाल दिया गया है। एक गांव की आवश्यकताओं को दूसरा गांव किस प्रकार समझेगा। दोनों की आवश्यकताओं में निश्चित रूप से अन्तर होगा। कई जातियां रहती होंगी। और इस प्रकार सर्किल पंचायत बना कर हम खिचडी बना देंगे जो किसी ठीक काम आने योग्य नहीं होगी। मेरे विचार से सर्किल पंचायतों का प्रयोग बड़ा असफल प्रयोग रहा है और मैं नहीं चाहता कि दिल्ली के गांवों में सर्कल पंचायतों को जनता पर लादा जाये।

मुझे बड़ी प्रसन्नता होती यदि पंचायती अदालतों को और अधिकार दे दिये जाते। श्री रघुबीर सहाय ने ठीक ही कहा है कि हमारे देश की दस प्रतिशत पंचायतें भी सुचारू रूप से काम नहीं कर रही हैं। यह बड़ी खेदजनक स्थिति है और मुझे इसकी कोई आशा नहीं कि इस विधेयक से स्थिति सुधर जायेगी।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : यह तो ठीक है कि इन पंचायती अदालतों को कुछ अधिकार देकर शुरूआत करनी है किन्तु देखना यह है कि ये अधिकार किस अंश तक दिये जायें। प्रत्येक राज्य के सामने समस्या यह है कि बहुत से छोटे छोटे फौजदारी के मामलों को किस प्रकार जल्दी से जल्दी तथा कम से कम खर्च पर निपटाया जाये। इसलिये आवश्यकता इस बात की है इन अदालतों को कुछ अधिकार दिये जायें। अन्यथा किसी भी राज्य को उसके यहां होने वाले झगड़ों का निपटारा करना एक प्रकार से असम्भव हो जायेगा। अतः मेरा विचार है कि जहां इन अदालतों को कुछ फ़ौजदारी अधिकार दिये जाने वाले हैं वहां इस विधेयक में से कुछ धाराओं को जिनका सम्बन्ध प्रमादपूर्ण कार्य जैसे जीवन के लिये घातक रोगों आदि का फैलाना आदि से है, निकाल दिये जायें। जैसे कि पानी संभरण करने के सार्वजनिक क्षेत्र जलाशय आदि का पानी दूषित करने तथा जान बूझ कर हथियारों से किसी को आघात पहुंचाना आदि बहुत ही गम्भीर अपराध हैं और यदि इन अपराधों का निपटारा इन अदालती पंचायतों को दे दिया गया, तो हो सकता है इनके अपराधी या तो बिल्कुल ही बच जायें अथवा उन्हें थोड़ा ही दण्ड मिले। हमारा अनुभव यह है कि ये पंचायती अदालतें अथवा ग्राम पंचायतें आदि न्यायिक मामलों के निर्णय करने में काफी स्वतन्त्र नहीं हैं। यह ठीक है कि विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि यदि अदालत यह ठीक समझती है कि किसी अपराध का निर्णय उपयुक्त रूप से नहीं हो सकता तो उसे वह नियमित अदालत को भेज सकती है किन्तु यह काफी नहीं है क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति, गम्भीर अपराधों के मामलों में, अपना प्रभाव डाल कर मामले को निपटाने का प्रयत्न करेंगे।

इसलिये मेरा विचार है कि धाराएं जैसे कि ३५२, ३५६ और ३५७ जिनका सम्बन्ध अपमान अतिक्रमण के छोटे छोटे मामले आदि से हैं इन अदालतों को परीक्षण के लिये दिये जा सकते हैं और शेष धाराओं को इस विधेयक में से निकाल दिया जाये। इसलिये अन्त में मैं इस बात से सहमत हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : इस विधेयक का अध्ययन करने के पश्चात् मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि गांवों में पंचायत राज की स्थापना करने का अभिप्राय वहां गुंडा राज्य की स्थापना करना है। गांवों में जातिवाद का अभी तक जोर है। अतः मैं तो माननीय मन्त्री महोदय को यही सुझाव दूंगा कि अभी कुछ समय तक गांव पंचायतों को प्रशासकीय तथा इस प्रकार के अधिकार न देकर उन्हें समाज सुधार, गांवों की सफाई आदि करने के अधिकार देकर ही काम करने दें। मुझे तो यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि जब बड़े बड़े शहरों के, जहां कि सभी देशों के लोग रहते हैं निकाय सफलतापूर्वक प्रशासकीय एवं न्यायिक कार्य नहीं कर सकते हैं तो यह आशा कैसे की जा सकती है कि ये छोटे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खाण्डिलकर]

छोटे गांव किस प्रकार अपने अधिकारों का सही सही उपयोग कर सकेंगे। गांवों में प्राय: न्याय जाति के प्रभाव, व्यक्तियों के प्रभाव आदि के आधार पर किया जाता है यहां तक कि कभी शराब आदि का प्रभाव भी न्याय के मामले में अपना प्रभाव रखते हैं।

अत: मैं तो यही कहूंगा कि इस उपबन्ध को वापिस ले लिया जाये। और किसी भी ग्राम पंचायत को न्यायिक अधिकार न दिये जायें। अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय विधेयक के संशोधन वाले भाग को वापिस ले लें और इन पंचायतों को समाज सेवा अभिकरणों के रूप में काम करने दें तथा इस प्रकार का अनुभव प्राप्त करने दें।

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो चार बातें कहनी हैं। हम ग्रामीण जीवन का अनुभव किये बिना यहां गांवों के लिये कानून बनाते हैं। इस कारण बड़ी बड़ी परेशानियां पैदा हो जाती हैं।

उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतें हैं। लेकिन हालत यह है कि गुंडा ऐलीमेंट चुनाव में आ जाता है वे लोग लाठी के बल पर आ जाते हैं। आग लगा देने की धमकी से चुनाव जीत जाते हैं और सरपंच बन जाते हैं। मैं आपके सामने एक गांव की पंचायत का हाल रखना चाहता हूं। जरिया ग्राम की न्याय पंचायत में एक आदमी के खिलाफ सरपंच ने फैसला दिया। उसके दल वालों ने सरपंच को उसकी कुर्सी से उठा लिया और उसके पैर एक रस्सी से बांधे और बैलगाड़ी में बांध कर उसे दौड़ाते हुए नदी के किनारे ले गये और सरपंच लुढ़कता हुआ चला गया,और नदी पर जाकर उसके टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिये गये। अगर आज सुप्रीम कोर्ट के या हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश की यह हालत हुई होती तो सारे हिन्दुस्तान के अखबारों में तहलका मच जाता। लेकिन आपको इस घटना की खबर तक नहीं पहुंची। गांव पंचायतों के पास कोई पुलिस नहीं है, उनके पास किसी किस्म की सहायता नहीं है और जब वह न्याय करने बैठते हैं तो उनके पास न्याय का ज्ञान नहीं होता, वह क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड या पीनल कोड को नहीं जानते। जब तक कि आप उनके लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखते तब तक वह इस काम को कर सकेंगे इसमें मुझे शंका है। लेकिन यदि आप यह अधिकार देते ही हैं तो जब तक आप उनको किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो इस कानून से कोई फायदा नहीं होगा। जैसा मेरे मित्र ने कहा यह पंचायत राज्य न होकर गुंडा राज्य स्थापित हो जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि उनके सिद्धान्त और आदर्श तो अच्छे हैं लेकिन उनको व्यावहारिक रूप देने में जिन चीजों की आवश्यकता है अगर वह उनको नहीं करते तो कामयाबी नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि मन्त्री महोदय इस पहलू पर भी विचार कर लें।

श्री पहाडिया (सवाई माधापुर रक्षित अनुसूचित जातियां): उपाध्यक्ष महोदय, अभी हम दिल्ली पंचायत राज्य विधेयक के बारे में विचार कर रहे हैं। साथ ही दूसरा विचार यह भी है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये। मैं नहीं समझ पाता कि किस विचार का समर्थन करूं।

जिस विधेयक पर हम विचार कर रहे हैं वह पूर्ण नहीं मालूम होता। दिल्ली में जो बात होती है उसका असर हिन्दुस्तान के सारे राज्यों पर पड़ता है। यहां पर हम जो पंचायत राज्य एक्ट बनायेंगे दूसरे राज्य उसकी नकल करेंगे। हम गांवों में पंचायतों को विकास का काम देने जा रहे हैं, और न्याय का और बहुत सा काम देने जा रहे हैं। तो क्या यह उचित होगा कि जो विधेयक विकास के विचार के पहले बना था उसको यहां पास किया जाये। न ही यह उचित है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये। क्योंकि इसमें जो विकास का विचार है वह नहीं आ सकेगा। मैं नहीं

जानता कि इसको वापस लने का प्रोविजन है या नहीं। पर मेरे विचार से तो इसे वापस ले लेना चाहिए और दूसरा आदर्श बिल लाना चाहिए, चाहे आप उसका कुछ भी नाम रखें, और वह सारे हिन्दुस्तान के लिए हो। यद्यपि संविधान के अनुसार इसको गृहमंत्री ही पेश करेंगे पर होना तो यह चाहिए कि इसको विकास मंत्री पेश करें और उस विधेयक में पंचायत को न्याय का एग्जीक्यूटिव का और पुलिस का काम न दिया जाये, क्योंकि अगर पंचायतें न्याय और शासन करेंगी तो विकास का काम जो हम उनको देने जा रहे हैं उसको नहीं कर सकेंगी, उस हालत में वे सफाई स्वास्थ्य आदि तरक्की के कामों पर ध्यान नहीं दे सकेंगी। मैं चाहता हूं कि आल इंडिया बेसिस पर यहां यह कानून बनना चाहिए वह न केवल दिल्ली के लिए हो बल्कि सारे देश के लिए हो।

मेरे पास समय कम है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस पर कुछ और भी प्रकाश डाल सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो वक्त मुकर्रर किया है उसकी पाबन्दी होनी चाहिए। आप कुछ और कह लीजिये।

श्री पहाडिया : चूंकि यह विधेयक हमारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत है, हमें यह विचार करना है कि जो धारायें हम संशोधित करने जा रहे हैं वह कहां तक ठीक हैं।

अभी हैदराबाद में पट्टन चैरू जगह पर पार्लियामेंट के मेम्बरों ने एक कैम्प किया। उसमें हमने विकास पंचायत, कोआपरेटिव सोसाइटीज़, और शिक्षा पर भी विचार किया। जब हम वहां विचार कर रहे थे तो जब हम विकास पंचायत पर जाते थे तो ऐसा लगता था कि अगर हमें कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को सफल बनाना है तो पंचायत की मदद लेनी होगी, अगर हमें गांवों में स्कूल जारी करने हैं तो भी हमको पंचायत की मदद लेनी पड़ेगी। अब पंचायतों में अफसर नहीं होंगे। पंचायतों में गांव का चने हुए नुमायन्दे होंगे और वही सारा शासन करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिन पंचायत के मेम्बरों को हम गांव की सारी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, जिनको हम अपने स्थानीय विकास का काम, स्थानीय प्रशासन का काम और स्थानीय न्याय का दायित्व देने जा रहे हैं क्या उनके लिए हमने कोई काबलियत का स्तर भी रखा है। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो जो कानून हम बनायेंगे वे किताब में ही रह जायेगा। क्योंकि उस कानून का मंशा वह मेम्बर नहीं समझ पायेंगे। अगर सम्भव हो सके तो इन मेम्बरों के लिए शिक्षा की कुछ क्वालीफिकेशन रखनी चाहिए जिससे कि उनको मालूम हो सके कि उनके लिए क्या कानून बनाया गया है और उनको क्या करना है।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर) : उपाध्यक्ष जी, यह एक रिवाज सा हो गया है कि हम सारा दोष गांव वालों पर डालने के लिये तैयार हो जाते हैं, हम लोगों को अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि हम लोग लीगलाइज्ड वे से किस तरह से काम करें और कहां कहां करें। जैसा हमारे भाई पंडित ठाकुर दास जी ने कहा कि यह जो अभी पंचायतें चल रही हैं वह चलती रहें। परन्तु यदि हम कोई भी अमेंडमेंट लाकर ऐसा पंचायत राज बिल बनाना चाहते हैं जिसमें कि गांव वालों को अपने काम करने की स्वाधीनता मिले और वे काम कर सकें, तो इसके लिये यह एक बड़ा अच्छा मौका है। एक बिल हमारे सामने यहां दिल्ली में आया हुआ है और पार्लियामेंट को अधिकार है कि उस बिल को सांगोपांग रूप से बनावे जो कि दूसरे राज्यों के लिये भी अनुकरणीय हो। हमारे भाई शर्मा जी जो कि बहुत कानूनी हैं कहते हैं कि यह तो स्टेट लेजिस्लेचर का काम है। परन्तु मैंने इनको कहा कि यह स्टेट का काम है, यह बात तो ठीक है, परन्तु हम यह चाहते हैं, जैसा कि मेरे भाई श्री रघुवीर सहाय ने कहा है.....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने आप को इजाजत दे दी है कि उन की राय पार्लियामेंट में बता दी जाये ?

श्री झुनझुन वाला : उन्होंने कहा कि हमें तो बोलने के लिये समय नहीं मिलेगा, मेरी राय आप बता दें। किन्तु मैं उन का विरोध करता हूं और मैं श्री रघुवीर सहाय का अनुमोदन करता हूं। अगर हम चाहते हैं कि गांव वालों को वास्तव में लाभ हो, तो हमें अच्छी तरह से विचार कर के पंचायत राज बिल बनाना चाहिये। यह नहीं करना चाहिये कि एक ही हफ्ते में इस काम को कर दिया जाये। अगले सेशन तक अच्छी तरह सोच-विचार कर के इस प्रकार का बिल लाया जाय, ताकि गांव वालों को वास्तव में लाभ हो। श्री खाडिलकर कहते हैं कि वे लोग गुण्डे, बदमाश और चोर हैं। उन्होंने सब तरह के एडजेक्टिव उन के लिये इस्तेमाल कर डाले हैं। हमें भी गांवों में जाने का मौका मिला है। मैं कह सकता हूं —जैसा कि श्री भार्गव ने भी कहा है—कि वे जो कुछ भी काम करते हैं, उस के लिये हमारी पोलीटिकल पार्टीज रेस्पांसीबल हैं। वे लोग आपस में लड़ते हैं, यह सब ठीक है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राज्यों में मिनिस्टर और चीफ़ मिनिस्टर भी पदों के लिये लड़ते हैं और उन में मत-भेद चलते हैं और वे मत-भेद गांवों तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि श्री रघुवीर सहाय ने सुझाव दिया है और पंडित ठाकुर दास भार्गव ने भी कहा है, इस प्रकार की पंचायतें बनाई जानी चाहिये, जो कि पोलीटिकल पार्टीज़ से एक दम अलग रहें और गवर्नमेंट के ऊपर के आफ़िशियल्ज़ से भी उन का कोई सम्बन्ध न रहे। इस प्रकार टुकड़े टुकड़े कर के बिल लाने से गांव वालों को फायदा होने के बजाय नुकसान होने की अधिक सम्भावना है और जितनी बुराइयां हम लोगों में हैं, वे सब बुराइयां नीचे भी खूब ज़ोर से जड़ पकड़ लेंगी। उन पंचायतों को गांवों की आर्थिक उन्नति की योजनायें बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिये और दूसरी पावर्ज़ भी उन को दी जायें। यह ठीक है कि आरम्भ में वे लोग गलतियां करेंगे, लेकिन कुछ गलतियां कर के ही सुधार होगा। अगर हम इस प्रकार का कोई बिल नहीं लायेंगे, तो जितनी बुराइयां यहां पर हैं, वे सब गांवों में भी प्रवेश करेंगी और उन लोगों का बहुत नुकसान होगा।

श्री अजित सिंह (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : जनाब सभापति जी, मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे भी टाइम दिया है। श्री रघुवीर सहाय ने जो अमेंडमेंट रखा है, मैं उस को सपोर्ट करता हूं और चाहता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय और खूब सोच-विचार के बाद अगले सेशन तक इस बिल को लाया जाय।

श्री खाडिलकर और श्री द्विवेदी ने पंचायतों की बहुत सी कमियों का ज़िक्र किया है और कई मिसालें भी दी हैं। पंजाब में भी इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम सारे हिन्दुस्तान में कहते आ रहे हैं कि हम ने यहां पर पंचायत राज कायम करना है और हम ने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाना है। इसलिये चाहे मक्खी ही क्यों न हो, हम को निगलनी ही पड़ेगी। इस सिलसिले में तजुर्बा करने के लिये यह पंचायत राज बिल लाया गया है। यह एक रौशन मीनार का काम देगा और जो तजुर्बा किया जा रहा है, उससे हम नतीजा निकालेंगे कि क्या सारे हिन्दुस्तान में पंचायत राज कायम करना ज़रूरी है या नहीं।

इस बिल के स्टेटमेंट आफ़ आबजेक्टस एण्ड रीजन्स में बताया गया है कि पंचायत को सौ रुपया जुर्माना करने का हक होगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह रकम बहुत ज्यादा है। सब जानते हैं कि गांवों में गुटबन्दी होती है। कोई भी घर पोलीटिकल आइडियालोजी से अलग नहीं है। हर एक आदमी किसी न किसी पोलीटिकल पार्टी से मिला जुला होता है। इसी तरह पंचायतें भी पोलीटिकल पार्टीज़ का शिकार हैं। अगर हम उन को सौ रुपया जुर्माना करने की इजाज़त देते हैं, तो वहां बड़ी आपा-धापी होगी। वे चाहे जिस को जुर्माना करते रहेंगे। मैं यह पूछने की इजाज़त चाहूंगा कि क्या हमारे गांवों में ऐसे लोग हैं, जो सौ रुपया देने की हिम्मत रखते हैं। आज-कल के ज़माने में इतनी महंगाई है, खाना खाने को नहीं मिलता है। शहर में भी ऐसे लोग कम होंगे, जो कि सौ रुपया जुर्माना दे सकते हैं, तो फिर गांवों में ऐसे आदमी कहां होंगे। अगर कोई जुर्माना रखना है, तो वह दस रुपये तक रख दिया जाये। उस से ज्यादा रखना ठीक नहीं है।

मैं इस सुझाव को भी सपोर्ट करता हूं कि सरपंचों और मेम्बर्ज़ की कुछ न कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन्ज़ रखी जायें । अगर न रखी जायेंगी, तो वे लोग आपा-धापी कर सकते हैं । उन लोगों में अख़लाक़ बहुत कम है । इस लिये वे दूसरों पर कीचड़ उछालना और तरह तरह की नाजायज़ बातें करना जानते हैं । वहां शराब का भी इस्तेमाल होता है और नाजायज़ तौर पर बेगार भी ली जाती है । गांवों में कास्टिज्म भी मौजूद है । जिस आदमी की मदद करनी होती है, उस से दस पन्द्रह दिन काम करा लिया जाता है । दूसरा आदमी चाहे कितना अच्छा हो, लेकिन उस के खिलाफ़ तरह तरह की चर्चा की जाती है और उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाये जाते हैं । इस लिये यह ज़रूरी है कि उन लोगों के लिये एजूकेशन का कोई स्टैंडर्ड हो ।

पंचायतों में हरिजनों को पूरी नुमायंदगी मिलनी चाहिये । आज-कल हरिजनों को नुमायंदगी नहीं दी जाती है । आंध्र में एक बिल आ रहा है, जिस में को-आप्शन रखी गई है । जहां कहीं भी इलैक्शन के ज़रिये हरिजनों को नुमायंदगी न मिले, वहां को-आप्शन होना निहायत लाज़िमी है ।

हम ने पंचायतों को बहुत ज्यादा पावर्ज़ देने की सोच रखी है । मेरे दिमाग़ में यह उलझन आती है कि अगर हम इन पंचायतों को बहुत ज्यादा पावर्ज़ देंगे, तो फिर थाने और थानेदार किस लिये हैं । पंचायत वाले तो अपनी मरज़ी से किसी को निकम्मा और किसी को अच्छा ठहराते हैं । अगर पंचायतों को इतनी पावर्ज़ देनी हैं, तो क्या पुलिस सेवा समिति बन कर रह जायगी, या उस का भी कोई फंक्शन होगा ?

श्री यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में आज जो पंचायत राज विधेयक प्रस्तुत है, उस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक सही मायने में पंचायत राज कायम करने का सम्बन्ध है, वह विधेयक अपूर्ण है । ९ तारीख को राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक निर्देशन था कि अब सरकार गांव पंचायतों को अधिक से अधिक अख्तियारात देगी और पंचायतें ही सही मायने में नये जनतंत्र की स्थापना कर सकेंगी और उन के द्वारा ही हमारा नियोजन का काम किया जायगा । परन्तु जब हम इस विधेयक को देखते हैं तो पाते हैं कि जिस तरह से अपूर्ण कानून उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में हैं, उन की ही नकल यहां की जा रही है । इस विधेयक में और उत्तर प्रदेश के पंचायत राज कानून में कोई विशेष अन्तर नहीं है । यह जो विधेयक प्रस्तुत है, उस में केवल न्याय अदालतों की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है । जहां तक पंचायत के दूसरे अंगों का प्रश्न है, उस तरफ़ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है । १९५४ के पंचायत राज एक्ट में जब हम ग्रामराज के तत्व को खोजते हैं, तो हम उस में कुछ भी नहीं पाते हैं । बल्कि हम पाते हैं कि इस सारे विधेयक की अगर एक धुरी है, तो वह है 'प्रैस्क्राइब्ड अथारिटी" । प्रैसक्राइब्ड आथोरिटी कौन है ? प्रैसक्राइब्ड आथोरिटी चीफ कमिश्नर है, कौलेक्टर है और वे सब सरकारी नौकर हैं जो कि उनके मातहत हैं गोया यह जो पंचायत राज एक्ट है, ये जो ग्राम सभायें हैं, ये जो न्याय अदालतें हैं वे सब चीफ़ कमिश्नर की धूरी पर घूमेंगी और उसी के मातहत रहेंगी । उनको कोई अधिकार नहीं मिल रहे हैं । अगर हम चाहते हैं कि ग्राम स्वावलम्बी बनें और सही मानों में बनें तो हमको ग्राम सभाओं को और अधिकार देने होंगे और इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि ग्राम सभाओं के जो सदस्य चुने जायेंगे वे कैसे चुने जायेंगे, उनके चुनाव का क्या ढंग होगा ?

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि वहां पर कुछ गलत लोग चुन कर चले जाते हैं और एक तरह से गुंडा राज वहां कायम हो जाता है । इसकी जिम्मेवारी किस पर है ? पंचायत राज्य को हम दोष नहीं दे सकते हैं । जहां तक पंचायत राज कायम करने का प्रश्न है, इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं कि यह कायम होना चाहिये । कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर उसको अच्छ

[श्री यादव]

ढंग से नहीं किया जायगा तो उसका नतीजा अच्छा निकलने की आशा नहीं की जा सकती है और उसकी जो आत्मा है वह मर जाती है और दूसरे ढंग की ही चीज़ हमारे सामने आती है। इस वास्ते सब से पहले मैं समझता हूं हमको चुनाव की पद्धति की ओर ध्यान देना होगा। आज चुनाव किस तरह से होते हैं ? आज चुनाव हाथ उठा कर होते हैं। गांवों में ज्यादातर गरीब लोग और हरिजन लोग रहते हैं। हरिजनों के प्रतिनिधित्व की बात भी आज की जाती है। परन्तु यदि आज उसी तरह से जिस तरह से पार्लियामेंट और असेम्बली के लिये चुनाव होते हैं और गुप्त ढंग से होते हैं, उसी तरह से वहां भी हों तो काफी अच्छे नतीजे निकलने की आशा की जा सकती है। इससे शायद हरिजनों को विशेष स्थान देने की ज़रूरत भी महसूस न हो और न ही गलत ढंग से लोग चुन कर आयें। इससे वही लोग चुन कर आने की आशा कर सकते हैं जो सार्वजनकि सेवा में विश्वास करते हैं। जन-सेवी हैं और जिन पर लोगों का विश्वास होगा और जिन के बारे में यह भी पता होगा कि ये ईमानदारी के साथ काम करेंगे। इस तरीक़े से ऐसे ही लोग ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों में चुन कर आ सकेंगे। परन्तु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस ओर न सरकार का और न ही अधिक माननीय सदस्यों का ध्यान गया है। इन लाइंस पर इस बिल में तरमीम किया जाना मेरे विचार में, श्रीमन्, आवश्यक था।

जहां तक ग्राम पंचायतों का प्रश्न है अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जो वहां का दारोगा होता है उस पर पंचायत के लोगों की जीवन रक्षा का दायित्व होता है। आज मैं देख रहा हूं कि जन-प्रतिनिधियों के बीच एक ओर और दूसरी ओर राज-कर्मचारियों के अधिकारों के लिये रस्साकशी चल रही है। राज-कर्मचारी यह नहीं चाहते हैं कि जन-प्रतिनिधियों के हाथ में अधिक अधिकार जायें, ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार मिलें। जहां जहां भी ग्राम पंचायतें कायम होती हैं वहां वहां उनके प्रधान अवश्य होते हैं। उनको कोई अधिकार दिये जाते हैं और न ही वे अपने को सुरक्षित अनुभव करते हैं। उनके अधीन वहां के छोटे छोटे कर्मचारी भी नहीं होते हैं। ग्राम सभाओं से सम्बन्धित जो अधिकारी होते हैं वे चौकीदार, लेखपाल या पटवारी और पंचायत का सेक्रेटरी होते हैं। इन तीनों अधिकारियों के ऊपर न ग्राम पंचायत का सामूहिक रूप से और न अकेले प्रधान का ही कोई अधिकार होता है। अगर ग्राम पंचायत या उसका प्रधान यह चाहे कि सेक्रेटरी की ट्रांसफर हो जाये तो यह भी नहीं होता है। उसकी शिकायत पर तबादला नहीं किया जा सकता है। अगर वह चाहे कि चौकीदार को हटा दे तो वह उसे भी नहीं हटा सकता है। इस वास्ते जब तक इन तीनों अधिकारियों को ग्राम सभा के मातहत नहीं किया जाता, जब तक ग्राम सभाओं को और कुछ अधिकार और अधिक आर्थिक सहायता, सरकारी सहायता उन टैक्सों में से जो वहां पर एकत्र किये जाते हैं, नहीं दी जाती या उनका एक अच्छा खासा हिस्सा नहीं दिया जाता तब तक मैं समझता हूं पंचायतों को कायम करने का कोई अर्थ नहीं है।

यदि आप सही मानों में पंचायतों के हामी हैं, सही मानों में चाहते हैं कि ग्राम पंचायतें अच्छी तरह से अपना काम करें और उनके ज़रिये देश की तरक्की हो, देश का निर्माण हो, तो उन्हें आपको और अधिक अधिकार देने होंगे। साथ ही साथ नियोजन जो आज आप ऊपर से चलाते हैं उसको नीचे ग्राम पंचायतों के ज़रिये आपको चलाना होगा। साथ ही साथ नौकरशाही के हाथों से अधिकारों को छीन करके ग्राम पंचायतों को आपको देने होंगे।

अब मैं धारा ४४ के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इसके अन्तर्गत प्रेसक्राइब्ड आथोरिटी को यह अधिकार दिया गया है कि धारा १०९ और ११० के अन्तर्गत दंडित व्यक्तियों को ग्राम सभा के सदस्य बनने से रोक सके। उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं है एक दूसरी धारा के मुताबिक।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर कानून के बहुत से विशेषज्ञ बैठे हुए हैं और माननीय मंत्री महोदय स्वयं प्रेक्टिस भी कर चुके हैं और उनको मालूम होगा कि धारायें १०९ और ११० ज़ाब्दा फौजदारी जो हैं वे किसी सबस्टेंटिव आफेंस के मातहत किसी को सज़ा नहीं दिलवा सकती हैं। ये केवल आंख मिचौली की धारायें हैं और इनके बारे में मैं यह भी कह सकता हूं कि ये संविधान के प्रतिकूल पड़ती हैं। आप जानते ही हैं कि इन धाराओं के मातहत जब पुलिस मोमबत्ती या दियासलाई या एक बीड़ी का बंडल मिनिस्टर को दिखा देते हैं तो अभियुक्त को एक साल की सज़ा सुना दी जाती है। इस तरह की आंख मिचौली लोगों के साथ नहीं होनी चाहिये। १०९ और ११० के अन्तर्गत सज़ा पाये हुए लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित करना या उनके सदस्य चुने जाने पर रोक लगाना ठीक नहीं है। इस पर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जो यह टेंडेंसी चल रही है कि सरकारी अधिकारियों के हाथ और ज्यादा मज़बूत किये जायें, इसको रोका जाना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पंचायतों को दिये जाने चाहियें।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्री रघुवीर सहाय ने इस सम्बन्ध में अपने कारण प्रस्तुत किये हैं। यह पंचायतों का मामला गत तीन चार वर्ष से चल रहा है। बलवन्त राय मेहता समिति ने भी इस पर सविस्तर विचार कर सिफारिशें प्रस्तुत की हैं और कई एक राज्य सरकारों ने उन सिफारिशों पर विचार करके विधान प्रस्तुत किये हैं। मेरे विचार में इस प्रकार के अपूर्ण विधान से कुछ लाभ नहीं पहुंच सकता और विधान के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता। यहां कहा गया है कि पंचायतों को छोटे-छोटे फौजदारी मामलों के निर्णय करने के भी अधिकार दिये जाने चाहिए। लेकिन साथ ही खंड १६ द्वारा जो मूल विधेयक में संशोधन किया जा रहा है, उसमें यह भी कहा है कि जिन लोगों को किसी जुर्म में तीन वर्ष की कैद हो चुकी होगी, अथवा जिन पर पंचायती अदालत द्वारा चोरी के आरोप में जुर्माना हो चुका होगा या जो लोग जुए के क़ानून के अन्तर्गत पहले सज़ा पा चुके होंगे, उनके मामलों की सुनवाई पंचायत अदालत नहीं करेगी। यहां यह व्यवस्था की जा रही है कि पंचायत अदालतें कुछ छोटे-छोट मुक़दमे लिया करेंगी। जब आप इन्हें अधिकार दे ही रहे हैं तो फिर इन प्रतिबन्धों को क्यों लगाया जा रहा है कि अमुक व्यक्ति सज़ा काट चुका है या नहीं। आखिर पंचायत अदालतें छोटे-छोटे मामले ही तो लेंगी।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, उसका सम्बन्ध खंड १८ से है, जिसके द्वारा मूल अधिनियम में धारा ८३ के पश्चात धारा ८३(क) जोड़ी जा रही है। इस उपबन्ध के द्वारा मुख्य आयुक्त किसी पंचायती अदालत को भंग कर सकता है यानी उसके सारे अधिकार छीन सकता है। मेरे विचार में इन दोनों बातों से इस संशोधन का लक्ष्य पूरा नहीं होता। अतः मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह शीघ्रता न करके सारे सदन की राय जानने का प्रयत्न करें। यदि इस विधेयक को प्रवर समिति के सपुर्द किया गया तो इससे काफी लाभ होगा और राज्यों में भी जो पंचायतें कुछ अधिकारों का प्रयोग कर रही हैं उनका भी पथ-प्रदर्शन हो सकेगा। शीघ्रता करने से पंचायतों और सहकारिता के उद्देश्य को हानि ही होगी। अतः मैं शीघ्रता न करने पर जोर देता हुआ श्री रघुवीर सहाय के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: इस विधेयक पर चर्चा काफी दिलचस्प रही, विशेषतः चर्चा के अन्त में काफी गरमागरमी हो गई जब कि दो माननीय सदस्यों, जिनमें से

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

एक इस पक्ष और एक विरोधी पक्ष के थे, यह कहा कि यदि पंचायत को न्याय सम्बन्धी शक्तियां प्रदान की जायेंगी तो वह एक गुंडा राज्य हो जायेगा । वस्तुतः मुझे पहिले से ही आशा थी कि इस प्रकार की आलोचना होगी और मैं, न केवल इसी प्रकार की आलोचना का अपितु दूसरी आलोचनाओं का भी उत्तर देने को तैयार हूं ।

पंचायत राज्य अधिनियम वस्तुतः दिल्ली प्रशासन द्वारा बनाया गया था । तत्पश्चात् इसे तत्कालीन दिल्ली विधान सभा ने स्वीकार किया । यह बात १९५४ की है । उस समय कई अन्य राज्यों ने भी इस प्रकार के अधिनियम बनाये और उनको लागू किया था । उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश में १९४७ के तत्काल पश्चात् निम्नतम स्तर पर स्वायत्त शासन प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया और तत्सम्बन्धी अधिनियम पारित कर लागू कर दिया गया । न्याय सम्बन्धी तथा अदालती कार्य की दृष्टि से भी यह अधिनियम नितांत सफल रहा है ।

अभी कुछ दिनों पूर्व जब कि म बिहार राज्य में था तो मैंने अधिकारियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठकों में पंचायतों तथा विशेषतः अदालती पंचायतों के सम्बन्ध में काफी जांच पड़ताल की थी । मुझे अधिकारियों तथा गैर सरकारी व्यक्तियों के मुंह से यह सुन कर प्रसन्नता हुई कि सामान्य रूप से पंचायतें संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं ।

हमें इस सम्बन्ध में दो बातें ध्यान में रखनी चाहियें । पहिली तो यह कि चाहे हमें कितने ही खतरे उठाने पड़ें हमें पंचायतों का एक संस्था के रूप में विकास करना ही है । इस सम्बन्ध में हमारे संविधान में भी स्पष्ट निदेश है कि पंचायतें स्वायत्तशासन की निम्नतम कड़ी हैं और उनका विकास करना आवश्यक है । कई राज्य सरकारों ने भी इस प्रश्न पर सभी दृष्टियों से विचार किया । अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की । इस समिति के अध्यक्ष श्री श्रीमन नारायण थे । तथा इसमें कई ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्हें प्रशासन सम्बन्धी अनुभव था । समिति के सदस्यों में डा० कैलाश नाथ काटजू, श्री जगजीवन राम, श्री गुलजारी लाल नन्दा और श्री के० दे० मालवीय ऐसे सदस्य भी थे । समिति ने इस पूरे प्रश्न पर विचार कर यह मत व्यक्त किया कि न्यायिक पंचायतें यथाशीघ्र प्रारम्भ की जायें । उन्होंने भारत में पंचायतों के इतिहास की खोज की और यह पता लगाया कि भारत में केवल विदेशी शासन काल को छोड़ कर बहुत पुराने समय से ही यहां अदालती पंचायतें थीं ।

श्री दौलता का यह कथन एक प्रकार से सही है कि विदेशी प्रशासन काल में गांवों की उपेक्षा की गई । तथापि हमें यह भी मानना होगा कि गांव की पंचायतें विदेशी प्रशासन में भी अपना कार्य प्रभावशाली तरीके से चलाती रहीं । मैं श्री खाडिलकर को भी यह बतला देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और बम्बई में अंग्रेज़ों के शासनकाल से पूर्व कुछ ऐसी संस्थायें थीं, जिनके अधीन सारा गांव एक पूर्ण तथा स्वावलम्बी इकाई समझा जाता था । इस सम्बन्ध में मैं बारह-बलूतेदार नाम उल्लिखित कर सकता हूं । वस्तुतः उस समय गांव पूर्णतः स्वावलम्बी थे । यहां तक कि यदि आक्रमणकारी सेनायें गांव से गुजरती थीं तो वे गांव को हर्जाना देती थीं । और गांव का जीवन शान्ति पूर्वक चलता रहता था । निसंदेह इसे पारम्परिक संस्था कहा जा सकता है । अर्थात् कुछ ऐसे अधिकारियों के द्वारा प्रशासन चलाया जाता था जिनमें से कुछ पैतृक पद भी होते थे । गांव का प्रशासन गांव के निवासियों के हाथों था और वे गांव का प्रशासन अंग्रेजी शासन काल से बहुत अच्छी तरह चलाते थे । अंग्रेजी शासन काल में इस संस्था को समाप्त करने के लिये जानबूझ कर प्रयत्न किये गये । इसका फल यह हुआ कि यह संस्था अल्पाधिक रूप में समाप्त हो गई । और हम सारी क्रियाशक्ति खो बैठे । तत्पश्चात् इस प्रश्न पर विचार किया गया और हमारे संविधान के निदेशक सिद्धांतों में यह उल्लेख किया गया कि पंचायतों का विकास किया जाय ।

इसलिये स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल पश्चात् कई राज्य सरकारों ने न केवल सामान्य पंचायतों के प्रश्न पर, अपितु अदालती पंचायतों के प्रश्न पर भी गम्भीरता से विचार किया। उत्तर प्रदेश में अदालती पंचायतें सामान्यतः सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं। वहां की अदालती पंचायतों ने तीन लाख मामलों का निपटारा या तो दोनों पक्षों में समझौता करवा कर या मामले के गुणावगुणों पर विचार कर किया है। इनमें से केवल एक हजार मामलों को ऊंची अदालत में अपील के लिये ले जाना उचित समझा गया।

हमें केवल प्रयोग के खतरों से डर कर इससे विमुख नहीं हो जाना चाहिये। इसलिये हमें अदालती पंचायतों को न केवल स्वीकार ही करना होगा अपितु उन्हें स्थापित करना होगा और उन्हें और अधिक शक्तियां प्रदान करनी होंगी। यद्यपि श्री भरूचा ने विधेयक के कुछ खंडों का विरोध किया है तथापि सामान्य रूप से वह इस विधेयक से सहमत हैं। इस सम्बन्ध में दो मत हैं पहिला मत उन व्यक्तियों का है जो कि बहुत बड़े लोग हैं उनका कहना यह है कि पंचायत राज नहीं होना चाहिये और अदालती पंचायतें तो होनी ही नहीं चाहियें। अभी कुछ दिन पूर्व मदरास के एक निवृत्ति प्राप्त न्यायाधीश ने यह कहा था कि पंचायतों को अदालती अधिकार बिल्कुल नहीं दिये जाने चाहियें। दूसरी ओर कुछ लोगों का यह मत है कि विकास कार्य तथा न्याय सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में हमें पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियां देनी चाहियें और उनका विकास करना चाहिये। वस्तुतः पंचायतों का विकास तो करना ही होगा। अदालती पंचायतों के सम्बन्ध में भी हम ने कुछ परित्राण रखे हैं।

मैं श्री खाडिलकर और श्री द्विवेदी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। निसंदेह कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जब कि न्याय प्रशासन का कार्य गांव के स्तर पर संतोषजनक नहीं रहा ह और उस ने कई अवांछनीय बातों को जन्म दिया हो। हमें सभी बातों पर विचार करना चाहिये। बम्बई राज्य में अभी पिछले वर्ष बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ पारित हुआ है उस में धारा ७५ से न्याय पंचायतों को इस विधेयक में उल्लिखित बातों से भी अधिक अधिकार दिये गये हैं।

यह आपत्ति की गई है कि पंचायत द्वारा विचार किये जाने वाले अपराधों के अन्तर्गत कुछ धारायें नहीं रखी जानी चाहियें। हम ने इस सम्बन्ध में पर्याप्त परित्राण रखे हैं। पहिला यह कि पंचायत निम्न स्तर पर न हो कर खंड स्तर पर स्थापित की गई हैं। दिल्ली पंचायत राज अधिनियम की धारा ४४ के अधीन कुछ अर्हताओं का भी उपबन्ध किया गया है। उपधारा ४ के अधीन शिक्षा की कुछ उपाधि भी होनी आवश्यक है। कोई व्यक्ति जो हिन्दी या उर्दू नहीं पढ़ सकता है वह खंड पंचायत का पंच निर्वाचित नहीं हो सकता है। धारा ५० में यह उल्लिखित किया गया है कि सरपंच किसी मामले पर विचार या निपटारा करने के लिये खंड पंचायतों की पंच तालिका से ५ व्यक्ति ले कर पंचायती अदालत बनायेगा। इस प्रकार हमें ऊंचे स्तर के व्यक्ति मिलेंगे जो खंड पंचायतों के सदस्य होंगे और जो हिन्दी, उर्दू या प्रादेशिक भाषा पड़ने योग्य होंगे।

भारतीय अपराध संहिता की कुछ धारायें इसमें शामिल की गई हैं। कुछ भयावह लगने वाले अपराध यथा विस्फोट इत्यादि इसमें शामिल कर दिये गये हैं तथापि यह याद रखना चाहिये कि अपराध सदैव भयावह प्रकार के ही नहीं होते हैं। उदाहरणार्थ चोरी एक लाख रुपये की भी हो सकती है और थोड़े रुपयों की भी। इसलिये इस सम्बन्ध में एक निश्चित मापदंड स्थिर कर दिया गया है। श्री भरूचा ने यह आपत्ति की थी कि इन में कुछ अपराध बहुत भयंकर हैं और यह संभावना है कि अपराधी अपेक्षकृत कम दंड पा कर मुक्त हो जायेगा। इस के लिये खंड २५ में व्यवस्था की गई है, कि यदि पंचायत यह समझे कि अमुक मामला गम्भीर है और पंचायत उसे उचित दंड प्रदान नहीं कर सकती है तो वह उसे सक्षम न्यायालय को भेज सकती हैं। इसलिये यदि कोई अपराध टैक्नीकल दृष्टि से अदालत के अन्तर्गत

[श्री दातार]

आता हो तो भी अपराध के गम्भीर होने पर उसे पंचायती अदालत नियमित अदालत में भेज सकता है। तीसरा परित्राण यह किया गया है कि यह अदालतें किसी को कारावास का दंड नहीं दे सकती हैं। यह केवल १०० रुपया तक का अर्थ दंड दे सकती हैं। खंड १६ जिस में धारा ५३-ख जोड़ी गई है कहा गया है : कि पंचायती अदलत १०० रु० तक जुर्माना कर सकती है लेकिन जुर्माना न देने पर वह कारावास की सजा नहीं दे सकती है। इस प्रकार हम ने कुछ सावधानियां बरती हैं। हम सामान्यत: पंचायतों का विकास करना चाहते हैं। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में भी एक ऐसा संकल्प रखा गया था जो कि पंचायतों के विकास संबंध में रखता था। इसलिये हम केवल पंचायतों का ही नहीं अदालती पंचायतों का भी विकास करना चाहते हैं भले ही हमें इस में कुछ खतरा उठाना पड़े।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न पूछा है कि यदि पंचायतें कुछ आदेश, आज्ञप्तियां या दंड इत्यादि देने का निर्णय करें तो जिन व्यक्तियों पर इस का प्रभाव पड़ेगा। उन के संबंध में क्या किया जायेगा? सरकार जो कि देश में शांति और व्यवस्था रखने के लिये उत्तरदायी है उस पर आदेशों इनके पालन करवाने का दायित्व होगा। अवहेलना करने वालों को दंड दिया जायेगा। प्रत्येक सभ्य कहलाने वाली सरकार का यह सर्वप्रथम कर्तव्य है। सरकार गांवों में शांति और व्यवस्था रखने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी। और समाज विरोधी और गुंडागर्दी करने वाले व्यक्तियों पर नियंत्रण रखेगी। इस संबंध में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिये।

विधेयक के गुणावगुणों पर कुछ आलोचनायें की गई हैं। श्री नवल प्रभाकर ने यह कहा है कि पटवारी की स्थिति अधीक्षक अधिकारी के रूप में होगी। यह ठीक नहीं है। उस की स्थिति के सम्बन्ध में धारा १६ में उल्लेख किया गया है। सरकारी अधिकारी होने के कारण वह पंचायत या अदालती पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता है। सरकारी कर्मचारी खंड पंचायतों या अदालती पंचायतों के सदस्य नहीं हो सकते हैं। पटवारी का कर्तव्य पंचायतों को आवश्यक सूचना और सहायता देना है। अधिनियम की धारा १६ का सारांश यह है कि पटवारी अधिनियम में विहित तरीके से अपने हल्के के पंचायत के प्रधान तथा उप-प्रधान को भूमि की व्यवस्था इत्यादि के सम्बन्ध में सहायता प्रदान करेगा। पटवारी कोई मासान्य सहायता नहीं देगा जिससे किसी प्रकार का संदेह पैदा हो। वह तभी सहायता देगा जब उस से किसी प्रकार की सूचना मांगी जायेगी या सहायता करने को कहा जायेगा।

जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, उनके लिये तथा स्त्रियों के लिये भी गांव पंचायतों में कुछ स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। यह व्यवस्था इस सभा द्वारा कल पारित किये गये अधिनियम में की गई है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि इससे कई अधिकारियों के कार्यों में पारस्परिक हस्तक्षेप पैदा हो जायेगा। दिल्ली नगर निगम गांवों की सामान्य समस्याओं से सम्बन्ध रखेगा। गांव पंचायत का कार्य दिल्ली पंचायत राज अधिनियम के अनुसार चलेगा। दिल्ली नगर निगम को कुछ विषयों को लेना अनिवार्य होगा। इन विषयों को वे आवश्यकतानुसार ले सकते हैं। इस प्रकार बिना किसी प्रकार की विघ्न बाधा पहुंचाये हुये कार्य करना संभव होगा।

जहां तक पंचायतों के लिये आवश्यक निधि की व्यवस्था करने का सम्बन्ध है सरकार उनके लिये विकास कार्यों के संचालन के निमित्त धन जुटाने का प्रयत्न करेगी। कुछ कर लगाना आवश्यक होगा। तथापि यह संभव नहीं है कि गांव की समस्त आय पंचायत के सुपुर्द कर दी जाय। ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होगा। क्योंकि हमें व्यापक रूप से समस्त भारत के विकास पर ध्यान देना है और

गांवों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अतः इस सम्बन्ध में सदस्यों को किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिये। हम गांवों और पंचायतों का विकास करना चाहते हैं इसलिये जो भी उचित मांग रखी जायेगी उस पर उचित तरीके से विचार किया जायेगा।

जहां तक पंचायत भंग करने का प्रश्न है ऐसा उपबन्ध सभी बड़ी संस्थाओं यथा दिल्ली नगर निगम अधिनियम या विधान सभाओं सम्बन्धी अधिनियमों में रहता है।

यहां पर उच्च न्यायालयों और जिले की अदालतों को भंग करने का कोई प्रश्न नहीं है। बदकिस्मती से कुछ माननीय सदस्य कार्यपालिका अधिकारियों और न्यायपालिका अधिकारियों में भेद नहीं कर पाते हैं। कार्यपालिका अधिकारियों के अपने कार्य हैं। निस्संदेह श्री पु० र० पटेल न्यायपालिका पर अधिक विश्वास करते हैं तथापि जहां तक प्रशासनिक कार्यों का सम्बन्ध है आपको हमारे ऊपर भरोसा करना होगा। यहां हम कार्य संचालन करने वाले हैं और राज्यों में भी कार्य संचालन करने वाले हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। कुछ मामलों का निबटारा केवल कार्यपालिका ही कर सकती है। न्यायपालिका नहीं। निस्संदेह अधिकार और दायित्वों का प्रश्न उठने पर न्यायपालिका को इनका निबटारा करना पड़ता है। न्यायपालिका के उपयुक्त कार्य होने पर ही हमें मामले को वहां ले जाना चाहिये अन्यथा नहीं। बहुत से माननीय सदस्यों को कार्यपालिका के कार्यों के सम्बन्ध में भ्रांति है और उनका विश्वास है कि सभी कार्यों को न्यायपालिका के अन्तर्गत रख दिया जाये। जो काम हम कर रहे हैं वह दूसरों से नहीं कराया जा सकता। सरकार के विभिन्न अंगों का पृथक कार्य हैं। इसलिये आप हमें अपना कार्य संचालन करते समय न्यायपालिका के अन्तर्गत रहने के लिये नहीं कहेंगे। वस्तुतः अपने कार्यों के लिये हम आपके प्रति उत्तरदायी हैं।

जहां तक न्यायपालिका के कार्य का सम्बन्ध है हमें उनका आदर करना चाहिये और हम उन्हें पूरी स्वतंत्रता दे रहे हैं। उनको भेजे गये प्रश्नों के सम्बन्ध में हम यथासंभव उनके द्वारा दिये गये निदेशों का पालन करते हैं।

जहां तक विकास परिषदों का प्रश्न है वे अस्थायी संस्थायें हैं क्योंकि तब पंचायत राज अधिनियम क्रियान्वित नहीं हुआ था। इसलिये अब प्रशासन तथा विकास सम्बन्धी सारा कार्य पंचायतें करेंगी। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप इत्यादि नहीं होने पायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली पंचायत राज अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से २९ तक विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड २ से २९ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

नया खंड ३०

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १०, पंक्ति १७ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये :

"30. In Section 102 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be added, namely :—

'(3) All rules made under this Act shall be laid for not less than thirty days before both Houses of Parliament as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as Parliament may make during the session in which they are so laid or session immediately following.' "

["३० मूल अधिनियम की धारा १०२ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्न उपधारा जोड़ दी जायेगी, अर्थात् :—

'(३) इस अधिनियम के अन्तर्गत बने सभी नियम, उनके बनने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद की दोनों सभाओं के समक्ष कम से कम तीस दिन के लिये रखे जायेंगे, और संसद् उसी सत्र में जिसमें वे रखे गये हों, या उसके शीघ्र बाद होने वाले सत्रमें अपनी इच्छानुसार उनमें रूपभेद कर सकेगी । ' "

[श्री क० स० रामस्वामी]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड ३० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खण्ड ३० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १ (संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति ४ में,

"1958" ("१९५८") के स्थान पर,

"1959" ("१९५९") रख दिया जाय ।

[श्री दातार]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति १ में,

"Ninth year" ("नवें वर्ष") के स्थान पर,

"Tenth year" ("दसवें वर्ष") रख दिया जाये ।

[श्री दातार]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन **हुईं ।]**

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि फार्मेसी अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक से संलग्न उद्देश्य तथा कारणों के विवरण और खण्डों सम्बन्धी टिप्पणियों में फार्मेसी (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने के कारण विस्तार से बताये गये हैं ।

फार्मेसी अधिनियम दवा तैयार करने के तरीकों और उसके व्यवसाय को विनियमित करता है । यह अधिनियम मूलतः भारत के प्रान्तों पर ही लागू किया गया था, भूतपूर्व भाग 'ख' के राज्य-क्षेत्रों पर नहीं । १–११–१९५६ को राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, लेकिन यह अधिनियम इस समय भी पुनर्गठित राज्यों के कुछ भागों में प्रवर्तित नहीं होता । इसकी वजह से बड़ी प्रशासकीय कठिनाइयां पड़ रही हैं । इसं लिये, अब प्रस्ताव किया जा रहा है कि इसे जम्मू तथा कश्मीर राज्य के अलावा और समूचे भारत पर लागू कर दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री करमरकर]

राज्यों के पुनर्गठन के कारण अब हो यह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा १०९ के अनुसार, कुछ मौजूदा राज्य फार्मेसी परिषदें एक से अधिक राज्यों में भी कार्य कर रही हैं। यह व्यवस्था सदा तो नहीं चल सकती। जरूरी है कि इन राज्य फार्मेसी परिषदों को इस ढंग से पुनर्गठित तथा पुनर्संगठित किया जाये कि एक राज्य की एक ही राज्य फार्मेसी परिषद् रहे। अलग-अलग राज्यों की अपनी अलग-अलग समस्यायें होती हैं। इसलिये प्रस्ताव यह है कि केन्द्रीय सरकार को शक्ति दी जाये कि वह सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से आदेश निकाल कर मौजूदा राज्य फार्मेसी परिषदों को पुनर्गठित तथा पुनर्संगठित कर सके।

फार्मेसी अधिनियम, १९४८ की वर्तमान व्यवस्थाओं के अनुसार, औषधि तैयार करने वाले बहुत से लोग अपने आपको पंजीयित नहीं करा सके। इसके कई भिन्न-भिन्न कारण हैं। कारण यह हैं :

(क) कुछ ऐसे औषधि-निर्माता हैं, जो या तो पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्ति हैं, या ऐसे भारतीय राष्ट्रजन हैं जो अन्य देशों में औषधि-निर्माण का व्यवसाय करते थे और अब देश की राजनीतिक परिस्थिति बदलने के कारण भारत में वापिस लौट आये हैं। ये लोग पहला रजिस्टर बन्द होने के समय तक या तो इस देश में ही नहीं थे, या फिर अपने पुनर्वास की समस्याओं में उलझे हुये थे। इसलिये वे अपने नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं करा पाये थे।

(ख) पहला रजिस्टर पश्चिमी बंगाल में चन्द्रनगर और कूच-बिहार के संविलयन से पहले बन्द किया जा चुका था। इसलिये, चन्द्रनगर और कूच-बिहार के औषधि-निर्माता पहले रजिस्टर में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाये थे।

(ग) कुछ औषधि-निर्माताओं ने पहले रजिस्टर में अपने नाम इस गलतफहमी की वजह से दर्ज नहीं कराये थे कि अधिनियम की व्यवस्थायें उन पर लागू ही नहीं होतीं। उनमें से अधिकांश मैट्रिक पास नहीं हैं, इसलिये वे बाद में पंजीयन कराने के लिये, योग्य नहीं माने गये। बाद में पंजीयन कराने के लिये, मैट्रिक के बराबर ही किसी अन्य परीक्षा को पास करने की शर्त लगाना, उनके साथ काफी सख्ती करना होगा।

इसके अलावा, इस अधिनियम में कुछ छोटे-मोटे संशोधन और भी किये जा रहे हैं। गत दस वर्षों के दौरान में इस अधिनियम के प्रशासन का जो अनुभव हुआ है, उसे देखते हुये ये संशोधन जरूरी समझे गये हैं।

चूंकि मैट्रिक पास कर लेने वाले औषधि-निर्माताओं के प्रशिक्षण के लिये कम से कम आयु १८ वर्ष होनी चाहिये, इसलिये प्रस्ताव यह है कि उसके बाद कराये जाने वाले पंजीयन की आयु २१ वर्ष से घटा कर १८ वर्ष कर दी जाये। प्रस्ताव यह भी है कि फार्मेसी रजिस्टर में नाम पंजीयित कराने के लिये आयु-सीमा १८ वर्ष रखी जाये।

बम्बई राज्य सरकार ने अधिनियम के अध्याय ३, ४ और ५ की व्यवस्थाओं को अपने यहां प्रभावी बना दिया था, हालांकि अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित अधिसूचना उसके लिये औपचारिक ढंग से जारी नहीं की गई थी। इसे विनियमित करने के लिये भी एक मान्यीकरण खण्ड जोड़ा गया है। फार्मेसी अधिनियम में एकरूपता लाने और उसके प्रशासन के लिये ये सभी परिवर्तन बहुत ही फौरी और अत्यावश्यक हैं, जो फार्मेसी (संशोधन) विधेयक में सुझाये गये हैं।

साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि मैंने औपचारिक ढंग के कुछ संशोधनों की सूचना भी दी है। वह इसलिये कि इस विधेयक को पुरःस्थापित हुये अब एक वर्ष बीत चुका है। इसलिये

मैंने तीन स्थानों पर "१९५८" के स्थान पर "१९५९" रखने और अधिनियमन सूत्र में "नवें वर्ष" के स्थान पर "दसवें वर्ष" रखने के संशोधनों की सूचना दी है ।

यह विधेयक विवाद-ग्रस्त नहीं है । आशा है इसे पारित किया जायेगा ।

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : मैं फार्मेसी के विषय में अधिक कुछ नहीं जानता । यह मूल अधिनियम १९४८ में पारित किया गया था । उस समय भी विधेयक को पर्याप्त सोच-विचार के बाद तैयार नहीं किया गया था । उस समय विधेयक की काफी आलोचना हुई थी । ताज्जुब की बात तो यह है कि उस पर प्रतिवेदन तैयार करने वाली प्रवर समिति में कोई भी एसा व्यक्ति नहीं रखा गया था जिसे फार्मेसी का कोई आरम्भिक ज्ञान भी हो । श्री कामथ ने इसकी ओर इशारा किया था, लेकिन इसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया था ।

उस समय भी श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने विधेयक को एक अपूर्ण प्रयास बतलाया था । इसलिये अब इस समय हम जिस अधिनियम को एक-दो औपचारिक और आनुषंगिक संशोधनों द्वारा संशोधित करने जा रहे हैं, वह मूलतः आरम्भ में ही बड़ा अपूर्ण और अपर्याप्त था ।

इसके सम्बन्ध में एक ऐसी प्रवर समिति ने प्रतिवेदन तैयार किया था जिसके किसी भी सदस्य को इस विषय की टैकनीकल जानकारी नहीं थी । आज फिर १०–११ वर्ष बाद, उसी अपूर्ण और अपर्याप्त अधिनियम द्वारा देश के स्वास्थ्य की रक्षा करने की बात सोची जा रही है । स्वास्थ्य मंत्री को इसके लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि, मेरी भांति, उनको भी इस विषय के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं है ।

१९४८ में मूल विधेयक का प्रारूप इंगलैण्ड के १९४१ के अधिनियम को देख देख कर ही बनाया गया था । उसकी व्यवस्थायें ज्यों की त्यों विधेयक में सम्मिलित कर ली गयी थीं, लेकिन उस समय भी इंगलैण्ड के अधिनियम की सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था । जिस स्वास्थ्य सचिव ने यह प्रारूप तैयार किया था उसे फार्मेसी या औषधि की जरा भी जानकारी नहीं थी । उस समय भी वह विधेयक इंगलैण्ड के उस अधिनियम के बराबर उपयोगी नहीं था ।

हालांकि इंगलैण्ड का अधिनियम १९४१ में पारित हुआ था, फिर भी उसमें काफी उपयोगी व्यवस्थायें हैं । उदाहरण के लिये उसमें व्यवस्था है कि प्रत्येक औषधि के डिब्बे या उस पर लिपटे हुये कागज पर उस औषधि में रहने वाले सभी तत्वों की प्रतिशत मात्रा दिखाई जानी चाहिये । हमने उसके सात साल बाद तैयार होने वाले विधेयक में भी ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं रखी थी । हमारे यहां औषधि निर्माण करने वाली फर्में अपनी औषधियों के गुण नहीं बल्कि शुद्ध प्रचार के बल पर ही सारे बाजार पर एकाधिकार जमा लेती हैं ।

इस बात पर जोर देना इसलिये और भी जरूरी हो गया है कि हमारे देश के औषधि-निर्माताओं का प्रशिक्षण एक ऐसे काल में, आज से बहुत पहले, हुआ था जब कि आधुनिक औषधियों का किसी ने नाम भी नहीं सुना था । आधुनिक औषधियों में विष की मात्रा संश्लिष्ट की जाती है । यदि उनका नासमझी से प्रयोग किया जाये, तो मरीज़ की मृत्यु भी हो सकती है । इसे ध्यान में रख कर ही हमें फार्मेसी अधिनियम का संशोधन करना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वें० प० नायर]

आज यह आवश्यक है कि औषधि-निर्माता को विज्ञान की कई शाखाओं की जानकारी होनी चाहिये । रसायन शास्त्र की कई शाखाओं का ज्ञान होने के साथ ही, उसे वनस्पति शास्त्र का भी विस्तृत ज्ञान होना चाहिये । उसे शरीर रचना के साथ ही, कीट विज्ञान, इत्यादि का भी ज्ञान होना चाहिये ।

लेकिन हमने औषधि-निर्माता के लिये ऐसी कोई भी अर्हता की शर्त नहीं रखी है ।

इसमें जितने भी संशोधन किये जा रहे हैं, उन में से अधिकांश आनुषंगिक ढंग के ही हैं । अधिकांश संशोधन राज्य-पुनर्गठन के कारण आवश्यक हो गये हैं । लेकिन मेरा ख्याल है कि अधिनियम को संशोधित करते समय हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि आधुनिक औषधि-विज्ञान कितना बदल गया है, कितना आगे बढ़ गया है, विषों का कितना अधिक प्रयोग करने लगा है । हमें ध्यान रखना चाहिये कि विभिन्न विषों के इतने अधिक प्रयोग के कारण उसके खतरे भी कितने अधिक बढ़ गये हैं । इसलिये अब देश में इससे कहीं अधिक व्यापक विधान की आवश्यकता पैदा हो गयी है । इंगलैण्ड के अधिनियम में तो इतनी व्यापक और विस्तृत व्यवस्थायें की गई हैं कि कुछ खास बीमारियों की औषधियों के बारे में कोई अप्रमाणित व्यक्ति प्रचार करना तो दूर लेख तक नहीं लिख सकता । दूसरी ओर हमारा देश है, जहां कोई भी किसी भी रोग की कैसी भी औषधियां बना कर बेच सकता है । हमारे समाचारपत्र ऐसे विज्ञापनों से भरे रहते हैं । हमारे देश के समाचार-पत्रों में ऐसे पाखंडियों के विज्ञापन भरे रहते हैं । 'नवरत्न कल्प' जैसी औषधियां धड़ल्ले से बेची जाती हैं, जो एक नहीं बल्कि लगभग सभी बड़े-बड़े रोगों की एक मात्र औषधि बताई जाती है । इस पर भी माननीय मंत्री समझते हैं कि देश में इसका उचित नियंत्रण हो रहा है ।

इस समस्या का एक और भी महत्वपूर्ण पहलू है । पता नहीं हमारी सरकार औषधियों के क्षेत्र में अमरीका, इंगलैण्ड और स्विटजरलैण्ड की औषधियों को ही मान्यता क्यों देती है । रूस जैसे अन्य हमें औषधियां भेजने को तैयार हैं, और वे हमारे यहां काफी सस्ती भी पड़ेंगी, फिर भी इस क्षेत्र में अमरीका, इंगलैण्ड और स्विटजरलैण्ड का एकाधिकार कायम रखा जाता है । रूस से आने वाली मधुमेह की प्रसिद्ध जो औषधि—"इन्सुलिन"—हमारे यहां छैः आने में मिल सकती है, वही हमें इन देशों से मंगाने पर ढाई रुपये की पड़ती है ।

†**निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: वे यह औषधियां अपनी ओर से देने को तैयार थे या किसी ने उन से अनुरोध किया था ?

†**श्री वें० प० नायर** : रूस ने भारत की एक निजी फर्म—'पंचशील'—को ये औषधियां भेजने की बात कही थी । उस फर्म के निदेशकों में एक-दो संसद-सदस्य भी हैं । सोवियत यूनियन उस फर्म को एन्टी बायोटिक औषधियां भी भेजने को तैयार था, जिनकी कीमत हमारे यहां बहुत कम रहती— इंगलैण्ड और अमरीका की औषधियों की कीमत से $^{1}/_{10}$ रहती । रूस तो यहां औषधि-निर्माण का एक कारखाना भी खड़ा करने के लिये तैयार था । लेकिन हमारे देश की विधियां इस प्रकार की हैं कि रूस, हंगरी, चैकोस्लोवेकिया, इत्यादि मैत्रीपूर्ण देशों की औषधियों को डाक्टर लोग मान्यता ही नहीं दे सकते । इसी का फल है कि हमारे देश में छोटी-मोटी बीमारी भी बड़ी खर्चीली पड़ती है ।

पता नहीं कि अब भारत सरकार ने सोवियत की औषधि प्रणाली को मान्यता दी है या नहीं । जो भी हो, पर औषधियों के बाजार पर अभी भी अमरीका, इंगलैण्ड और स्विटजरलैण्ड इत्यादि

†मूल अंग्रेजी में

देशों की औषधि-निर्माता फर्मों का एकाधिकार है। इसलिये आज की परिस्थिति में औषधि नियंत्रण अधिनियम की व्यवस्थायें अपर्याप्त हैं। हमें अपने देश की विधियों में ऐसे परिवर्तन करने चाहियें, जिससे कि अन्य सभ्य देशों की औषधि प्रणालियों को भी मान्यता मिल सके और जनता को सस्ते दामों पर औषधियां मिल सकें।

इस विधेयक की एक व्यवस्था बड़ी खतरनाक है। मूल धारा ३२ का संशोधन किया जा रहा है। अब यह व्यवस्था की जा रही है कि देश के विभाजन से पूर्व दूसरे देशों में औषधि-निर्माण का व्यवसाय करने वाले लोगों को फिर से पंजीयित किया जायगा। यह ठीक नहीं है। मुझे उनके साथ सहानुभूति जरूर है, लेकिन इतने वर्ष से औषधि-निर्माण का काम छोड़ रखने वाले लोगों को फिर से पंजीयित करना कहां तक उचित है। वे आधुनिक औषधि-विज्ञान की प्रगति के साथ कदम से कदम मिला कर नहीं चल सकेंगे। अब औषधि-विज्ञान कहीं आगे पहुंच गया है। माननीय मंत्री हमें पुराने युग में घसीटना चाहते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार ऐसे लोगों को भी औषधि-निर्माण का प्रमाणपत्र दिया जायेगा, उनको पंजीयित किया जायेगा, जिन्होंने १९४८ से पहले किसी कम्पाउंडर के नीचे या दवाइयों की दूकान पर काम किया हो। यह बड़ी खतरनाक व्यवस्था सिद्ध होगी।

माननीय मंत्री को औषधि-प्रयोग की पद्धतियों में कुछ ज्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिये। उन्हें आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा प्रणालियों की ओर कुछ अधिक ध्यान देना चाहिये।

इस अधिनियम के अन्तर्गत केवल एलोपैथी की औषधियां ही आती हैं, जब कि उनका प्रयोग देश की केवल १५ प्रतिशत जनता ही करती है। ९० प्रतिशत जनता के प्रयोग में आने वाली औषधियों को अधिनियमन के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। कुछ आयर्वेदिक औषधि-निर्माता आसवों और अरिष्टों के नाम पर नशीली चीजें भी बेचते हैं, जो मद्य-निषेध वाले क्षेत्रों में धड़ल्ले से बेची जाती हैं। सरकार ने उसे रोकने के लिये क्या किया है ?

सिद्ध और यूनानी प्रणालियों से चिकित्सा करने वालों में ढोंगी लोग ज्यादा हैं और वास्तविक गुणी लोग कम।

आज स्थिति यह है कि आयुर्वेदिक दवायें तैयार करने वाली जितनी ही फर्में हैं, उतने ही प्रकार एक ही दवा के मिलते हैं। दस फर्मों द्वारा तैयार किये दशमूल अरिष्ट भी अलग-अलग दस प्रकार के होते हैं। सरकार को चाहिये कि आयुर्वेदिक और अन्य सभी देशी प्रणाली से तैयार की जाने वाली औषधियों के लिये एक माप-मान निर्धारित कर दिया जाये, उनका प्रमापीकरण कर दिया जाय। सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। तभी यह विधेयक देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बन सकेगा।

मैं डा० पट्टाभि सीतारमय्या की इस बात से सहमत नहीं हूं कि फार्मेसी अधिनियम से अन्य चिकित्सा प्रणालियों की औषधियों का प्रमापीकरण नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे देशीय पद्धतियों के विकास की ओर और उनकी औषधियों के प्रमापीकरण की ओर काफी ध्यान दें।

†**श्री नंजप्प** (नीलगिरि) : इस में किये जाने वाले संशोधन इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन इस के पीछे जो समस्यायें हैं वह अवश्य ही बड़ी महत्वपूर्ण हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नंजप्प]

सब से पहली बात तो यह कि यह विधेयक केवल ऐलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली से ही संबंधित है । इस में भारतीय चिकित्सा के एकीकृत कालेजों से निकलने वाले अर्हता-प्राप्त चिकित्सकों का कोई उल्लेख तक नहीं है । ये लोग दोनों पद्धतियों में प्रशिक्षित होते हैं, फिर भी इन्हें इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर क्यों रखा गया है ? इस में अन्य राज्यों के अन्य देशीय प्रणालियों के कालेजों से निकलने वाले योग्य चिकित्सकों का भी कोई उल्लेख नहीं है ।

इसीलिये, मैं कहता हूं कि यह विधेयक समस्या का समाधान तो क्या, उसके एक प्रतिशत भाग की समस्या भी हल नहीं करता ।

हमारे देश में कई तरह के लोग चिकित्सा-कार्य करते हैं । वे बनावटी औषधियों का भी प्रयोग करते हैं और कर सकते हैं । विधेयक में उसे रोकने की कोई भी व्यवस्था नहीं है ।

इसलिये यह विधेयक बड़ा ही सीमित है । इस से समस्या बिलकुल भी हल नहीं होती । समस्या का हल करने के लिये जरूरी है कि एक ऐसा व्यापक विधेयक तैयार किया जाये जो देश में प्रचलित सभी पद्धतियों की औषधियों और चिकित्सकों पर लागू किया जा सके । जनता को ढोंगी चिकित्सकों के धोखे से बचाने के लिये यह आवश्यक है ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): श्रीमती जी, हमारे वी० पी० नायर भाई ने बहुत अच्छे शब्दों में आयुर्वेद और यूनानी के सम्बन्ध में कहा है ।

इस बिल से हमको ज्यादा संतोष नहीं हुआ इस वास्ते कि जैसा हमारे भाई वी० पी० नायर जी ने कहा है, कम से कम ८० फी सैकड़ा लोग हिन्दुस्तान में ऐसे हैं जो आयुर्वेद और यूनानी का आश्रय लेते हैं । लेकिन अगर आज आप इन औषधियों को देखें तो उन में आपको एकरूपता नहीं मिलेगी । ढाका आयुर्वेदिक, ढाका फार्मेसी, साधना औषधालय, हिन्दू यूनीवरसिटी, अलेम्बिक, झंडू, गुरुकुल कांगड़ी, डाबर, हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधियां बनाने वाले हैं । लेकिन अगर आपको च्यवनप्राश खरीदना हो तो इन कारखानों के च्यवनप्राश में आपको एकरूपता नहीं मिलेगी । आप मोती की भस्म चाहेंगे तो आपको सीप की भस्म दे देंगे । आप स्वर्ण सिंदूर लेना चाहते हैं तो उसके नाम पर जो चीज आपको मिलेगी उस में सिन्दूर तो होगा पर स्वर्ण नहीं होगा । जब हमारे देश के ८० प्रतिशत लोग इन औषधियों का आश्रय लेते हैं तो सरकार की तरफ से इन में एकरूपता लाने के लिए प्रयत्न होना चाहिए ।

मैं आपको एक उदाहरण दूं । शितोपलादि चूर्ण में बंशलोचन पड़ता है, च्यवनप्राश में भी पड़ता है । लेकिन हिन्दुस्तान में औषधियों में जितना बंशलोचन पड़ना चाहिए उसका एक या दो प्रतिशत शुद्ध पड़ता है बाकी नकली बंशलोचन डाला जाता है । उत्तर प्रदेश में बनता है और वहां से सब जगह भेजा जाता है । इसलिए हमारी प्रार्थना है कि भस्मों के वास्ते, काष्टादि औषधियों के वास्ते, अवलेहों के वास्ते, तेलों के वास्ते, आसव और अरिष्टों के वास्ते सरकार को कानून बनाना चाहिए ताकि इन में एकरूपता और शुद्धता आये । एक गरीब आदमी जो कि पीड़ित है वह पैसा दे कर औषधि खरीदता है । पर उसे शुद्ध औषधि नहीं मिलती । इसलिए हमारी सरकार से प्रार्थना है कि इस दशा में तेजी से विचार करे । हम पाश्चात्य औषधियों के पीछे बहुत दौड़ते हैं लेकिन यह दौड़ना बहुत ठीक नहीं है । यह अमीर आदमियों के वास्ते ठीक हो सकती है लेकिन जो भारत के नंगे, गरीब और भूखे लोग हैं वह पाश्चात्य औषधियों का आश्रय नहीं ले सकते । इसलिए हमारी

सरकार से यह सविनय प्रार्थना है कि वह कोई ऐसा विधेयक उपस्थित करे कि जिस से आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों में एक रूपता आ जाये ।

†**श्री करमरकर :** इस विधेयक पर हमारे जो तीन सहयोगियों ने भाषण दिये उनको सुन कर मैं बहुत प्रसन्न हूं कि विधेयक का कोई विरोध नहीं किया गया है । वास्तव में, उन्होंने जो कुछ कहा उस में से बहुत सी बातें विधेयक के उपबन्धों से सम्बद्ध नहीं थीं । श्री नायर ने जो कुछ कहा उस के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं इस लिए नहीं कि उन्होंने जो बातें कही हैं वे पूर्णतः ठीक हैं बल्कि इसलिए कि औषधियों तथा उन के निर्माण क संबंध में उन्होंन बहुत अच्छी जानकारी प्रस्तुत की है, कला, सत्य तथा असत्य का जिक्र करते हुये उन्होंने हेनरी ल्युकस का उल्लेख किया । मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि बिना समझे बूझे उन्होंने कुछ ऐसी बातों का सत्य मान लिया है जो बिल्कुल सत्य नहीं थीं ।

उन्होंने 'लेबल' के प्रश्न को उठाया और कहा कि औषधि निर्माण अधिनियम में लेबल के विवरणों के सम्बन्ध में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है । मैं समझता हूं कि उन्होंने केवल इसी अधिनियम को पढ़ा है, इसके साथ उन्होंने दूसरे अधिनियम—औषधि अधिनियम—को नहीं पढ़ा है । औषधि अधिनियम के नियमों के अन्तर्गत व्यवस्था है कि लेबल पर नुस्खे का उल्लेख भी किया जाये ।

उन्होंने कुछ ऐसी बातों का भी उल्लेख किया जिनके संबंध में उन्होंने कहा कि औषधि शास्त्र को इन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । पर औषधि निर्माता केवल औषधि निर्माता होता है न कि रसायन विशेषज्ञ या डाक्टर । उसे तो केवल इस योग्य होना चाहिए कि वह औषधि निर्माता के कर्त्तव्यों का समुचित रूप से पालन कर सके । औषधि निर्माण अधिनियम के अधीन शिक्षा संबंधी विनियमों में उपबन्ध है कि उसे अकार्बनिक रसायन शास्त्र (इनआर्गनिक), भौतिक रसायन शास्त्र (फिजिकल), कार्बनिक रसायन शास्त्र (आर्गनिक), वनस्पति विज्ञान (बॉटानी), प्राणि विज्ञान (जूलौजी), शरीर रचना शास्त्र (अनाटामी) शरीर क्रिया विज्ञान (फिजियालौजी), और स्वच्छता विज्ञान (हाईजीन) आदि विषयों का प्रशिक्षण लेना चाहिए । उसे कुल ३५० घण्टे की सैद्धान्तिक व ३०० घण्टे व्यावहारिक शिक्षा लेनी पड़ती है ।

माननीय सदस्यों ने विज्ञापनों का उल्लेख किया । उन्होंने जो बातें कहीं वे सही हैं पर अब वे बातें पुरानी हो गयी हैं । उन्होंने नवरत्न कल्प का जिक्र किया पर यह तो कभी किसी पहले जमाने की बात थी । अब इस प्रकार के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और जो संस्थायें इस प्रकार का विज्ञापन देती थीं, उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया है । हम क्या कर सकते हैं, इसकी भी आखिर एक सीमा है । हम जाली औषधियों के निर्माण को रोक सकते हैं पर जनता को भी चाहिए कि वह ऐसी औषधियों के चक्कर में पड़ने से बचे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

रूस के औषधि संस्कार ग्रंथ के संबंध में भी यह प्रश्न पैदा हुआ था । माननीय सदस्य को पता होगा कि इस संबंध में हमारी सरकार व रूस की सरकार के बीच बातचीत चल रही थी । एक रूसी दल भारत भी आया था और मैं उस से मिला था तथा हम ने इस मामले पर बातचीत भी की थी । रूस के औषधि संस्कार ग्रंथ को मान्यता देने के संबंध में भी हम ने बातें कीं । इस ग्रंथ को मान्यता प्रदान करने से कुछ औषधियों के निर्माण में अच्छी सफलता मिलेगी अतः हमने उसे मान्यता दे दी । इस प्रकार हम अब इन औषधियों को आयात करें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करमरकर]

मुझे नहीं मालूम कि यह औषधियां $^{1}/_{10}$ मूल्य से प्राप्त की जा सकती हैं। यदि माननीय सदस्य इस संबंध में कोई सुझाव या जानकारी प्रस्तुत करेंगे तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। $^{1}/_{10}$ मूल्य में औषधियां मिलें तो यह बहुत ही अच्छी बात है। हमारे राज्य व्यापार निगम रूस, हंगरी, तथा पोलैंड से औषधियों का आयात करने के लिए प्र ;न्ध कर रहे हैं। पाकिस्तान से आये व्यक्तियों की सहायता करने के लिये ही हम धारा ३२ का संशोधन कर रहे हैं ताकि वे लोग भी अपना पंजीयन करा लें। माननीय सदस्य ने अर्हताओं को बहुत कम करने की बात पर आपत्ति की है, । मेरा कहना है कि इस संबंध में हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह ने आयुर्वेद के संबंध में कहा। अभी हाल में हमने एक तथ्य जांच समिति बनाई थी। समिति ने सारे भारत का दौरा किया और उस ने अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है। जिसे मैं कुछ समय के बाद सभा के सामने प्रस्तुत करूंगा। इस में कोई शक नहीं कि देशी चिकित्सा पद्धति के प्रमापीकरण की भी आवश्यकता है। माननीय सदस्य जानते हैं कि औषधियों को तैयार करने की अनेक विधियां हैं, अनेक पंडित या वैद्य हैं अतः इस प्रणाली के प्रमापीकरण की भी आवश्यकता है, यह कोई आसान काम नहीं है। अभी हम नहीं कह सकते कि कौन कौन से राज्य किन देशी औषधियों, औषधि निर्माताओं या वैद्यों आदि के पक्ष में हैं। पर मैं और मेरा मंत्रालय यह महसूस करते हैं कि इस पद्धति को भी विनियमित करने की आवश्यकता है। फिल हाल, इस क्षेत्र को हमने इस अधिनियम में नहीं रखा है। हम विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों के प्रमापीकरण की बात पर विचार कर रहे हैं और यदि इस संबंध में राज्यों की सहमति मिली तथा सभी लोग सहमत हुये तो आगे हम कोई विधान बनायेंगे।

मेरे मित्र श्री नायर ने केरल प्रणाली का भी जिक्र किया। मैं केरल हो आया हूं और मैं ने सुना है कि केरल में बहुत से वैद्य हैं जो रोगों को ही दूर नहीं करते बल्कि बुड्ढों को जवान बना देते हैं। वहां की मालिश प्रणाली विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हमें इस ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए। सिद्ध प्रणाली पर भी हम गवेषणा कर रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं।

एक अन्य माननीय सदस्य ने भी देसी चिकित्सा प्रणाली के प्रमापीकरण के संबंध में आतुरता प्रकट की है। मैं उन की आतुरता की प्रशंसा करता हूं और चाहता हूं कि आयुर्वेदिक प्रणाली का पूरा लाभ उठाया जाये। इस संबंध में हमारे सामने सब से बड़ी कठिनाई यह है कि इस मामले पर लोग व्यक्तिगत धारणाओं को महत्व देते हैं, वैज्ञानिक आधार को नहीं। डाक्टरों का कहना है कि आयुर्वेद में कोई अच्छाइयां नहीं हैं और इसी प्रकार आयुर्वेदिक पंडित भी यह मानने को तैयार नहीं हैं कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कुछ बहुमूल्य औषधियां हैं। इस प्रकार परस्पर विरोध है। ज्ञान किसी एक पद्धति की बपौती नहीं है। यदि हम परस्पर ऐसा दृष्टिकोण पैदा कर लें कि सभी पद्धतियों—आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा तथा आधुनिक प्रणाली—की अच्छी बातों को लेकर एक पद्धति का विकास करें तो यह सब से अच्छी बात होगी। सरकार यही चाहती है।

श्री नायर ने कहा कि हमने इस संबंध में कुछ भी नहीं किया है। मैं समझता हूं कि यदि वह हमारे जामनगर की गवेषणा संस्था को जाकर देखें तो उनका दृष्टिकोण ऐसा नहीं होगा और वे ऐसी बात नहीं कहेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि फार्मेसी अधिनियम, १९४८ में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से १० विधेयक का अंग बन ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ से १० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खण्ड ११ पर एक सरकारी संशोधन संख्या ३ है ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ ५, पंक्ति ९ और १७,

["1958" (१९५८)] के स्थान पर ["1959" (१९५९)] रखा जाये ।

[श्री करमरकर]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ११, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ११, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १२ और १३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १४ (धारा ४० के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ ६, पंक्ति १६,

["1958" (१९५८)] के स्थान पर ["1959" (१९५९)] रखा जाये ।

[श्री करमरकर]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १५ से १९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १ (संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ)

---

† मूल अंग्रेजी में

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति ४,

["1958" (१९५८)] के स्थान पर ["1959" (१९५९)] रखा जाये।

[श्री करमरकर]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति १,

["Ninth Year" (नवें वर्ष)] के स्थान पर ["Tenth Year" (दसवें वर्ष)] रखा जाये।

[श्री करमरकर]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**श्री करमरकर :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम १८९० में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

† मूल अंग्रेजी में

मैं कोई लम्बा भाषण देकर सभा का समय नहीं लूंगा । उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में जैसा बताया गया है, बिना टिकट यात्रा, खतरे की जंजीर का दुरुपयोग, अनधिकृत रूप से चीजों को बेचने, रेलवे कर्मचारियों को धमकी देने तथा छोटे-छोटे बहाने बना कर उनके कर्त्तव्य पालन में दखल देने की बुराइयां अभी पूर्ववत् हैं और उन में कोई सुधार नहीं हो पाया है ।

इस विधेयक द्वारा ऐसे अपराधों के लिए दण्ड बढ़ा कर रेलवे कर्मचारियों के हाथों को मजबूत किया जा रहा है । विधेयक के कुछ मौखिक उपबन्धों के अतिरिक्त मुख्य उपबन्ध, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, इस संबंध में हैं (१) बिना टिकट यात्रा, (२) खतरे की जंजीर का दुरुपयोग, (३) रेलवे सीमा क्षेत्र में अनधिकृत रूप से चीजों का बेचा जाना और (४) रेलवे कर्मचारियों को धमकी देना तथा उनके कर्त्तव्य पालन में दखल देना ।

जहां तक बिना टिकट यात्रा का संबंध है, इस विधेयक के उपबन्धों में कहा गया है कि किसी टिकट या पास में कुछ रद्दोबदल करने के अपराध के लिए दण्ड बढ़ा कर ५० रु० तक जुर्माने से तीन महीने की सजा तक या २५० रु० जुर्माने या दोनों कर दिया जाये । जो लोग धोखा देने की नियत से बिना टिकट यात्रा करते हैं या गलत टिकट लेकर यात्रा करते हैं उन्हें केवल उस यात्रा का भाड़ा तथा न्यायालय द्वारा किया गया जुर्माना ही नहीं देना पड़ेगा बल्कि इस संबध में जो अतिरिक्त जुर्माने की व्यवस्था है वह जुर्माना भी देना होगा । दोनों अवस्थाओं में बराबर जुर्माना वसूल किया जायेगा । जो लोग बिना टिकट या गलत टिकट लेकर यात्रा करेंगे उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकेगा ।

खतरे की जंजीर का दुरुपयोग करने के अपराध में भी यह संशोधन किया गया है कि दण्ड को बढ़ा कर ५०६० तक जुर्माना से तीन महीने की सजा तक या २५० रु० तक जुर्माना या दोनों, और ऐसे लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का उपबन्ध कर दिया गया है ।

रेलवे कर्मचारियों के कर्त्तव्य पालन में बाधा डालने वालों के लिए इस समय १०० रु० तक जुर्माने की व्यवस्था है । अब दण्ड को बढ़ाया जा रहा है और ६ महीने तक की सज़ा या ५०० रु० तक जुर्माने या दोनों की सज़ा दी जा सकेगी ।

इस अधिनियम में यह भी उपबन्ध किया जा रहा है कि रेलगाड़ी में या रेलवे सीमा क्षेत्र के भीतर बिना लाइसेंस लिए कोई चीज बेचने वालों को अब २५० रु० तक जुर्माना किया जा सकेगा जब कि अभी तक केवल ५० रु० जुर्माना करने का उपबन्ध था । साथ ही यह भी व्यवस्था की गयी है कि इस कार्य के अधिकृत किसी रेलवे कर्मचारी द्वारा या ऐसे रेलवे अधिकारी द्वारा मदद के लिए बुलाये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चीजें बेचने वालों को रेलवे सीमा क्षेत्र के बाहर निकाला जा सकेगा ।

विधेयक के मुख्य २ उपबन्ध यही हैं । ये उपबन्ध मूलतः कोई विचार-वैषम्य उपस्थित नहीं करते और मैं विश्वास करता हूं कि सभा को इन्हें स्वीकार करने में कोई कठिनाई न होगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं समझता हूं कि सभा इस विधेयक का स्वागत करेगी । हम लोग प्रायः बिना टिकट यात्रा, जंजीर का खींचा जाना तथा बिना लाइसेंस के चीजों के बेचने की अनियमितताओं के बारे में माननीय मंत्री से प्रश्न पूछते रहे हैं । इन बातों के सम्बन्ध में स्थिति बहुत ही खराब है । बिना टिकट यात्रा का रोग तो बहुत ही अधिक बढ़ गया है । फिर,

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सभी श्रेणियों में लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं। मेन लाइनों की तुलना में ब्रांच लाइनों में यह रोग अधिक भयंकर रूप से व्याप्त है। अतः इन बातों को दूर करने के लिए हमें कुछ न कुछ करना आवश्यक है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य अभी कुछ और कहना चाहते हैं?

†**श्री दी० चं० शर्मा :** जी हां।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** तो वह अपना भाषण कल जारी करें।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, १२ फरवरी, १९५९/२३ माघ, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, ११ फरवरी, १९५९]

---

२२ माघ, १८८० (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१४७—६९
तारांकित प्रश्न संख्या		
५२	केरल को चावल का संभरण	१४७—५०
५३	रूपनारायण नदी पर सड़क का पुल	१५०–५१
५४	भूतल जलनिस्सारण व्यवस्था में सुधार	१५२–५३
५५	रेलवे की भूमि	१५४
५६	मालगाड़ी का पटरी से उतरना	१५५–५६
५८	दिल्ली में बिजली की दरें	१५६—५८
५९	सार्वजनिक टेलीफोन	१५८–५९
६०	पाकिस्तान से फलों का आयात	१५९—६१
६१	दिल्ली में गहूं के भावों में वृद्धि	१६२—६५
६२	डीजल और बिजली के इंजन	१६५—६७
६४	कच्चे पटसन के भाव	१६७—६९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१६९—२३८
तारांकित प्रश्न संख्या		
६३	हिंगोली-खंडवा लाइन पर पुलों का निर्माण	१६९
६५	वनरोपण संस्था	१६९
६६	स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज	१७०
६७	रेलवे में चलते फिरते पुस्तकालय	१७०–७१
६८	सतलज-ब्यास सम्पर्क परियोजना	१७१
६९	उड़ीसा से धान और चावल का निर्यात	१७१–७२
७०	डाक तथा तार के लिये स्वयंसेवक	१७२
७१	पश्चिमी बंगाल को चावल का संभरण	१७२
७२	हिन्दुस्तान शिपयार्ड	१७३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

७३ केसंर १७३–७४
७४ वस्तु समितियां १७४
७५ कलकत्ता के लिए वृताकार रेलवे . . . १७४
७६ धान और चावल की खरीद १७५
७७ राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम . . . १७५
७८ उड़ीसा में बाट नियंत्रण के लिये वृहत्तर योजना . . १७५–७६
७९ आन्ध्र से चावल की वसूली १७६
८० शरावती जलविद्युत् परियोजना . . १७६–७७
८१ बाढ़ सम्बन्धी उच्च-स्तरीय समिति . . १७७
८२ दिल्ली के लिए मास्टर प्लान . . १७७
८३ रेलवे भाड़ा १७७
८४ पत्तनों का विकास १७८
८५ रेलवे सुरक्षा बल १७८–७९
८६ अगरतला नगर को पीने के पानी का संभरण . . १७९
८७ हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग . . . १७९
८८ भोजनव्यवस्था के ठेकेदार . . १७९
८९ शोलापुर में पुल १८०
९० उकाई परियोजना १८०
९१ भाखड़ा बांध १८०–८१
९२ बलाडिला—विशाखापटनम लाइन . . १८१
९३ सोन नदी बन्ध . . . १८१–८२
९४ कोंकण तटीय सेवा १८२
९५ हुगली नदी के किनारों का कटाव १८२
९६ रेलवे समय सारणी १८३
९७ क्षय रोग सर्वेक्षण १८३
९८ ऊपरी पुलों तथा नीचे के पुलों का निर्माण . . १८४
१०० खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता १८४–८५
१०१ अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित स्थान . . १८५
१०२ तुंगभद्रा परियोजना . . . १८५

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१०३	केरल में बेरापली नदी परियोजना . . .	१८५–८६
१०४	डाक व तार कर्मचारियों द्वारा "मांग दिवस" मनाना . .	१८६
१०५	दिल्ली में दूध सप्लाई योजना . . .	१८७
१०६	भारत में मेवा उद्योग का विकास . .	१८७–८८
१०७	चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारियों की पदोन्नति सम्बन्धी समिति	१८८
१०६	दिल्ली के मुख्य यार्ड का नवनिर्माण .	१८६
११०	मीन क्षेत्र का विकास	१८६–६०
१११	भारत-दक्षिण अमेरिका नौवहन सेवा . .	१६०
११२	गाड़ियों का समय पर चलना	१६०
११३	बरहामपुर में पुल	१६०–६१
११४	परादीप और हीराकुड जलाशयों में मछली पकड़ना . .	१६१
११५	भाखड़ा बांध के निकट पर्यटन स्थान . . .	१६१
११६	तुंगभद्रा परियोजना	१६२
११७	सरना और बोहारोली स्टेशनों के बीच विस्फोट .	१६२
११८	चावल की वसूली . . .	१६२–६३
११६	उर्वरक . . .	१६३
१२०	दोहद-इंदौर रेलवे लाइन . .	१६३–६४
१२१	रेल कर्मचारियों की मारपीट . . .	१६४
१२२	दण्डकारण्य परियोजना के लिये रेलवे लाइन . .	१६४
१२३	रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना . .	१६४–६५
१२४	'ऊसर भूमि' को पुनः कृषि योग्य बनाना . .	१६५
१२५	ग्राम्य विद्युतीकरण योजना .	१६५–६६
१२६	सम्बलपुर, उड़ीसा में मेडिकल कालेज	१६६
१२७	डीजल कारें	१६६
१२८	ट्रेन में कत्ल और डाका . . .	१६६–६७

अतारांकित

प्रश्न संख्या

५३	रिवाड़ी-भटिण्डा सेक्शन पर क्वार्टर . . .	१६७
५४	बीकानेर डिवीजन के रेलवे स्टेशन . . .	१६७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

५५	दिल्ली और फुलेरा के बीच गाड़ियों का समय से चलना .	१९७–९८
५६	टिकट की जांच करने वाले कर्मचारी	१९८–९९
५७	सड़क निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता . .	१९९
५८	पंजाब में स्वास्थ्य परियोजनायें	१९९–२००
५९	पंजाब में केन्द्रीय गोदाम . . .	२००
६०	राज्यों में स्वास्थ्य योजनाएं . .	२००–०१
६१	तुंगभद्रा-नेल्लोर तापीय विद्युत् संयंत्र . .	२०१
६२	आन्ध्र-प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के लिये वृहद्तर योजना .	२०१
६३	भीमवरम्-गुडिवाडा लाइन . . .	२०२
६४	आन्ध्र प्रदेश में शार्क लीवर आयल . .	२०२
६५	मीन गवेषणा केन्द्र	२०२–०३
६६	छोटे पत्तनों से भेजा गया लौह अयस्क .	२०३
६७	दक्षिण-पूर्व रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक . . .	२०३
६८	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा धन का लौटाया जाना .	२०४
६९	खाद्यान्नों का आयात	२०४
७०	मध्य रेलवे में डीज़ल रेल कारें . .	२०४–०५
७१	रेलवे सुरक्षा बल	२०५
७२	बहिःशुल्क विभाग के लिये 'विद्युत्' नामक जहाज़	२०६
७३	मनीपुर राज्य को अनुदान . . .	२०६
७५	दिल्ली में ग्राम्य जल संभरण योजनायें . .	२०६–०७
७६	केन्द्रीय गौशाला गवेषणा संस्था, करनाल . . .	२०७
७७	दिल्ली में जल संभरण .	२०७
७८	रेलवे लाइनों को नुकसान . .	२०८
७९	बम्बई राज्य में चीनी के कारखाने . .	२०८
८०	चीनी	२०८
८१	जाजपुर डाक घर की इमारत .	२०८–०९
८२	बम्बई में चावल की कीमत .	२०९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८३	बंगलौर नगर में जल संभरण की व्यवस्था .	२०९
८४	राष्ट्रीय रति रोग निरोध योजना . .	२०९–११
८५	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर . . .	२११
८६	ईगतपुरी-भुसावल सेक्शन पर बिजली से गाड़ियां चलाना	२११
८७	जहाज़ मरम्मत करने के सम्बन्ध में सुविधायें	२११
८८	दिल्ली में नया मेडिकल कालेज . . .	२१२
८९	राज्यों की परिवहन व्यवस्था की पुनर्गठन सम्बन्धी समिति	२१२
९०	आर० एम० एस० (रेलवे डाक सेवा) के डिब्बे में हत्या	२१२
९१	आर० एम० एस० (रेलवे डाक सेवा) पुनर्गठन समिति	२१३
९२	वनस्पति घी .	२१३–१४
९३	घोसी कोलोनी, दिल्ली	२१४
९४	उभय लिंगी व्यक्ति .	२१४
९५	भोजन व्यवस्था कर्मचारी	२१५
९६	दमदम हवाई अड्डा .	२१५
९७	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	२१५–१६
९८	तेल वाली सारडीन मछलियां . . .	२१६
९९	केरल से दिल्ली के लिये अंडों की टोकरियों का बुक किया जाना .	२१७
१००	अहमद नगर-पुरली लाइन .	२१७
१०१	दूसरे दर्जे में स्थान .	२१७–१८
१०२	समुद्र बाढ़ और दुमुरदाह स्टेशनों के प्लेटफार्म	२१८
१०३	इमारतों में कंक्रीट का प्रयोग	२१८–१९
१०४	उड़ीसा में कृषि उत्पादन संरक्षण	२१९
१०६	तपेदिक सर्वेक्षण . . .	२१९
१०७	भारतीय-चिकित्सा परिषद् . .	२२०
१०८	पंजाब की सड़क निर्माण योजनायें .	२२०
१०९	रबी की फसल वाली भूमि . . .	२२०
११०	शिशु चिकित्सा प्रशिक्षण केन्द्र . . .	२२०
१११	वन्य पशु	२२१–२२
११२	पहलेजाघाट और महेन्द्रघाट . . .	२२२–२३
११३	रेलवे के लिये लकड़ी . . .	२२३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११४	मछली पकड़ने के बन्दरगाह .	२२३
११५	तूतीकोरिन पत्तन	२२३—२४
११६	दावे . .	२२४
११७	ग्राम्य ऋण . .	२२४—२५
११८	पंजाब में ग्राम्य जल संभरण योजना	२२५
११९	केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्	२२५—३१
१२०	महिला टिकट चेकर . . .	२३१—३२
१२१	हिमाचल प्रदेश में दूध के पाउडर का वितरण	२३२
१२२	दिल्ली-काठगोदाम रेल सम्पर्क . .	२३२
१२३	गन्ने का मूल्य	२३२—३३
१२४	शोलापुर हवाई अड्डा .	२३३
१२५	परिवार नियोजन .	२३३—३४
१२६	रेलवे बोर्ड में असिस्टेंट . .	२३४
१२७	त्रिपुरा के लिये भेषजीय परिषद्	२३५
१२८	सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति .	२३५
१२९	चतुर्थ श्रेणी के रेल कर्मचारी . .	२३५—३६
१३०	पुरुलिया—मुरी रेलवे	२३६
१३१	गडन और गुण्टाकल स्टेशनों के बीच गाड़ियां .	२३६—३७
१३२	स्टेशनों को नये नमूने का बनाना .	२३७
१३३	आयुर्वेदिक औषधि . .	२३८
१३४	कृषि सहकारी समितियां .	२३८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	.	२३९

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२११ की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(२) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत मनीपुर के लिये मोटर गाड़ी नियम, १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २६ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या बी० टी० पी० २४/५६/५७–५८ की एक प्रति ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन २३९

चौतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना । २३९–४०

श्री नौशीर भरूचा ने सरकार द्वारा गन्ने की कीमत न बढ़ाये जाने के फल-स्वरूप उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की हड़ताल की ओर खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान दिलाया ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत . २४०

चौतीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित . . २४०—८४

(१) गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) ने प्रस्ताव किया कि दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के बाद विधेयक, संशोधित रूप में, पारित हुआ ।

(२) स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) ने प्रस्ताव किया कि फार्मेसी (संशोधन) विधेयक पर बिचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के बाद विधेयक, संशोधित रूप में, पारित हुआ ।

विधेयक विचाराधीन . . . . २८४—८६

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार, १२ फरवरी, १९५९ / २३ माघ, १८८० (शक) के लिये कार्यवालि—

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा तथा उसका पारित किया जाना ।

———